राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का दसवां दिवस [संख्या ८

बुधवार, दिनांक १२ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक प्रातः ८. ०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(न्याय, वन, विद्युत्, सार्वजनिक निर्माण श्रम, उद्योग, पंचायत, आबकारी–विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

पुलिस विभाग की प्रोसीक्यूशन ब्रांच

१७६. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या राज्य सरकार अपनी घोषित एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलग करने करने की नीति के फलस्वरूप प्रोसीक्यूशन ब्रांच को पुलिस विभाग से अलग करके लीगल रिमेम्ब्रेंसर के अधीन कर देने का विचार रखती है ?

(२) यदि किन्ही कारणों से इसमें विलम्ब होने की सम्भावना हो तो क्या राज्य सरकार प्रथम कदम के रूप में प्रोसीक्यूशन ब्रांच को पुलिस विभाग में ही अलग ब्रांच बनाकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से अलग करेगी ताकि इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी का प्रोसीक्यूशन ब्रांच पर प्रभाव न रहे ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) यह मामला एक विशेष कमेटी के विचाराधीन है, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट जनरल हैं। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

(२) विलम्ब अधिक होने की सम्भावना नही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कितना समय लगेगा ?

Page No. 2

श्री निरंजननाथ आचार्य : विलम्ब अधिक होने की सम्भावना नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा वेग रिप्लाई है । आप बतायें कितना समय लग जायेगा—महीना, दो महीने या तीन महीने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो तीन महीने के अन्तर्गत यह रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह कमेटी के विचाराधीन कब से है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक साल से।

श्री नत्थीसिंह : एक साल और भी लग सकता है। क्या आपका यह आश्वासन है कि दो-तीन महीने में यह रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पीरियड बढ़ाना चाहते हैं ? मैंने कहा कि दो तीन महीने में सम्भावित है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह !

किसनपुरा फॉरेस्ट में गायों को चराने की आज्ञा

१७७. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किसनपुरा फॉरेस्ट में अकाल से प्रभावित गायों को चरने देने की आज्ञा सरकार ने दी थी और मुख्य मंत्री ने भी हनुमानगढ़ के दौरे के समय जबानी आज्ञा इसी आशय की दी थी ?

(२) क्या यह सही है कि अकाल सहायता कमिश्नर द्वारा दो बार यह आज्ञा वन-विभाग को भेजी जाने और एस० डी० एम०, हनुमानगढ़ द्वारा अकाल-पीड़ित गायों को चरने के लिए भेजी जाने के बावजूद भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त आज्ञा का पालन नहीं किया गया और गायों को वापस आना पड़ा ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त आज्ञा का उल्लंघन करने वाले वन-विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। अकाल सहायता कमिश्नर द्वारा सूरतगढ़ तहसील की ३००० राठी नस्ल की गायों को हनुमानगढ़ प्लान्टेशन के एरिया में चराने की आज्ञा दी गई थी। इस विभाग द्वारा वापिस निवेदन किया गया था कि समूचा प्लान्टेशन चराई के लिए खोल देने से पेड़ पौधे जो लगाये गये हैं, चराई द्वारा नष्ट हो जायेंगे। राजाज्ञा संख्या २२६७७ दि० २-७-६४ द्वारा यहां का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है। इस विषय में कलेक्टर साहब, गंगानगर व एस० डी० ओ०, हनुमानगढ़ के मौके का मुआयना करने के पश्चात् कुछ भाग फेमिन विभाग द्वारा चराई के लिए अलग से फेंसिंग करने का निश्चय हुआ किन्तु कोई मवेशी चरने को नहीं आये।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) आज्ञा के उल्लंघन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मनफूलसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने जो दूसरे पार्ट का उत्तर दिया है वह बिल्कुल निराधार है क्योंकि मैं मौके पर था। वहां पर गायें गई थीं और उनको वापिस कर दिया गया था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। आज्ञा केन्सिल हो गई।

श्री मनफूलसिंह : क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि गायें गई थीं और वापिस आ गई?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां, जांच करा लेंगे।

प्रश्न संख्या १७८

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७६

श्री भीमसेन!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८०

श्री देवीलाल!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

लेबर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशें

१८१. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (राय-सिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि १८ फरवरी, १६६४ को मुख्य मंत्री ने लेबर एडएवाइजरी बोर्ड में यह घोषणा की थी कि मिनिमम वेजज एडवाइजरी बोर्ड से जो रिपोर्ट आयेगी उसे सरकार स्वीकृत करके उसकी सिफारिशें तुरन्त लागू करेगी?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेजेज एड़वाइजरी बोर्ड ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं?

(३) यदि हां, तो कब तथा उन्हें अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?

उपमंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने स्वीकार किया है कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत रोडवेज के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की बात तय हो चुकी है तो फिर देरी के कारण क्या हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सरकार के समक्ष रिपोर्ट आ चुकी है और सरकार उस पर विचार कर रही है और विचार करने के बाद लागू करेंगे ।

श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा : रिपोर्ट आये हुए एक साल से अधिक हो गया और आप कह रहे है कि विचार कर रहे हैं । तो यह आपका विचार कब तक चलता रहेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १-५-६४ को आई है उसको एक साल कहां हो गया ? अभी दो महीने ही तो हुए हैं ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्रश्न एक के उत्तर में उल्लिखित मिनिमम वेजेज कमेटी की रिकमन्डेशन सरकार के पास कब पहुंची ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : १-५-६४ को ।

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहन !

(अनुपस्थित-कृपया आगे गेखिये)

प्रश्न संख्या १८३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८४

श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

चित्तौड़गढ़ रेन्ज में पेड़ों की अवैध कटाई

१८५. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तोड़गढ़ रेंज की अवैध कटाई के बारे में कोई नोटिसेज ब्लाक बसी जालेश्वर निलिया आदि के लिए जंगलात विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा किन्हीं ठेकेदारों को नुकसान के लिए दिये गये ? अगर हां, तो कितने ठेकेदारों को कितनी धन राशि के लिए ?

(२) क्या इस अवैध कटाई में किसी सरकारी कर्मचारी का हाथ भी था ? यह कटाई कितने एकड़ में हुई और कुल कितना नुकसान आंका गया ?

(३) क्या यह नुकसान नियमानुसार सही तरीके पर आंका गया है ? कुल अनुमानित नुकसान कितना है और जो नोटिस दिये गये हैं, क्या वे नुकसान के आधार पर हैं ?

(४) इस नुकसान के लिए उत्तरदायी कर्मचरियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No. 5

उपमंत्री, वन (श्रीभवानीशंकर नंदवाना): (१) जी हां। चित्तौड़गढ़ रेन्ज की अवैध कटाई के बारे में ठेकेदार श्री खूबचन्द पिता टाकुर दास सिन्धी निवासी जयपुर को तथा श्री अब्दुल मजीद पिता जहूर महोमद निवासी जयपुर को नुकसान के २१,०००) की अदायगी के लिए प्रत्येक को १०,५००) रु० की अदायगी के लिए नोटिस दिये थे।

(२) इस प्रश्न की विभागीय जांच नियमानुसार हो रही है। कटाई सिलसिले वार नहीं होकर अलग अलग जगह हुई है जिसका अनुमानित नुकसान करीब २१ हजार आंका गया है।

(३) नुकसान प्रारम्भिक जांच के आधार पर आंका गया है जो कि २१,०००) रुपये है और नोटिस भी इसी आधार पर दिये गये हैं।

(४) कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल सर्विसेज क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): यह इल्लिसिट कटाई क्यों की गई? इसके लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: रिपोर्ट आई है तो एक्शन लिया। जितना नुकसान हुआ है उसकी रकम वसूल करने का नोटिस दिया है कॉन्ट्रेक्टर्स को।

श्री जुझारसिंह (चेचट): कॉन्ट्रेक्ट देने के बाद क्या वन अधिकारी चेक नहीं करते हैं कि कटाई रेगुलर हो रही है, कायदे से हो रही है या बिना कायदे से हो रही है?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: चेक करते हैं लेकिन इस मामले में गफलत जरूर हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री जुझारसिंह: जैसा कि आपने बताया कि २१,०००) रु० की कटाई हो गई है तो इस तरह की कटाई होने में कई दिन और कई महीने लगने चाहिए। इतने अर्से में वन अधिकारी नहीं पहुंचे होंगे इसलिए यह बात पॉसिबल हुई है, तो ऐसे वन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: क्या इन वन अधिकारियों के खिलाफ इस तरह से कटाई भैंसरोड़गढ़ में भी करवाने के आरोप हैं? इस तरह से वे जान बूझ कर कटाई कराते हैं और उनको टाला जाता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा तो बचाने का सवाल नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: दोषी पाये जायेंगे तो इस कटाई में महीना १५ दिन तो लगे होंगे तो आरोप तो यह साफ प्रतीत होता है कि यह उनकी असावधानी से हुआ है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: असावधानी तो मैं मान रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि असावधानी नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है, इतनी कटाई हो गई और सरकार के वन अधिकारियों को पता नहीं कि जो ठेकेदार कटाई कर रहा है वह ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेगुलर चेकिंग क्यों नहीं किया गया? इतना नुकसान होने के पश्चात् पता लगता है कि इतना नुकसान हो गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। डी० एफ० ओ० का भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व उसके अन्दर होना चाहिए और वह भी शायद इसमें मिले हुए हों। क्या मन्त्री महोदय इस संबंध में कुछ कह सकते हैं?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अफसरों के खिलाफ जांच कर लेंगे। अभी रिपोर्ट आये १-२ दिन ही हुए हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इन तीन स्टेजेज का मतलब क्या है? रिपोर्ट आ चुकी है, उसका अध्ययन होगा और उसके बाद उनके खिलाफ उचित कार्यवाही होगी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कल परसों ही रिपोर्ट आई है। उसको देखना पड़ेगा। एक दो दिन में निर्णय थोड़े ही ले लिया जाता है।

प्रश्न संख्या १८६

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री उम्मेदसिंह।

इलेक्ट्रिक कनेक्शन्स-बाड़मेर

१८७. **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर की जनता द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड बाड़मेर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन (डोमेस्टिक परपज) के लिए ३००—४०० प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके हैं?

(२) अगर हां तो उनको कनेक्शन्स क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

(३) क्या यह सही है कि वहां के पॉवर हाउस की इतनी क्षमता नहीं है कि इतना लोड खींच सके? यदि हां तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

(४) क्या यह सही है कि पॉवर की कमी के कारण बाड़मेर पेयजल योजना भी पूर्णरूपेण कार्य नहीं कर सकती है?

(५) क्या यह भी सही है कि जिला स्तरीय अस्पताल चालू करने में भी पॉवर की जरूरत पड़ेगी? यदि हां तो उसके लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद): (१) ऐसे प्रार्थना-पत्रों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जा

(श्री चन्दनमल बैद)

रही हैं। उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(२) बाड़मेर पॉवर हाउस की क्षमता कम होने के कारण समस्त प्रार्थियों को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं!

(३) जी हां। बाड़मेर पॉवर हाउस को अपने अधीन लेने के लिए विद्युत मण्डल आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

(४) बाड़मेर पेयजल योजना के लिए बोथिया में डीजल सेट लगाया जा चुका है।

(५) जी हां। विद्युत मण्डल द्वारा बाड़मेर पावर हाउस को अपने अधीन ले लेने पर इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री उम्मेदसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले वहां पर कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन हमें मालूम यह हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो लिखा था पॉवर हाउस लेने के लिए तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी ने इन्कार कर दिया। उसके पीछे क्या राज है, यह मालूम नहीं लेकिन वह कार्यवाही वहां पर ठप्प हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि·······

(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : म्युनिसिपैलिटी ने इन्कार कर दिया, यह सही बात है। यह पॉवर हाउस म्युनिसिपल बोर्ड का है। उन्होंने इन्कार कर दिया है तो सोचना पड़ेगा कि हम आगे क्या करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द चौधरी !

तहसील दौसा के ग्रामों को बिजली

१८८ **श्री मूलचन्द चौधरी** (दौसा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) तहसील दौसा के किन-किन गांवों और कस्बों में बिजली दिये जाने का कार्य शुरू हो गया है और क्या सरकार सभी गांवों और कस्बों को बिजली देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(ख) क्या यह सही है कि जमवा रामगढ़ बन्ध से जिन-जिन गांवों की सिंचाई होती थी और अब बन्द कर दी गई है उन गांवों में बिजली देने का सरकार का विचार है? यदि हां तो बिजली कब तक दे दी जावेगी?

उपमंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल बैद): (क). तहसील दौसा के निम्न लिखित गांवों के एस्टीमेट तैयार किये जा चुके हैं एवं इच्छित सामान के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया गया है :

(१) दौसा खुर्द (२) हिंगोटिया (३) खैरा। सामान के प्राप्त होते ही इन गांवों का विद्युतिकरण का कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No. 8

(ख) सिंचाई विभाग से प्राप्त उन गांवों की सूची, जिनमें जमुवा रामगढ़ में सिंचाई होती थी और अब बन्द कर दी गई है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

जी हां।

दौसा खुर्द, दौसा तेल, पाडली खुर्द, पाउली कलां, खवा, सराना, खरखरा-ग्रामों के वित्तीय वर्ष १९६४-५५ में बिजली मिलने की संभावना है।

नांगल बेरसी, मालपुरा. नांगल बोहरा बड़वा, बड़वा, बड़वा फार्म फार्म पड़ाखोली एच० एच० फार्म, टेटड़ा, मीठावास, बटवाड़ा गांवों का विद्युतिकरण वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में होने की आशा है।

अन्य गांवों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (चांदीकुई) क्या यह सही है कि आपने जब जमवा-रामगढ़ का पानी बन्द किया तो यह आश्वासन दिया था कि सारे कुओं में बिजली देंगे और ३ लाख रुपया काश्तकारों को इन्जिन लगाने के लिए तकाबी दी जा चुकी है? जब बिजली की सप्लाई नहीं की गई तो जो तकाबी का रुपया दिया गया है उसका ब्याज चुकाने का और जो काश्त नहीं हुई है उसका जिम्मेवार कौन है ? इसमें देरी करने के क्या कारण हैं ? आप उन्हें १९६५-६६ में विद्युतिकरण कर रहे हैं और तकाबी पहले दी जा चुकी है। आपका बिजली विभाग का आश्वासन था कि ११ लाख के० वी० की लाइन दे दो जायगी। इस पर तकाबी दी गई है। १५ हजार एकड़ जमीन को सेहराब करने के लिए जो बन्धे का पानी जाता था उसको आपने बन्द किया और उसके लिए आपने आल्टरनेटिव सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट तीन लाख रुपये चुकायेगी अगर आपको बिजली देंगे तो।

श्री हरिश्चन्द्र (मंत्री, विद्युत): बिजली विभाग ने यह जरूर कहा होगा कि सिम्पेथेटिकल कंसीडरेशन करेंगे लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इससे पहले कि बिजली पहुंचे, जमुवा रामगढ़ की सिंचाई क्यों बन्द की ? सिंचाई बन्द करने से यह स्पष्ट है कि आपके सिंचाई विभाग ने आश्वासन दे दिया था।

श्री हरिश्चन्द्र : कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिजली नहीं पहुंचने से पानी नहीं प्राप्त हुआ उससे पहले ही सिंचाई क्यों बंद हो गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक मुझे मालूम है, जयपुर शहर में पानी देने के लिये सिंचाई को बंद किया।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं फिर कहूंगा कि जयपुर जिला परिषद ने कमेटी बनाई थी। उसने गवर्नमेंट से कहा कि आल्टरनेटिव सजेशन जब तक नहीं दें तब तक रूरल एरिया में सिंचाई के लिये पानी बंद नहीं

(श्री मुथरेशबिहारी)

करना चाहिये। तब गवर्नमेंट ने कहा था कि बिजली दे देंगे, तकावी दे दो। उनको इंजिन लगाने के लिऐ राहत दी जायगी, तकाबी दे दो। दो आल्टरनेटिव दिये थे तब रूरल एरिया के लिये एग्री हुए हैं। आपके बिजली नहीं देने से और सिंचाई के लिए पानी बंद करने से १५ हजार एकड़ भूमि बर्बाद हुई है। इस ओर कई मर्तबा ध्यान दिलाया है, आपके विभाग के प्रतिनिधियों को जिला परिषद की मीटिंग में बुलाया है और उन्होंने कहा है कि बीजली दे देंगे तकाबी के रुपये दे दीजिये। उस वक्त रुपये दिये हैं। आपके प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है। आपके विभाग के प्रतिनिधि मीटिंग में जाते हैं तो उनके आश्वासन को माना जाय या नहीं? उनके आश्वासन को मान कर हमने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने ३ लाख रुपये दिये हैं। अब आप फर्माते हैं कि १९६५--६६ में बिजली देंगे तो १५ हजार एकड़ जमीन बर्बाद हुई है उसके लिये जिम्मेदार कौन है?

श्री हरिश्चन्द्र : उन्होंने कहा होगा कि वे सिम्पेथेटिकली कंसीडर करेंगे लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेन्ट नहीं हुआ कि बिजली जरूर दी जायगी। आगे का प्रोग्राम आपको बताया है। आप कहते हैं कि आश्वासन दिया है—ऐसा मेरे सामने नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आश्वासन दिया है—यह बात मैं फिर दोहराता हूं। गवर्नमेन्ट ने ३ लाख रुपये कुओं पर इंजिन लगाने के लिये तकाबी के रूप में दिये है। आपका एग्रीमेन्ट रिटन में है या नहीं है अब तो आप इसको अहमियत दें। १९६५--६६ दूर है। ३ साल रुपये दिये जा चुके हैं। १५००० एकड़ जमीन बर्बाद हो रही है उस को तो बचाइये। दूसरी प्रायोरिटीज, जो आपकी मर्जी की होती, को रोक कर इसको पहले दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह!

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : इसके लिये जवाब नहीं आया, १९६५ में करेंगे या कब करेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा है कि सिम्पेथेटिकली कंसीडर करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपका बताया हुआ कदम कब तक पूरा होगा?

श्री हरिश्चन्द्र : जल्दी से जल्दी पूरा किया जायगा।

चन्दन के वृक्ष तहसील गंगधार

१८९. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील गंगधार में काफी तादाद में चन्दन के वृक्ष हैं?

(२) यदि हां, तो सरकार इन वृक्षों की रक्षा किस प्रकार करना चाहती है?

(३) अब तक सरकार को इन वृक्षों से कितनी आय हुई है?

(श्री गोविन्दसिंह)

(४) क्या यह सच है कि यह वृक्ष पूरे बड़े नहीं होने के पहले ही काट लिये जाते हैं और वन विभाग का स्टाफ इनकी रक्षा करने में नाकामयाब रहता है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) जी हां, लेकिन अधिकतर चन्दन के वृक्ष खातेदारी क्षेत्र में हैं।

(२) वन में जो पेड़ हैं उनकी रक्षार्थ २५० एकड़ भूमि को अब तक बाड़ लगा कर सुरक्षित किया गया है।

(३) केवल २०६) रु० की आय १९६३-६४ में गैर कानूनी तौर पर काटे गये चन्दन के वृक्षों को बेचने से प्राप्त हुई है।

(४) इस तहसील के निवासी अकसर कर नाजायज तौर पर चंदन के वृक्षों को बढ़ने से पूर्व ही काट देते हैं। इसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया जाता है। सन् १९६३-६४ में ५ मामले इस तरह के पकड़े गये थे।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल !

आर. जे. बन्सल कंपनी के कर्मचारी की मृत्यु पर मुआवजे का भुगतान

१९०. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि मकराना ननर की आर. जे. बन्सल कम्पनी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई उसका मुआवजा कम्पेनसेशन कमिश्नर द्वारा तय होने पर भी आज तक उसके परिवार वालों को नहीं मिला है।? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री भवानीशंकर नंदवाना): जी हां। मकराना नगर की आर. जे. बन्सल कम्पनी में स्वर्गीय श्री गनपतलाल की मृत्यु ता० १३. ६. ५७ को दुर्घटना स्वरूप हुई। मु. गंगा (माता स्वर्गीय गनपतलाल) ने अपना क्लेम ता. ११. १. ५८ को क्षतिपूर्ति आयुक्त को पेश किया। तत्पश्चात् केस की सुनवाई होती रही और २०. ७. ६१ को क्षतिपूर्ति आयुक्त ने फैसला सुनाया जिसमें ७२०) रु० कम्पनी को देना बताया। कम्पनी के पैसा जमा न कराने पर शो-काज नोटिस ११. ४. ६२ को दिया गया। तत्पश्चात् १०. ८. ६२ को दुबारा फिर नोटिस दिया गया। कम्पनी के पैसा जमा न करने पर पेनल्टी सहित ११२६ रुपये ८० न. पै. यह राशि बढ़ा दी गई। कम्पनी ने फिर भी पैसा जमा नहीं कराया तब क्लेक्टर को पी. डी. आर. एक्ट के तहत रकम की वसूली के लिये १२. ९. ६२ को लिखा गया। तहसीलदार, परबतसर ने ११२६. ८० न. पै. वसूल करके ता. ११ १. ६३ को खजाने में गलत मद में जमा करा दिये। इस विषय में तहसीलदार, परबतसर को मद ठीक करने को लिखा गया। एवं तहसीलदार ने कलेक्टर, नागौर तथा ट्रेजरी ऑफिसर नागौर से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की। अब ट्रेजरी ऑफिसर, नागौर ने दिनांक १५. ७. ६४ को अकाउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान को मंद को ठीक करने की इजाजत चाहते हुए वहां को भेज दिया। वहां से मंजूरी आने पर और रकम प्राप्त होने पर रकम का श्रीमती गंगा को चुकारा करना संभव होगा।

श्री जेठमल बरवड़ : माननीय अध्यक्ष, इस तरह का पहले भी केस हुआ था उसके अन्दर भी गलत हैड में पैसा जमा हो गया था और पार्टी को एक साल तक पैसा नहीं मिला। इस तरह से गलत जमा कर देते हैं तो लेबर और दूसरे लोगों को परेशानी होती है। इस तरह की गलती करना कहां तक उचित है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : तहसीलदार ने गलती से कर दिया, हमारे डिपार्टमेन्ट का तो कसूर है नहीं। अब जल्दी से जल्दी देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जेठमल बरवड़ : तहसीलदार भी सरकारी कर्मचारी है। इसके लिये आपकी सरकार जिम्मेदार है ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : जिम्मेदारी तो है लेकिन गलत मद में जमा हो गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सीमेंन्ट का अलॉटमेन्ट-जिला जालौर व पंचायत समिति, सांचोर

१६१. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले दो साल के अर्से में जिला जालोर व पंचायत समिति, सांचोर के लिए कुल कितना सीमेन्ट कब कब सरकार द्वारा एलॉट किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि एलॉट किया हुआ पूरा सीमेन्ट जिला जालोर में कभी नहीं पहुंचा ? अगर हां, तो एलॉटेड कोटा में से कितना २ सीमेन्ट कब कब पहुंचा और कितना कम्पनियों द्वारा नहीं भेजा गया ?

(३) सरकार द्वारा एलॉटेड सीमेन्ट कोटा समय पर जिला जालोर में नहीं पहुंचने के क्या २ कारण है ? उन कारणों को दूर करके सीमेन्ट समस्या को हल करने के बारे में भविष्य में सरकार क्या कदम उठा रही है ? जिला जालोर में सीमेन्ट पहुंचने की समस्या को कब तक हल कर सकेगी ?

(४) क्या यह सच है कि सीमेन्ट जिला जालोर में व विशेषतया पंचामत समिति, सांचोर में समय पर पर्याप्त मात्रा में न पहुंचने से हजारों कृषि सिंचाई के कुएं अपूर्ण रहे और काश्तकारों को बड़ा भारी नुकसान हुआ और खाद्यान्न उपज बढ़ाने में कठिनाई उपस्थित हुई ? अगर हां, तो पंचायत समिति, सांचोर में ऐसे कितने कुएं थे जो सीमेन्ट न मिलने की वजह से अपूर्ण रहे ?

(५) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, सांचोर में कृषि सिंचाई के कुए सिर्फ सीमेन्ट व कंकरीट से ही बंधाए जाते हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार इस समिति के लिए ग्रीष्म ऋतु में तीन माह के लिए विशेष सीमेन्ट कोटा मंजूर कर सीमेन्ट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में जालोर कलेक्टर से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें डिस्क्रीपेन्सी है इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह :

सांगोद कस्बे को बिजली

१६२. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : Will the power Minister please reply:--

1. When was the electric power scheduled to be supplied to Sangod town according to programme and what is reason for the delay ?

2. What steps have the Government, so far taken to acquire the Baran Power House from the Municipality and how long it should take to decide the matter henceforward ?

उपमंत्री, विद्युत (श्री चन्दन मल बैद): (१) (क) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक।

(ख) बारां पावर हाउस को एक्वायर करने के विवाद में विलम्ब होने के कारण।

(२) बारां पावर हाउस के एसेट्स के मूल्यांकन की कार्यवाही चालू है अतः निश्चित तीथि तो नहीं बतलाई जा सकती पर जल्दी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : अब तक क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि यह प्रश्न साल भर से चल रहा है। अब तक क्या प्रयास हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : यह पावर हाउस बारां म्युनिसिपेलिटी का है। इसके एसेट्स जब तक तय नहीं हो जाय तब तक लेना मुश्किल है। अब म्युनिसिपल बोर्ड, बारां ने इच्छा जाहिर की है कि पावर हाउस को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लें एसेट्स का मूल्यांकन बाद में हो तो भी दिक्कत नहीं है। इसलिये अब इसको जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल !

रॉक-सॉल्ट का कोटा एलॉटमेन्ट

१६३. **पोहूमल ईसरदास** (अजमेर सिटी): Will the Miuister for Industries be be pleased to state :

(1) How many tons of rock salt quota was allotted to dealers in Rajasthan in the year 1962-63 and 1963-64 ?

(2) What are the parties, companies, societies or Industries who were allotted quota of rock salt ?

(3) How much quantity of rock salt wos allotted to each ?

(4) Whether the allottees are bonafide dealers in rock salt ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) सन् १९६२-६३ में राजस्थान राज्य को १५ वेगन्स एलॉट किये गये जिनमें ३०६

(श्री चन्दनमल बैद)

मैट्रिक टन्स रॉक साल्ट था, जो राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन द्वारा अक्टूम्बर १९६२ में मंगाये गये। सन् ६३--६४ में कोई कोटा एलॉट नहीं हुआ।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) रखी गई सूची में एलॉट किय हुआ रॉक सॉल्ट अंकित है।

(४) यह यह आवश्यक नहीं कि रॉक सॉल्ट प्रामाणिक व्यापारी को ही दिया जाय।

(सूची विस्तृत होने के कारण, विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पोह्मल : किस आधार पर रॉक सॉल्ट का कोटा दिया जाता है ?

श्री चन्दनमल बैद : डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स (कलेक्टर्स) ने लिस्ट भेज थी उसी के अनुसार एलॉट किया गया।

श्री पोहुमल : वे होलसेल डीलर हैं क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। मैंने अर्ज किया कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स ने लिस्टें भेजीं उसी के अनुसार दिया गया। स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के पास कोटा है। उसको इजाजत दी गई कि जिन्होंने कोटा नहीं उठाया उनको सूचना देकर जो माल नहीं उठाये वह माल बेच दो। दुबारा सूचना जारी करने के बाद भी उन्होंने कोटा नहीं उठाया तब उनको इजाजत दी गई कि चाहे जिसकी माल बेच दो। दो साल बाद भी उन्होंने माल नहीं उठाया।

श्री पोह्मल : अजमेर में मिश्रा कम्पनी को दिया है क्या वह कम्पनी रजिस्टर्ड है और कौन कौन उसके भागीदार रहें ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि रॉक सॉल्ट डीलर हो उसको ही दी जाय यह जरूरी नहीं है। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स ने लिस्टें भेजी उनको दिया गया। उन्होंने दो साल तक नहीं उठाया तो स्माल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को कहा गया कि उनको और नोटिस दिया जाय। उसके बाद भी उन्होंने नहीं उठाया तो यह इजाजत दी गई कि राजस्थान के बाहर भी बेच सकते हैं। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता कि किसको कोटा दिया गया। जब राजस्थान में इसकी मांग नहीं है तो पर्टीक्यूलर आदमियों को ही दिया जाय यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री पोह्मल : मैं मिश्रा एन्ड कम्पनी के पार्टनर्स के नाम सुनना चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लीजिये कि किस किस पार्टी का क्या क्या कांस्टीट्युशन है और कौन उनके भागीदार हैं तो शायद मैं बता सकूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंह नागर): क्या यह सम्भव नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स ने ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट दी हो जो माल उठाना ही नहीं चाहते ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रश्न खड़ा तब होता जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता। २६ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन सबके बारे में माननीय सदस्य यह सोचें तो मुझे उनके ऊपर दया आती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पर्टीक्यूलर केस की बात कहता हूं।

श्री चन्दनमल वैद : मैं सारे राजस्थान की बात कह रहा हूं। सारे राजस्थान में ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

स्टेशन आसलपुर से ग्राम आसलपुर तक सड़क निर्माण के लिए मंजूर धनराशि

१६४. **श्री अमरसिंह** (दूदू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

स्टेशन आसलपुर से ग्राम आसलपुर तक सड़क के लिए कुल कितना रुपया मंजूर हुआ था और क्या यह काम पूरा हो चुका है ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : ३०,००० रु०। जी हां।

श्री अमरसिंह : आपने कहा कि पूरा हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि सड़क आधी है और जो बनी हुई है वह टूट गई है। क्या आप दुबारा जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

वन विभाग की डिमार्केशन लाइन—ग्राम देपुरा।

१६५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग द्वारा देवगढ़ तहसील की ईसरमण्ड पंचायत के देपुरा गांव में जो डिमार्केशन लाइन दी गई है वह गांव के बहुत पास है जिससे मवेशी उक्त लाइन के क्षेत्र के अन्दर पहुँच जाते हैं और वन विभाग के कर्मचारी उन्हें पकड़ कर जुर्माना करते हैं व परेशान करते हैं ?

(२) जी हां, तो क्या सरकार उचित दूरी पर डिमार्केशन लाइन देने के प्रश्न पर विचार करने का इरादा रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार के जुर्माने की रकम पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ा दी गई है ? यदि हां, तो छः वर्ष पहले जुर्माने की रकम कितनी थी और अब कितनी है ?

उप-मंत्री, वन (श्री भवानीशंकर नंदवाना) —(१) जी हां।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(३) जी नहीं। जुर्माने की रकम उसी प्रकार तय की जाती है जैसे छः वर्ष पूर्व की जाती थी।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : जुर्माने के लिये क्या फर्माया ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : पुराने जुर्माने की रकम नियमानुसार ही वसूल की जाती है। नया जुर्माना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

ट्रान्सफारमर जलने से नुकसान-हनुमानगढ़

१६६. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि २० मई, सन् १६६४ को हनुमानगढ़ में ट्रान्सफारमर जल गया था ? यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हुआ ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : २० मई को नहीं, दिनांक २२ मई १६६४ को हनुमानगढ़ में ट्रान्सफारमर फेल हो गया। उसे ठीक करवाया जा रहा है। कार्य पूरा होने पर ही वास्तविक नुकसान का पता लग सकेगा।

श्री मनफूलसिंह : इसके जलने का क्या कारण था ?

श्री चन्दनमल बैद : मशीनरी है जल गई। कारण क्या हो सकता है। मशीनरी फेल हो सकती है, घर में पंखा, रेडियो फेल होते रहते हैं। और कितना नुकसान हुआ है यह अभी कह नहीं सकता।

श्री मनफूलसिंह : आपके घर में सारी रात और सारे दिन पंखा या रेडियो चलता रहे तो फेल हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्रान्सफारमर जला, इसके तीन दिन तक तार खुले रहे, किसी ने उसको सम्भाला नहीं। उसके बाद जला है। इसके कारण ग्यारह दिन तक बिजली बन्द रही है और सारे कारखाने बन्द रहे हैं और इसकी वजह विभाग की लापरवाही है।

श्री चन्दनमल बैद : यह मेरे लिए नई सूचना है। अगर किसी की गफलत के कारण हुआ है तो इसकी जांच की जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : इतना ही नहीं ट्रान्सफारमर शोट होता रहा और लोगों को इत्तला भेजी, इन्जीनियर को और एक्स. ई. एन. को लेकिन उन्होंने अटेन्ड नहीं किया। यही नहीं, इस प्रकार के तीन-चार केसेज हुए हैं, ट्रान्सफारमर ब्लास्ट होते हैं, ट्रान्सफारमर शोट होते हैं लेकिन ये लोग मौके पर पहुंचते नहीं और ट्रान्सफारमर के पास एक आदमी को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा डेप्यूट रखना चाहिए वह रखते नहीं हैं। कई दफा इन कारणों से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस कारण भैंस मर गई हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इसकी जांच कर लेंगे। और तीन चार केसेज कौन से हैं

Page No. 16

(श्री चन्दनमल बैद)

उनके बारे में बता दें ताकि मैं उनकी जानकारी भी करा लूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी जांच कर लें।

श्री चन्दन मल बैद : तीन चार केसेज कौनसे हैं वह बता दें तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री मथुरा दास माथुर (विधि मंत्री) : वैसे ही कह दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : (आसपुर) यह ट्रान्सफारमर जलने के बारे में रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट कैसी है यह बतादें ? उसमें क्या जलने के कारणों का उल्लेख है ?

श्री चन्दनमल बैद : जलने के कारणों का उल्लेख नहीं है। ट्रान्सफारमर जल गया या फेल हो गया—यह बात नहीं है। जिस कम्पनी ने उसे सप्लाई किया है उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। उसके सामने इसको खुलवाना चाहते हैं ताकि मालूम हो जाय कि कितनी कितनी चीजें जली हैं, क्या डिफेक्ट हुआ है और उससे कितने का नुकसान हुआ है। हो सकता है कि कोई मैकेनिकल डिफेक्ट रह गया हो और इस वजह से ट्रान्सफारमर फेल हुआ हो। इस के लिए कम्पनी को लाइएबल कर सकते हैं। इसलिए अभी तक खोला नहीं है कि कम्पनी का रिप्रेजेंटेटिव बुलाया है और उसके सामने खोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अगर ट्रान्सफारमर जल गया है तो माननीय मंत्री जी क्या एक्शन लेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो खुलने के बाद मालूम हो सकता है कि कितना नुकसान हुआ है और जला है या नहीं। कम्पनी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने खोला जायगा और तब पता लगेगा कि क्या डिफेक्ट हुआ था जिसके कारण ट्रान्सफारमर फेल हुआ है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब और माननीय सदस्य के कथन में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यह मान कर चलना चाहिए कि सदन के अन्दर जवाब इतने गलत आते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन राज।

जिला पाली में ग्रामों को कृषि कार्य हेतु बिजली

१६७. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध करने के कार्यों पर इस वर्ष कुल कितना रुपया खर्च किया जायेगा ? क्या भारत सरकार ने इस निमित्त कोई धनराशि राज्य सरकार को दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि पाली जिले के बाली व देसूरी तहसीलों में सभी स्थानों पर

Page No. 17

(श्री मोहनराज)

कुओं से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो वहां इस वर्ष के अन्त तक कितने कुओं को बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : (१) (क) ७५,००,००० (पिचेहत्तर लाख)

(ख) विशेष रूप से इस निमित्त कुछ नहीं।

(२) (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है। अब तक पाली जिले में ६६ स्थानों पर सिंचाई के लिए बिजली दी गई है।

श्री मोहनराज : क्या भारत सरकार ने कृषि कार्य हेतु कोई विशेष धनराशि देने की राज्य सरकार को सूचना भेजी है ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तक तो कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है और इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि इस प्रकार का विशेष प्रोवीजन किया है या नहीं।

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

राशमी-गंगरार सड़क निर्माण कार्य

१६६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राशमी से गंगरार सड़क की स्वीकृति हो चुकी है ? अगर हां, तो कब और कितने मील की स्वीकृति हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के कार्य की प्रगति नहीं के बराबर है ?

(३) यह सड़क कब तक बन जाने की आशा है ? क्या यह सड़क गंगरार की ओर से भी प्रारम्भ की जाने का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। ८–११–६३ ई० को। १६ मील की।

(२) इस योजना में ६ मील सड़क बनने को है जिसमें से ३ मील का काम पूरा हो चुका है।

(३) आशा है चतुर्थ योजना में। जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

मकराना-मगलाना सड़क का अधूरा कार्य

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जेठमल बरवड़)

क्या यह सही है कि मकराना से मगलाना सड़क का तीन मील का कार्य अधूरा पड़ा है जिससे मकराना से जो मारबल बाहर जाता है वह रास्ते में टूट जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानी शंकर नंदवाना) : जी हां भूमि अवाप्त की कार्यवाही राजस्व विभाग से पूर्ण होने पर कार्य आरम्भ कराया जावेगा ।

श्री जेठमल बरवड़ : कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : कलेक्टर जब जमीन का एक्वीजीशन कर देगा तब कार्य चालू हो जायगा ।

श्री जेठमल बरवड़ : तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जायगी या चौथी में होगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जब जमीन का एक्वीजीशन हो जायगा, जमीन हो जायगी तो काम चालू हो जायगा । इसी में हो जायगा । जमीन के एक्वायर होने पर ।

प्रश्न संख्या २०१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसहाय ।

गंगापुर-गढाचन्द्रजी रोड निर्माण कार्य

२०२. **वैद श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गंगापुर से गुढाचन्द्रजी रोड पर निर्माण कार्य कब से चल रहा है और इस कार्य के पूरे होने की अवधि क्या थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस रोड पर अगस्त, ६३ से फरवरी ६४ तक इंजिन खराब पड़ा रहा ? यदि हां, तो इसके बन्द होने से सरकार को कितना नुकसान हुआ और उसे ठीक न कराने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि गंगापुर से मलारना रोड पर भी इंजिन बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कितने दिन से और उसे ठीक न कराने का क्या कारण है ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्रीभवानी शंकर नंदवाना)–(१) गंगापुर से गुढाचन्द्रजी रोड पर निर्माण १९५५ से चल रहा है । वर्ष १९६१-६२ में कार्य पूरे होने की अवधि थी ।

(२) जी नहीं । इस रोड पर सितम्बर १९६३ तक रोलर ने ठेकेदार के यहां कार्य किया । बाद में मेटिरियल पूरा न होने व भूमि अवाप्ति की समस्या होने के कारण ठेकेदार ने रोलर वापस लौटा दिया था । इस सड़क पर रोलर खराबी के कारण बन्द नहीं रहा ।

(३) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : यह इंजिन बन्द रहा छः छः महीने तक–इसका कारण क्या था ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : छः महीने तक इंजिन बन्द नहीं रहा। डिले होने का कारण है—जमीन का एक्वीजीशन और ठेकेदार की सुस्ती दोनों कारणों से डिले हुई।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : यह जवाब सही नहीं है मंत्री महोदय का कि जमीन की एक्वीजीशन की वजह से काम बन्द रहा। वहां रोड़-रोलर में कुछ डिफेक्ट था जो चार-पांच रोज में ठीक हो सकता था लेकिन तीन-चार महीने तक रोड-रोलर के खराब होने से काम बन्द रहा। इससे गवर्नमेंट का कितना नुकसान हुआ--यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री भवानी शंकर नंदवाना : रोड-रोलर खराबी के कारण बन्द नहीं पड़ा रहा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह जानकारी सही नहीं है मंत्री महोदय की। वह इंजिन तीन महीने बन्द पड़ा रहा है--इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। आपके पास गलत रिपोर्ट है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : आप चैलेंज करते हैं तो मैं जानकरी कर लूंगा। विभागीय जानकारी के आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूं। काम इंजिन की खराबी के कारण बन्द नहीं रहा लेकिन मेटिरियल इकट्ठा नहीं हुआ इसलिए पड़ा रहा और भूमि का एक्वीजीशन नहीं हुआ था।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आप एक्वीजीशन की बात कह रहे हैं, वहां गिट्टियां गड़ चुकी हैं। वहां पर एक्वीजीशन का सवाल नहीं है। आप जानकारी किये बगैर बता रहे हैं। इंजिन खराब रहा है उससे कितना गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है और एक दिन के हिसाब से कितना किराया हुआ है, जो तीन महीने तक काम बन्द रहा उसका कितना नुकसान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य निश्चित रूप से कह रहे हैं कि तीन महीने तक पड़ा रहा है और मंत्री महोदय की सूचना है कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ। आप निश्चित रूप से जानकारी कर लें। और जो यह प्रश्न बार बार उठता है इसका निराकरण होना चाहिए।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : मैं जांच करा लूंगा और निराकरण कर दूंगा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : यह रोड १९६०-६१ तक तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन इसके बारे में अब भी प्रश्न उठता है कि यह सड़क तैयार नहीं हुई है। गंगापुर से गुढाचन्द्रजी तक की रोड है, यह ठेकेदार की सुस्ती के कारण पूरी नहीं हुई है और यातायात बन्द रहता है।

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार को यह सड़क कब खतम करनी चाहिए थी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : १९६१-६२ में खत्म करनी चाहिए थी। लेकिन कुछ जमीन का झगड़ा चल रहा है। इसमें ठेकेदार की गलती भी हुई है। उसकी जांच की जायगी।

Page No. 20

श्री अध्यक्ष : १९६१-६२ में खत्म होनी चाहिये लेकिन आज तक नहीं हुई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जमीन के एक्वीजीशन का मामला पड़ा है इसलिए काम पूरा नहीं हुआ। कुछ ठेकेदार की भी सुस्ती हुई है। इसको मैं मानता हूँ। इसमें दो राय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ठेकेदार की सुस्ती....

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : जमीन का झगड़ा नहीं है। फिर आप सदन में गलत रिपोर्ट दे रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : गलत सूचना देने का सवाल नहीं है। काम अधूरा है जो दो जोन का, छः जोन का काम दिया था, वह छः ठेकेदारों को दिया था। बाकी काम पूरा हो गया है। इसमें जमीन का झगड़ा है और ठेकेदार की भी सुस्ती है--इस कारण देरी हुई है।

वैद्य श्री गोविंद सहाय : मंत्री महोदय कहें तो चलें और मैं बता सकता हूं कि ठेकेदार की गलती के कारण हुआ है। आप ठेका सिफारिशियों को दे देते हैं। वे काम छोड़ कर चले जाते हैं। यह कारण है।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : ठेका तो, जो नीचे का टेंडर देते है, उनको देना पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : जो ठेकेदार टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स को पूरा नहीं करे और वक्त पर काम नहीं कर पाये तो आप उसको ठेका क्यों देते हैं ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊं कि मैंने एक प्रश्न उठाया था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि ठेकेदार को पैनेलाइज किया जायगा। क्या अब मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि कब तक यह सड़क तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : इसकी विशेष रूप से आप जांच करा लें।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अध्यक्ष महोदय, जिस जमीन पर झगड़ा नहीं है उसको तो पूरा कर दिया जावेगा और जिस पर झगड़ा है वह तो झगड़ा निपटने से ही होगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो हमेशा सुनते आये हैं कि आप एक्विजिशन के बगैर ही सड़कें बना लेते हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो झगड़ा है इसलिए झगड़ा तय हो जाए तभी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसमें विशेष देरी हुई है इसलिये विशेष तौर से इस पर ध्यान दिया जावे।

श्री उम्मेदसिंह।

बाड़मेर जिले के ग्रामों को बिजली

२०३. **श्री उम्मेदसिंह** (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पांच हजार या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में बिजली दी जाने की

(श्री उम्मेदसिंह)

योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले में कितने गांवों को बिजली दी गई है ?

(२) यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद): (१) केवल दो गांवों को बिजली दी गई।

(क) मोकलसर,

(ख) सीवाना।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५००० से ऊपर की आबादी वाले सब गांवों को बिजली दे दी जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): यह जो डेजर्ट एरिया है इसके लिये पहले भी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि ५००० से कम की आबादी के गांव हैं उनको भी बिजली दी जावेगी और इस डेजर्ट एरिया में ५००० की आबादी के बहुत कम गांव होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाया है कि उन गांवों को भी बिजली मिल सके जिनकी आबादी ५००० से कम है ?

श्री चन्दनमल बैद: यह तो ५००० की आबादी से ज्यादा का प्रश्न है और इसका मैंने उत्तर दे दिया है। तीन गांव और रह जाते हैं और जैसी हमारी नीति है कि उनको बिजली दी जावे हम देने की कोशिश करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दूसरा है। पांच हजार के ऊपर वालों को तो वे देंगे ही। माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी विधान सभा में कहा था कि डेजर्ट एरिया में अलग से कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे कि पांच हजार से कम आबादी के गावों को भी बिजली दी जा सके। क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मन्त्री): ऐसा आश्वासन मैंने विधान सभा में नहीं दिया। हां, आप जब मुझसे मिलने आये थे तब आपके और मेरे बीच बातचीत हुई थी उस समय मैंने कहा था कि इसके लिये मैं अधिकारियों से डिस्कस करूंगा।

एक माननीय सदस्य: दो पंचायतों को मिलाकर जिन गांवों की ५ हजार की आबादी हो उसको बिजली सप्लाई कर दी जावे तो आपको क्या ऐतराज होगा ?

श्री चन्दनमल बैद: दो पंचायतों को मिला कर तो कईयों को बन सकती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह तो तय कर लिया होगा कि अमुक अमुक स्थानों पर बिजली एक जिले में दे दी जानी ही चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र: जनरल बात हमने रखी है कि ५ हजार की आबादी के गांवों तक बिजली मिल जानी चाहिये और अगर पर्याप्त मात्रा में धनराशि मिल जावेगी तो उससे नीचे की आबादी के गांवों को भी बिजली दी जावेगी। मगर खयाल यही किया गया है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में

(श्री हरिश्चन्द्र)

५००० से अधिक की आबादी वालों को बिजली दी जा सकेगी।

श्री उम्मेदसिंह : बाड़मेर में अब कितने गांव बाकी रहते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपको बताया कि तीन।

श्री हरिश्चन्द्र : ये तीन गांव इसलिये रहते हैं कि हाइडल पॉवर की लाइन नहीं है।

श्री मानिकचंद सुराणा : यदि सरकार ने ५००० की आबादी के गांवों को ही बिजली देने की बात रखी तो डेजर्ट एरिया दूसरे एरियाज़ के मुकाबले में बहुत पीछे रह जावेगा। आप देखें कि तीसरी पंच वर्षीय योजना तक तो अभी दो गांवों में ही बिजली पहुँच पाई है और तीन गांवों को और मिलेगी। तो यह प्रगति कितनी धीमी प्रगति होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, कोई अलग पॉलिसी निर्धारित करनी चाहिये। अन्यथा पशुपालन वगैरह आप करना चाहते हैं वह ठीक तरह से नहीं होने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : Next

बिजली के अस्थाई कनेक्शन्स-बीकानेर

१७६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अस्थायी बिजली के कनेक्शनों पर विद्युत् बोर्ड अथवा राज्य सरकार ने १० रुपये कम से कम चार्जेज़ रखे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्थायी कनेक्शन बीकानेर शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने अपने घरों में वर्षों से ले रखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें व्यवहारतः स्थाई कनेक्शन ही मानने तथा ऐसे पुराने अस्थाई कनेक्शन वालों से, जिनकी अवधि तीन माह से अधिक की है, केवल मिनिमम चार्जेज़ के निमित्त स्थायी मानने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्रीचन्दनमल वैद): (१) जी हां।

(२) जी हां। यदि कानूनन कोई बाधा न हो।

श्री भीमसेन : जिन लोगों ने १५-१५ वर्ष पहले से अस्थाई कनेक्शन लगा रखे हैं, क्या उन पर मिनिमम चार्ज लगाना और उनको स्थाई मानना वाजिब समझते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने उत्तर दिया कि अगर कोई कानूनन बाधा नहीं हो तो हम मानने को तैयार हैं। हमने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं और मैं समझता हूं कि कार्यवाही शुरू कर दी गई होगी।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री देवीलाल।

जयसमन्द सलूम्बर सड़क निर्माण कार्य

१८०. **देवीलाल** (सराड़ा) : क्या सार्व-

(श्री देवीलाल)

जनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयसमन्द-सलूम्बर सड़क का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि सलूम्बर कस्बे के पास के नाले पर पुल नहीं बांधा गया है जिससे वर्षा ऋतु में काफी कठिनाई रहती है ?

(३) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब कराया जायेगा।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) अक्टूबर सन् १९५४ में प्रारम्भ किया गया था।

(२) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री देवीलाल : यह पुल नहीं बन पाया, इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अर्थाभाव के कारण।

श्री देवीलाल : क्या इसको इसी योजना में ली जावेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अगली योजना में लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

पंचायत नापासर की ग्राम सभा के विवरण पत्र फाड़ने की जांच

१८४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि पंचायत नापासर की ग्राम सभा के विवरण १८ जनवरी, १९६२ को फाड़ दिए गए ? यदि हां, तो वे किसने फाड़े ? क्या सरपंच ने इसकी सूचना जिलाधीश को दी ?

(२) क्या असिस्टेन्ट कमिश्नर हरिजन (भारत सरकार) नापासर गए और उन्होंने इस घटना के बारे में एक डी. ओ. पत्र जिलाधीश व एस. पी. को लिखा ?

(३) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार कागज फाड़ने वाले को अयोग्य घोषित करने पर विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। सरपंच ने ऐसी सूचना जिलाधीश को दी थी।

(२) जी हां।

(३) तहसीलदार बीकानेर तथा एस. डी. ओ. बीकानेर (नोर्थ) द्वारा जांच करवाई गई।

(श्री भवानी शंकर नन्दवाना)

(४) जी नहीं। श्री आशाराम का फाड़ना प्रमाणित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : जांच कराई गई तो उसका क्या नतीजा रहा? क्या यह सही है कि जांच के बाद में पुलिस में मामला देने का तय हुआ था?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मामला साबित नहीं हुआ। पुलिस को दिया मगर यह मामला साबित नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

अजन्ता होटल को बार का लाइसेन्स

१८६. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अजन्ता होटल उदयपुर को बार का लाइसेन्स दिया गया है? यदि हां, तो यह किन शर्तों पर दिया गया है?

(२) क्या सन् ५८ से अब तक राज्य में किसी जगह प्राइवेट होटलों को बार का लाइसेन्स दिया है। यदि हां, तो किन २ को? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : (१) अजन्ता होटल उदयपुर को बार का कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(२) सन् १९५८ से अब तक निम्न होटलों को बार के लाइसेन्स दिये गये हैं :

(१) ग्रान्ड होटल, जोधपुर।

(२) लक्ष्मी विलास पेलेस होटल, उदयपुर।

(३) जग निवास लेक पेलेस होटल, उदयपुर।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही है कि अजन्ता होटल ने भी इस प्रकार की एप्लीकेशन दे रखी है?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हम उन्हीं खास होटलों को ऐसे लाइसेन्स देते हैं जिसमें फोरिन टूरिस्ट रहते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले प्रश्न पूछा था। उस समय यह कहा गया कि पंचायतों का फंक्शन हुआ और बाहर के मिनिस्टर ठहरे थे उस वक्त में सैंक्शन किया था और ६ हजार रुपये पे किये। आप यह कहते हैं कि उसको लाइसेन्स नहीं दिया गया मगर वहां पर वाइन सप्लाई किया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बार बार इसी प्रकार की बातें कहते हैं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : और यह होटल इसीलिये बनाया है।

श्री परसराम मदेरणा : कितना किराया दिया यह तो नहीं कह सकता लेकिन जिस समय राजस्थान पंचायत एमेन्डमेंट बिल चल रहा था उस समय मैंने कहा था कि १ हजार और कुछ के आंकड़े दिये हैं। यह ६ हजार की बात करते हैं यह ठीक नहीं है। मैंने यह कहा था कि २४ घण्टे में सदन को इत्तला दे दूंगा। ८ अप्रेल का प्रश्न था उसके बाद में सेशन एडजोर्न ११ को हो गया और मैंने यह इन्फामेशन विधान सभा ऑफिस में दे दी। उसको कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया। अगर वह अनुचित तौर से कोई कार्यवाही कर रहा है तो सरकार इस सदन को आश्वासन देगी कि होटल में कोई इस प्रकार से शराब की व्यवस्था नहीं है कि होटल लोगों को शराब सर्व करे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): वहां पर लिकर सेल होता है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस हद तक मैं कह सकता हूँ। इस बारे में सरकार को सजग रहना चाहिये, छानबीन करनी चाहिये। लिकर सर्व होता है तो अवैध रूप से होता है उसे बन्द करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि उनको जानकारी है तो इतना ही आश्वासन मैं दे सकता हूं कि सरकार की तरफ से अबन्डेन्ट क्वेश्चन बनता जायेगा, जहां तक इस होटल का प्रश्न है, निगरानी रखने में और बन्द करने में। और अगर साबित हो गया तो एक्ट में, रूल्स में जो प्रावधान हैं इस तरह की इल्लीगल कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस होटल का मालिक कौन है?

श्री अध्यक्ष: Next

प्रश्न संख्या १६८।

पंचायत समिति कुचामन द्वारा एप्रोच रोड्स का निर्माण

१६८. **श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां):** क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन द्वारा ग्राम खारडिया घाटवा, मीठड़ी व मंडावरा में एप्रोच रोड्स बनाने के लिये २२५०) रु० प्रति ग्राम के हिसाब से दिये गये?

(२) क्या जिन सड़कों के लिये राशि दी गई थी वे एप्रोच रोड्स की परिभाषा में आती हैं?

(३) प्रत्येक सड़क की लम्बाई व चोड़ाई कितनी है?

उप-मन्त्री, पंचायत एवं विकास (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि कुचामन पंचायत समिति में यह लिस्ट है?

Page No. 26

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति में लिस्ट होगी, मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह जो सूची में आपने लिस्ट दी है उसमें अलग अलग रोड्स की अलग अलग रेट्स क्यों हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो कार्य पर निर्भर करता है कि सारा मेटिरियल, पत्थर आदि किस किस जगह कहां कहां से कितनी दूर से लाना पड़ता है। इस सब पर निर्भर करता है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की सूचियां गलत दी जाती हैं, एक सड़क आधा फर्लांग बनी है दूसरी दो फर्लांग बनी है, कोई एस्टीमेट नहीं बनाया जाता, बिना एस्टीमेट के गलत कार्यवाही करना कहां तक उचित है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, कुछ भी सुनाई नहीं देता, मेरा निवेदन है कि अलग अलग माइक्रोफोन्स हैं ये खराब हो चुके हैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर और असेम्बली के इन्चार्ज मिनिस्टर दोनों ही यहां पर बैठे हैं, उनके द्वारा इनकी प्रोपर चैकिंग नहीं कराई गई, इनमें से बहुत से यन्त्र खराब हो चुके हैं। माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनकी आधी बात सुनाई देती है, आधे मन्त्रियों की बातें सुनाई देती हैं आधे मन्त्रियों की बातें सुनाई नहीं देतीं। इसलिए इनका प्रोपर चैकिंग कर के ठीक व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, ये यन्त्र तो बिल्कुल ठीक हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि आधे मंत्रियों की बातें सुनाई देती हैं। तो यंत्रों में तो खराबी नहीं है, खराबी कहीं और जगह है।

(शोरगुल)

हमें तो विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनाई देती हैं क्योंकि हम बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसी दशा में यन्त्र सुधारने की व्यवस्था मेडिकल के मंत्री ही कर सकते हैं।

(हंसी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप सुनते तो हैं पर दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर: यह बात दूसरी है, क्योंकि आपकी बात निकालने लायक होती है, उसको दूसरे कान से निकाल देते हैं।

(हंसी)

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या मैंने जो निवेदन किया था वह डिस्पोज आफ हो चुका है ? माननीय मंत्रीजी के आगे अलग-अलग यन्त्र रखे हुये हैं। उनको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कई यन्त्र खराब हो चुके हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ये सब कन्ट्रोल एक जगह से होते हैं।

Page No. 27

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर ये खराब हो चुके हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कोई खराबी नहीं है, चेक करा लिया है।

श्री मानिकचंद सुराणा : जिन माननीय मंत्रियों की आवाज ठीक नहीं है, उन्हें माननीय अध्यक्ष, उत्तर देने से मना कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : जिन माननीय सदस्यों को सुनाई नहीं देता उनके कान का मैल निकाला जाय।

श्री मथुरादास माथुर : कान ही का नहीं दिमाग का मैल भी निकाला जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा कि वे तो आवाज सुनते है, तो वे विरोधी दल की आवाज ही सुनते हैं क्या ? अभी जो कांग्रेस दल के माननीय सदस्य बोले उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई-नहीं दी। तो क्या कांग्रेस दल के सदस्यों की आवाज मन्त्री नहीं सुनना चाहते। उनकी आवाज सुनाई नहीं दी इसीलिये तो माननीय सदस्य ने व्यवस्था चाही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : यन्त्र होते हुए भी गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं उससे यन्त्र खराब होते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गला फाड़ना पड़ता है बहरे कानों को सुनाने के लिये।

श्री मथुरादास माथुर : जो गला फाड़कर चिल्लाते हैं उनके सामने से यन्त्र हटाने की व्यवस्था की जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राय सिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य इतनी तेजी से बोलते हैं कि माइक खराब हो जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माइक का सिस्टम बहुत खराब हो चुका है इसमें तब्दीली करने की आवश्यकता है। कभी माइक ठीक काम करते हैं, कभी ठीक काम नहीं करते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अफसोस यह है कि इस मामूली से प्रश्न को भी सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है। माननीय मन्त्री महोदय तो पार्लियामेंट के मेम्बर रह चुके है, वहां की व्यवस्था से परिचित हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह बात दूसरी है कि इस सिस्टम को बदल कर उल्टे लटका दिये जांय जमीन पर। पर माइक में कोई खराबी नहीं है, खराबी है दूसरी जगह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो ऑपरेटर्स काम करते हैं वे ठीक तरह से बड़ा अच्छा काम करते हैं, महनत करते हैं उन्होंने चेक किया है पर यह माइक्स बहुत पुराने हैं, इनको रिप्लेस करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : Next

(शोर-गुल)

प्रश्न संख्या २०१

गबन के मामले और ऑडिट एतराजों पर निर्णय—नापासर

२०१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नापासर में नगर पालिका के समय व अब पंचायत के समय गबन पाये गए ? अगर हां, तो ये गबन किसने किए ?

(२) क्या इतने लम्बे समय तक गबन करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(३) क्या गबन का मामला पुलिस को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

(४) क्या सन् १९५३ से ६० तक व बाद में ऑडिट एतराजों पर इस पंचायत से कोई निर्णय लिया है ?

उपमंत्री, पंचायत (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी नहीं आ सका है इसलिये इसका आगे की टर्न पर जवाब दिया जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : फिर नहीं सुनाई दिया।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

वन लगाने की योजना— गिरवा तहसील

१७८. **श्री जोधसिंह** (गिरवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गिरवा तहसील में कौन कौन स्थानों पर वन लगाने की योजनायें चल रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या गिरवा तहसील में बहुत से पहाड़ हैं जिन पर पेड लगाये जा सकते हैं ? यदि हां, तो उन पहाड़ों पर भविष्य में नये पेड़ लगाने की कोई योजना है ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

(१) सन् १९६४-६५ में गिरवा तहसील में वन लगाने की कोई योजना नहीं चल रही है।

(२) जी हां। बहुत पहाड़ हैं, किन्तु उन पर पेड़ लगाने का खर्चा बहुत अधिक होने के कारण इस समय इन पर पेड़ लगाने की कोई योजना नहीं है।

स्टेनलैस स्टील का वितरण

१८२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान उद्योग विभाग के पास किस कीमत का कितना स्टेनलैस स्टील कब से आया हुआ पड़ा है और क्यों ?

(३) इस स्टेनलैस स्टील के वितरण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

इस समय स्टेनलैस स्टील उद्योग विभाग के पास आया हुआ नहीं पड़ा है, १२ टन स्टेनलैस स्टील का अलोटमेंट पत्र फरवरी ६४ में आया है जो राजस्थान उद्योग निगम को मंगाने के लिए लिख दिया गया है माल अभी नहीं आया है ?

इसमें से ६.७५ टन का वितरण पत्र कोरपोरेशन को भेज दिया गया है सूची संलग्न है। ३.२५ टन उन यूनिटों के लिए रिजर्व कर दिया गया है जिनको हॉस्पिटल के वस्तुओं के बनाने के आर्डर प्राप्त हुए हैं। इसका अलोट मेन्ट संचालक चिकित्सालय विभाग से पूरा विवरण प्राप्त होने पर किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

कलकत्ता में हस्तकला एम्पोरियम

१८३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कलकत्ता में हस्तकला का एम्पोरियम खोले जाने का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो क्या एम्पोरियम खोला गया?

(२) यदि खोला गया तो इससे कितना लाभ अथवा कितनी हानि हो रही है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पैंडिंग पेंशन केसेज-जिला भरतपुर

३६. श्री रामकिशन (वैर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर जिले के कितने राज्य कर्मचारियों के पेंशन केसेज का निपटारा होना अभी शेष है? यह कर्मचारी किस २ विभाग के हैं और कितने २ समय के इनके केसेज पैंडिंग है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सदस्य महोदय की जानकारी के लिए वान्छित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, लूणकरणसर द्वारा दी गई विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि का व्यय

४०. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लूणकरणसर पंचायत समिति, जिला बीकानेर के अन्तर्गत किन २ पंचायतों को कितना २ रुपया किन २ कार्यों के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सन् १६६० से दिसम्बर, १६६३ तक दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या जो भी रुपया दिया गया वह जिस कार्य के लिए दिया गया था उसी के उपयोग में लाया गया ? पंचायतवार बताने की कृपा करें ।

(३) पंचायत, महाजन, करनीसर रामबाग, सुई काकड़वाला पंचायतों को जो रुपया दिया गया क्या उनका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है ?

(४) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (३) में उल्लिखित पंचायतों ने धन का सही उपयोग किया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या २ कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक विवादों पर फैसले

४१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १६५६ के बाद राज्य के कितने कॉनसीलियेशन आफिसर (समझौता अधिकारी) मुकर्रर किये गये और उन्होंने कितने औद्योगिक विवादों में राजीनामे से फैसले (सेटलमेन्ट) रजिस्टर किये ? अधिकारियों व उसके द्वारा कराये गये फैसलों की संख्या सालवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

सन् १६५६ के पश्चात् राज्य में कुल ६ समझौता अधिकारी कार्य कर रहे हैं इनमें ५ विलिनीकरण से पूर्व के है तथा एक अजमेर के विलीनीकरण के पश्चात् अजमेर के लिये मुकर्रर हुए ।

यह सूचना सन् १६५६ से उपलब्ध है वो इस प्रकार है—

	कुल विवाद जो समझौता के लिये आये	विवादों जिन पर फैसले समझौता वार्ता में हुए
१६५६	२२४	११४
१६६०	२२६	१०८
१६६१	३२६	८३
१६६२	३८०	१२६
१६६३	३७२	१३२

Page No. 31

(श्री श्रम मंत्री)

अधिकारियों द्वारा कराये गये फैसलों की संख्या सालवार इस प्रकार है।

	१९५९		१९६०	
जयपुर	८२	४०	१३१	७२
अजमेर	५०	३३	२३	१६
कोटा	१३	४	७	१
जोधपुर	२६	८	३२	६
बीकानेर	३०	२४	११	१५
भीलवाड़ा	२३	५	२५	८
	२२४	११४	२२९	११८

	१९६१		१९६२		१९६३	
जयपुर	१९४	५९	१९८	६६	२०३	४५
अजमेर	१०	३	२५	७	३०	११
कोटा	N.	A.	१८	९	४६	१९
जोधपुर	३३	८	४४	१२	९	२
बीकानेर	६९	६	७९	२९	५५	४७
भीलवाड़ा	२०	७	१६	६	१५	६
	३२६	८३	३८०	१२९	३५८	१३०

जेवरों पर कर्जा—झालावाड़ स्टेट बैंक

४२. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : क्या वितमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ स्टेट बैंक से किसी व्यक्ति को जेवर पर कर्जा दिया गया था और वह जेवर नकली था? यदि हां, तो कितना कर्जा दिया गया और उस जेवर की कीमत कितनी मानी गई थी?

(२) उपरोक्त जेवर पर कर्जा देने वाला बैंक का कर्मचारी कौन था और कर्जा देने के पहले क्या उन जेवरात की परीक्षा करा ली गई थी?

(३) क्या यह सही है कि इसमें बैंक के कर्मचारी दोषी थे?

(४) यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(५) अब इस रकम के वसूल करने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(१) जी, हां। दो व्यक्तियों का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) शाखा डग: मैनेजर का कार्य तहसीलदार डग श्री किसनसिंहजी करते थे तथा मुरलीधर 'एकाउन्टेन्ट कम केशियर' था। शाखा गंगधर: बैंक मेनेजर श्री गिरधारीलाल थे। कर्जा देते वक्त जेवर की परीक्षा (जांच) करवाने का कोई रेकार्ड नहीं है।

(३) एवं (४) डग शाखा के श्री मुरलीधर के ऊपर कोर्ट में मुकदमा इस दोष पर चलाया गया था लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। गंगधार शाखा का केस अभी पुलिस में जेर तफतीश है। तकलीफ है।

(श्री वित मंत्री)

(५) अभी से वसूली की कार्यवाही पी० डी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत जारी है।

(कृपया परिशिस्ट ५ देखिये)

कृषकों के काम में आने वाली वस्तुओं का वितरण

४३. **श्री चतुर्भुज उपाध्याय,** (चित्तौड़गढ़)—क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषकों के काम में आने वाली वस्तुओं का जैसे खाद, बीज, लोहा, सीमेंट, चद्दर तथा आम लोगो को शक्कर, अनाज आदि का वितरण सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं? अथवा उठाए जाने वाले हैं?

(२) क्या यह सही है कि जिला स्तरों पर भी उपरोक्त वस्तुओं के कोटे सहकारी समितियों को न मिलकर व्यक्तियों को मिल रहे हैं?

उत्तर

(१) विभिन्न वस्तुओं के सहकारी समितियों के द्वारा वितरण के सम्बन्ध में उठाए गए अथवा भविष्य में उठाये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से विवरण प्रस्तुत है :

(अ) खाद : रसायनिक खाद का वितरण के लिये प्रारम्भिक रूप में दिनांक १-६-६३ से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि० को मुख्य वितरक के रूप में अजमेर व बीकानेर डिवीजन के ११ जिलों में वितरण के लिये नियुक्त किया जा चुका है। संघ की मुख्य वितरक के रूप में नियुक्ति एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार एक वर्ष के लिये की गई है। वर्ष भर में किये गए कार्य पर विचार किया जाकर वितरण क्षेत्र व अवधि को उठाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(आ) लोहा व चद्दर : आयरन व स्टील के वितरण हेतु रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट के रूप में राज्य की १६ सहकारी क्रय विक्रय समितियों के नामों की सिफारिश कन्ट्रोलर आयरन एन्ड स्टील कलकत्ता को भी जा चुकी है। इनमें से जयपुर, श्री करनपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की क्रय विक्रय समितियों को रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है, और इन ६ क्रय विक्रय समितियों के पास आयरन एण्ड स्टील के अलाटमेंट के तीन तीन तिमाहियों के कोटा सर्टीफिकेट भी प्राप्त हो चुके हैं। बाकी ११ समितियों के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी कन्ट्रोलर आयरन एण्ड स्टील कलकत्ता से की जा रही है। २ समितियों के कागजात तैयार हो रहे हैं।

(इ) सीमेंट : सीमेंट के वितरण का कार्य अभी तक सहकारी समितियों को नहीं मिला है। बाधा यह है कि नियमानुसार उत्पादनकर्त्ताओं को ही वितरण की नियुक्ति करने का अधिकार है। सहकारी समितियों के द्वारा प्रार्थनपत्र देने के उपरान्त भी उत्पादनकर्त्ता अपनी पूर्व निश्चित वितरण व्यवस्था को भंग करके सहकारी समितियों को वितरक नियुक्त करने के लिये तैयार नहीं है।

(ई) शक्कर : राज्य सरकार द्वारा चीनी के वितरण के सम्बन्ध में समस्त जिलाधीशों

(श्री सहकारी मंत्री)

को क्रमांक १४०७६ दिनांक ७।१५ मई, १९६४ को आदेश दिये जा चुके हैं कि सहकारी क्रय विक्रय समितियां व सहकारी उपभोक्ता होलसल भण्डार को चीनी के वितरण का होलसेल का कार्य सौंप दिया जावे, बशर्ते कि यह संस्थायें सन्तोषप्रद रूप से कार्य करने के योग्य हों।

प्रारम्भिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को भी फेयरप्राइस सौंप दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं।

(ऊ) **अनाज** : आयात किये हुए गेहूँ के वितरण का कार्य भी होलसेल भण्डारों व सहकारी क्रय विक्रय समितियों को दिए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं और यह कार्य साधारणतया अधिकांश इच्छुक व इस कार्य को करने में समर्थ संस्थाओं को दिया जा चुका है। सहकारी क्रय विक्रय समिति को इम्पोर्टेड गेहूं के साथ देशी गेहूँ के वितरण (क्रय विक्रय) की छूट भी विशेष रूप से दी जा चुकी है।

सीमेंट का वितरण कार्य सहकारी समितियों को नहीं मिला है। खाद्य वस्तुओं जैसे चीनी व इम्पोर्टेड गेहूँ आदि का कार्य रसद विभाग द्वारा किसी सहकारी संस्था को न दिया गया हो, की सूचना किसी से भी प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही को (जा सकेगी। सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

झालावाड़ स्टेट बैंक के कर्जे की वसूली

४४. श्री **गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ स्टेट बैंक का किन २ पर कितना २ कर्जा अभी तक लेना बाकी है ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त बैंक के कर्जे की वसूली व कर्जदारों के उजरात सुनने के लिए झालावाड़ में कोई कमेटी बना रखी है ?

(३) यदि हां, तो उपरोक्त कमेटी के कौन २ सदस्य हैं और उन्होंने कितनी मीटिंग कीं व कितने फैसले किये ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष :

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अलदाराम।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं, बहुत सी जमीन बन्दोबस्त के समय ऐसे आदमियों के नाम, जिसका टाइटल न तो भूतपूर्व जोधपुर राज्य के हजूरी दफ्तर के सनद-बही में है और न जिन्हें बाद में दरबार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, दर्ज कर दिये जाने के सम्बन्ध में तीन याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(श्री मोहनराज)

: अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व जोधपुर राज्य की पंचायतों की रकम जो सब-ट्रेजरीज में जमा है, उसे सम्बन्धित पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में तीन याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

सदन-पटल पर रखा जाने वाला पत्र

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण अधिनियम, १९६३ की धारा ९ (२) के अन्तर्गत, राजस्थान कोलाहल नियन्त्रण नियम, १९६४ (The Rajasthan Noises Control Rules, 1964) की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

पुर : स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं दी राजस्थान ऑफिशियल लैंगवेज (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय !

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार के काले कानून को पेश करने के लिये मन्त्री प्रवर खड़े किस तरह से हो गये !....

श्री अध्यक्ष : यह तो बहस का सवाल है, व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं यह जानता हूं इन्ट्रोडक्शन के लिये आज्ञा चाही उस समय कहना चाहिये था पर जिस राजस्थान की पुरानी परम्परायें हैं, राजस्थान का महान इतिहास रहा है, ऐसे राजस्थान में ऐसे काले कानून को इन्ट्रोड्यूस करने के लिये मंत्री प्रवर को आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये। राजस्थान महान् है, महाराणा प्रताप जैसे यहां पैदा हुए जिन्होंने आन-बान-शान की रक्षा के लिये सब कुछ किया और कम से कम कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे महान् राजस्थान की कोई खराबी दुनियां के सामने आती। ऐसे हमारे पूर्वजों के महान् राजस्थान में, मैं निहायत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार का कानून लाना, राजस्थान की २ करोड़ जनता के साथ, २ करोड जनता की जनवाणी के साथ महान् विश्वासघात हैं। जैसे मंत्री प्रवर ने वफादारी की शपथ ग्रहण की है वैसे ही वफादारी की मैंने भी शपथ ग्रहण की हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो कानून मंत्री प्रवर उपस्थित करने के लिए आज्ञा चाहते हैं, यह कानून खुद बखुद इस संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत है तो मेरा यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि कम से कम मैं इस संविधान के प्रति वफादारी की शपथ को निभाते हुए इस काले कानून को इस स्थान पर नहीं आने दूं और मैं आपसे निवेदन करूं कि संविधान के अन्दर भी ऐसी व्यवस्थायें हैं, संविधान के अनुच्छेद

(श्री मुकुट बिहारीलाल)

३४३ के अन्दर यह स्पष्ट आदेश है कि १५ वर्ष की अवधि के बाद देश भर में हिन्दी में काम होने लगेगा या दूसरी वहां की स्थानीय भाषाओं में काम होने लगेगा। जब इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं तो मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता कि फिर से अंग्रेजी को लाया जाय। इस कानून को पेश करने के तीन चार नतीजे होंगे। जिस तरह से मैंने इस बिल को पढ़ा है, जो बिल पेश किया गया है, वह बड़ी चालाकी से ड्राफ्ट किया गया है, इसका मतलब यह होता है, कि अंग्रेजी को इस कानून के लाने वा पास करने की मन्शा यह होगी.. ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किस रूल से यह पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है ?

श्री अध्यक्ष : अभी थोड़ी देर में बतायेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : काफी बोल चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस कानून के लाने की मन्शा यह है, कि इस कानून की धाराओं को इस चालाकी से ड्राफ्ट किया गया है जिसका नतीजा यह होने वाला है कि हमेशा के लिए अंग्रेजी को इस इलाके की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किया जायेगा। इसका मतलब यह होगा कि बेचारी हिन्दी जिसको बोलने वाली माताओं के दूध के बल पर यह इन्सान पलता है, जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त कया जाता है, जिस भाषा की बड़ी बड़ी विदुषी महिलायें इस इलाके में पैदा हुई हैं भक्त मीरा बाई, जिसके भजन इस देश कौने कौने में गाए जाते हैं— भाषा पर कुठाराघात करने के लिए एक सौत के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख भाषा के रूप में लाने के लिए जिद्दोजहद किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राजस्थान को दो करोड़ जनता के साथ यह महानतम विश्वासघात है।

दूसरा इसका असर यह होने वाला है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत यह व्यवस्था रखी गई है कि १५ साल की अवधि के बाद तो इस अंग्रेजी भाषा का काला मुंह तो कर दिया जायेगा। हमने संतोष की सांस ली थी कि कम से कम २६ जनवरी १९६५ के बाद इस गुलामी की भाषा का टीका लगा हुआ है, वह हिन्दी-भाषी राज्य राजस्थान के माथे से मिट जायेगा। मुझे भरोसा नहीं था कि राजस्थान के शासक भी इस प्रकार की महान गल्ती पर उतर आयेंगे और उनमें पुरानी अंग्रेजीयत की गुलामी की जो भावना शेष रह गई है, उसके अनुसार अनुसरण करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो भाषण हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप बैठ जाइये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर विराजमान हैं, तो फिर आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। आपके दिल को अगर चीरा जाय तो उसके अन्दर हिन्दी का स्थान मिलेगा। आज अगर थोड़ी भी स्टैंडिंग, नैतिक साहस मंत्रिमंडल के लोगों के अन्दर विद्यमान है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पाइंट पर मंत्री प्रवर ऐलान करें कि जब इस बिल को रखा जायेगा तो पार्टीबंदी के नाम पर चुप न बैठकर स्वेच्छा से प्रेरित होकर विचार किया जायेगा। इस प्रकार का अगर ऐलान हो जाय तो मेरी मान्यता है कि जो खास तौर से शासन करने वाले लोग हैं, उनको छोड़कर बाकी ६० परसेंट व्यक्ति इस कानून के खिलाफ मतदान करेंगे क्योंकि यह राजस्थान के जन–जीवन का प्रश्न है। इसके साथ ही राजस्थान की उन्नति और अवनति के प्रश्न का समावेश भी इसके अन्तर्गत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : अब तीसरे पाइन्ट पर आ जाइए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस कानून का यह इम्पैक्ट होने वाला है कि हमारे संविधान में इस बात की जो व्यवस्था थी कि १५ साल के बाद अंग्रेजी का काला मुंह हो जायेगा, परन्तु इस कानून के लाने के बाद यह खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि हमेशा के लिए अंग्रेजी ही चालू रहेगी। इसमें कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आखिर कौनसी अवधि है ? ३४३ वें अनुच्छेद जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा था, के अन्दर ऐसी व्यवस्था है, अगर उन धाराओं को बड़ी गहराई से पढ़ें तो उसके अन्दर भी हमारे कान्स्टीट्यूशन फ्रेमर्स की कोई न कोई मन्शा रही है कि अवधि निश्चित की जाय परन्तु इस कानून में तो कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई हैं, इसका मतलब यह है कि यह अंग्रेजी भाषा हमेशा के लिये चलती रहेगी।

इसके अलावा एक बात और है कि आज हमारा शासक वर्ग गला फाड़-फाड़ कर इस बात की दुहाई देता है कि देश के अंदर संकटकालीन स्थिति है, हम भारत में भावात्मक एकता बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के मानस में रस पैदा करना चाहते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस भाषा के विवाद को खड़ाकर इस राजस्थान के अन्दर या देश के दूसरे हिस्सों के अन्दर आज का शासक दल क्यों हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है। क्या यह सरकार जन-आंदोलन का मुकाबला करना चाहती है ? आखिर क्या करना चाहती है ? क्या इस जन जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है ! इस कानून का नाम जो रखा गया है राजस्थान राजभाषा अधिनियम उसके अन्दर थोड़ी गुंजाइश हो सकती थी। अगर इसका नाम रखा जाय सुखाडिया सरकार भाषा अधिनियम इतना अगर इसमें कर दिया जाता-तो जब यह सरकार खत्म होती तो उसके साथ गुलामी की निशानी यह अंग्रेजी भी खत्म हो जाती, और हम संतोष की सांस लेते, पर यह तो हमेशा के लिए लादी जा रही है। जब यह बिल मतदान के लिए आएगा उस समय मैं विस्तार से अपनी मान्यता और विचार रखना चाहूँगा। इस समय मैं संविधान के उस प्रीएम्बल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहूँगा जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि इस देश के निवासियों के लिए equality of status and opportunity, justice, social, economical and political justice हम देने के लिए एश्योर करेंगे। तो इस कानून के अंतर्गत हमें यह चीज नहीं मिलने वाली है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेंस का सवाल है। यह हमारे इस सदन के अधिकार का सवाल है संविधान में यह व्यवस्था है कि १५ साल की अवधि के बाद यह भाषा खत्म हो जायगी, हां, उसके अन्दर इस प्रकार के प्रोवीजोज़ रखे हैं कि उनमें कुछ हेरफेर किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो कॉन्स्टीट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में स्पष्टतः यह भावना चित्रित थी कि कोई न कोई अवधि निश्चित की जाए और उन्होंने २६ जनवरी, १९६५ निर्धारित करदी। परन्तु अब इस बिल के अनुसार हमेशा के लिए Time immemoial to come के लिये अंग्रेजी को लाया जा रहा है। यह विधेयक संविधान की मूलभूत धाराओं के विपरीत पड़ता है और इस सदन में प्रेषित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में लोकसभा के अन्दर जब यह प्रश्न खड़ा हुआ तो वहां पर जो वरिष्ठ सदस्य थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐटोर्नी जनरल को सदन में बुलाया जाय और इस बिल की वैधानिकता के बारे में उनकी राय ली जाय। मेरा भी नम्र निवेदन है कि चूंकि संविधान की मूलभूत भावनायें इसके विपरीत पड़ती हैं ३४३ (३) और दूसरे जो प्रोवीजन्स हैं डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के खिलाफ पड़ता है इसलिए एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाया जाय और इस की वैधानिकता के सवाल पर उनसे राय ली जाय और उसके बाद में सदन को मौका दिया जाय कि उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की शुरुआत की स्पीच की भावना की बहुत कद्र करता हूं जिसमें उन्होंने राणा प्रताप और सारे राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बातों का जिक्र किया। राजस्थान का इतिहास हमेशा से कुर्बानी से भरा हुआ है और देश की एकता को कायम रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी थी तो वह भी राजस्थान ने दी है।

यह बिल जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका भी कोई ऐतिहासिक कारण है और वह कारण यह है कि हमारे देश के संविधान में माना गया है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, हम सब मानते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिन्दी राष्ट्र भाषा रहेगी। लेकिन अंग्रेजों के विगत दो सौ–तीन सौ वर्षों के शासन काल से गुजरे हैं और जो ऐतिहासिक वर्ष रहे हैं उसके कारण जिस प्रकार से हमारे यहां अंग्रेजी भाषा ने सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में प्रवेश कर लिया था हिन्दी ही मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रान्तों की भाषा नहीं बन पायी और अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग भाषायें बोली जाती हैं इस कारण बहुत सी कठिनाइयां हो जाती है। देश के इन्टेग्रेशन की दृष्टि से जब तक हिन्दी भाषा सब प्रान्तों में और खास कर दक्षिण भारत में समाविष्ट न हो जाय,

[श्री मथुरादास माथुर)

उसको ये लोग स्वीकार कर न लें, तब तक हिन्दी को उन पर थोपना देश के एकीकरण को, जो हमेशा के लिए हम कायम रखना चाहते हैं, तोड़ना होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसे प्रान्त हैं जिनकी राष्ट्र भाषा हिन्दी है और प्रान्तीय भाषा भी हिन्दी है उन लोगों के लिए इस विषय में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है लेकिन देश की एकता की दृष्टि से और देश के समूचे हित के लिए यह आवश्यक है कि अभी कुछ समय के लिए अंग्रेजी और हमारे देश में लागू रहे। इसी लिए पार्लियामेंट में भी इसको स्वीकार किया गया। पार्लियामेंट में इस विषयक आपत्ति उठाई गई थी। आर्टिकल २१० के अन्तर्गत ये अधिकार दिये गये हैं, वह यह कहता है :

"210. (2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a perlod of fifteen years from the commencement of this Coustitution, have effect as if the words 'or in English' were omitted therefrom."

इसी तरह का प्रॉवीजन हमारे संविधान में आर्टिकल १२० में है। पार्लियामेंट में, माननीय सदस्य जानते हैं, बहुत चर्चा हुई थी। देश के एकीकरण को रखने के लिए देश के आम लोगों में हिन्दी के प्रति प्रेम पैदा होने दें, उनमें उसके प्रति रुचि पैदा होने दें, देश के जो मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं वे यह मांग करते हैं कि कुछ हद तक हिन्दी दूसरे प्रान्तों में समाविष्ट न हो वहां वे लोग उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लें, सिद्धान्ततः इसको सब ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक इसको अमली रूप न पहिना दें तब तक के लिए पार्लियामेंट में भी इस विषयक संशोधन पेश कर उसको पास किया गया है। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल ३४८ मौजूद है। वह यह साफ कहता है :

"348. (I) Notwithstanding anythin in the foregoing provisions of this Part, uutil Parliament by law otherwise provides-

(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative text-

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all crdinances promulgated by the President or the Govern or of a State, and.

(iii) of all orders, rules regulations and-bye-l aws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

Shall be in the English language.

(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिए आज के दिन जब कि पार्लियामेंट ने इस चीज को एडॉप्ट कर लिया है इसका मायने यह होता है कि यदि हम यह बिल न लायें तो कठिनाईयां पैदा होंगी क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब अंग्रेजी में होंगे। ३४८ आर्टिकल संविधान का यह कहता है—बिल्स का ओरिजिनल टैक्स्ट अंग्रेजी में होगा हालांकि जैसा हमने माना है कि हिन्दी में उसका ट्रान्सलेशन होगा, लेकिन बाई-लाज जितने भी बनेंगे वे सब अंग्रेजी में बनेंगे। ऐसी सूरत में ऐसी कई कठिनाइयां पैदा हो जायगीं कि यदि ऐसा संशोधन न लायें तो या तो आर्टिकल ३४८ को स्क्रेप करना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेन्ट होंगे उनके लिए इस विधान सभा को अधिकार नहीं होगा और पार्लियामेन्ट को होगा। इसलिए आर्टिकल ३४८ जारी रखा है। हमारे लिए और कोई चारा नहीं रह जाता है।

हिन्दी के प्रति माननीय सदस्य का ही प्रेम नहीं है, हम सबका उसके प्रति प्रेम है-चाहे ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, हम सब साथियों की हिन्दी के प्रति बड़ी इज्जत है। आइडियेलिज्म से बात करने से काम नहीं चलेगा। आर्टिकल ३४८ मौजूद है और वह मौजूद रहता है तो बिल अंग्रेजी में लाना पड़ेगा। ऐसी सूरत में यह स्थिति रहती है कि जब पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया है तो सब ही प्रान्तों की विधान सभाओं में, सब प्रान्तों में और रियासतों में इस प्रकार का लेजिस्लेशन लाया जाय। ऑफिशियल लेंग-वेज हिन्दी देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। यह बात १५ वर्ष पहले रखी गई थी। १५ वर्ष पहले देश आजाद हुआ था। कोई हिन्दी के प्रति प्रेम नहीं है—ऐसी बात नहीं है, प्रेम था और आज भी है। लेकिन जो हालात मुल्क में उस वक्त थे और हैं, सबको साथ लेकर चलना था, एक इन्टीग्रेटेड हिन्दुस्तान बनाने का सवाल था। लैंगवेज इश्यू पर हिन्दुस्तान के टुकड़े हों, जबकि उत्तर और पश्चिम में और खास तौर पर उत्तर में हमारा दुश्मन बैठा हुआ है, इस स्थिति में देश में इस प्रकार की फिज़ां पैदा नहीं करनी चाहिये जिससे कि इस देश के जो रहने वाले हैं, खास तौर से दक्षिणी प्रान्तों के जो हमारे भाई हैं, सदर्न स्टेट्स हैं, बैंग-लौर, आदि, उनमें इस प्रकार की भावना पैदा हो जाय। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार का इन्टीग्रेटेड हिन्दुस्तान कभी नहीं हुआ था। इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब इन्टीग्रेटेड हिन्दुस्तान है और उसका एक शासन है। भाषा के लिए भावना में न बह कर यह पेट्रियोटिज़्म नहीं यह तो चुविनिज्म है, जिस प्रकार दक्षिण वाले यह समझते हैं कि हमारे ऊपर इम्पेरियलिज्म थोपना चाहते हैं हिन्दी के जरिए से, हमको काम करना चाहिए। देश के हित की दृष्टि से विचार करना चाहिये। यदि हम इस प्रकार के नारे लगाते हैं और इस प्रकार की बात करते है तो हम एक इन्टीग्रेटेड देश नहीं रख सकेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि उन प्रान्तों के साथी जिनकी प्रान्तीय भाषा हिन्दी और

(श्री मथुरादास माथुर)

अंग्रेजी दोनों हैं उनको साथ लेकर चलना होगा। राजस्थान का इतिहास कुर्बानियों का रहा है। देश के हित में राजस्थान को यह कुर्बानी करनी होगी।

माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है कि देश में आजादी और उसकी अक्षुण्णता को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है। देश हमारा इन्टीग्रेटेड रहे और दूसरे प्रान्तों में जो हमारे भाई रहते हैं वे यह न समझें कि हम उन पर जबर्दस्ती हिन्दी थोपना चाहते हैं। इसी नुख्तेनजर से यह बिल रखा गया हैं। १५ वर्ष पहले जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी उस पर पार्लियामेंट ने विचार कर लिया था और एटॉर्नी जनरल की भी राय ले ली थी। उसके भी विचार जान लिए गये थे इसलिये अब इसमें एडवोकेट जनरल की राय जानने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जाय इसकी इजाजत मुझे दी जाय। न तो इस बिल के जरिए से देश को बिगाड़ने की बात है और न ही भारत माता की इज्जत और उसकी आजादी पर कोई हमला है। यदि आपकी ओर से यही स्थिति रही और जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार की स्थिति कायम रखी जाय तो इसका अर्थ होगा कि मुख्तलिफ प्रान्तों के लोगों को साथ लेकर नये हिन्दुस्तान की जो हम तस्वीर बनाना चाहते हैं, उसकी एकता को कायम रखना चाहते हैं, उसको तोड़ने के लिए कुछ साथी इस प्रकार के जज्बात पैदा करना चाहते हैं। आइडियोलॉजी से कोई काम नहीं चलता है। हमको इसका प्रेक्टिक्ल व्यू भी सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मुझे इजाजत दी जाय कि मैं इस बिल को रख सकूं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा बिल आया है जहां कि हिन्दी बोलने वाले हैं। हमारा संविधान हमको मजबूर करता है इस प्रकार का बिल लाने के लिए। इससे हिन्दी के प्रति कोई सम्मान कम होने की बात नहीं है। हिन्दी को हम उसी इज्जत से देखते हैं जैसा माननीय सदस्य देखते हैं। देश की एकता को सामने रखते हुए यह बिल लाया गया है। इसलिए मुझे इसको इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाय।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मुझे मंत्री महोदय की गलत बातों का जवाब देना है।

श्री अध्यक्ष : आपको इसके लिये अवसर मिलेगा। इस समय इस स्टेज पर ज्यादा बहस नहीं हो सकती।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : Order, ! Order !! इस अवसर पर आपको मौका दिया जायगा तो जो आज की कार्यवाही निर्धारित है उसमें विलम्ब होगा। इस विधेयक पर विचार के लिये एक पूरे दिन का समय निर्धारित किया गया है उस समय आपको जो भी आपत्ति प्रस्तुत करनी हो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो कुछ कहना था इसके लिये अवसर दे दिया। अब इस पर आगे बहस नहीं होगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स आफ बिजीनेस

के रूल ६४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उसमें यह दिया हुआ है—

'If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the questien :

Provided that where a motion is opposed on the gronnd that the Bill iuitiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.

मैं इस संबन्ध में आपके सामने विचार रख रहा हूँ कि जो यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है इस विधान सभा की कॉम्पीटेन्स के बाहर है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल पर विचार करने के लिये पूरा मौका दिया जाय आया सदन को यह अधिकार है या नहीं, वह इस पर विचार कर सकता है या नहीं। इसके लिये मैं आपका ध्यान संविधान को अनुच्छेद २१० (३) और (२) की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें साफ साफ कहा गया है—

"210. (2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencemt of this constitution, have effect as if the words, or in English' were omitted therefrom."

इस आधार पर इस लेजिस्लेटिव असेम्बली ने जो एक्ट बनाया आज उसको रिमूव करने के लिये, उसको डिलीट करने के लिये इस बिल को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं जो विधान के कतई विपरीत है। इस विधान सभा को का अधिकार प्राप्त नहीं है कि विधान का उल्लघंन करते हुए किसी भी तरह से इस बिल पर विचार करें। आज जो बिल आ रहा है या इस विधान सभा में लाया जा रहा है। उसके द्वारा अंग्रेजी भाषा को जो विधान में परमिट किया है जिसकी अवधि १५ साल तक रखी गई थी, और कहा है कि इससे ज्यादा यह भाषा काम में नही आयेगी, उसको बाई ला इनेक्टमेंट करने के पावर दे रहे हैं रीजन्स जो इसमें दिये हैं। क्योंकि हमारे मंत्री महोदय जो इंगलिश को बहुत प्यार करते है। इसलिये रीजन्स भी अंग्रेजी में दिये है—

"It is considered necessary to to provide..."

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो प्यार है लेकिन आप तो अंग्रेजी में मत कहिये।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अंग्रेज तो चले गये लेकिन उनके बच्चे कच्चे रह गये उन पर अपनी भाषा का असर छोड़ गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप भी तो कोर्ट्स में बहस अंग्रेजी में ही करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसमें रिजन्स जो दिये हैं वे इस बात के लिये नहीं दिये हैं कि यह

Page No. 42

(श्री मथुरादास माथुर)

क्यों ला रहे हैं। आप कहते हैं कि विधान सभा के काम के लिये इसकी जरूरत है, ३४८ का भी उल्लेख किया है। ३४८ के अन्तर्गत विधान हमें अधिकार देता है कि अगर कोई विधान सभा के नियम बना दे कि उसकी आफिशियल लैंगवेज उसकी प्रादेशिक भाषा होगी, हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उनको बचाकर रखा है। धारा सभा का सारा कार्य हिन्दी में चलेगा उसके बाद में यदि आवश्यक हो तो उसका ट्रान्सलेशन गवर्नर या राज प्रमुख की स्वीकृति से कर सकते हैं। यहां पर जो हमारा कानून है उसके अनुसार यहां का कार्य हिन्दी में होगा। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या विधान सभा में ऐसा माननीय सदस्य है जो हिन्दी में बोल नहीं सकता। आज तक का हमारा विधान सभा का इतिहास बताता है कि यहां पर एक भी सदस्य ऐसा नहीं जो हिन्दी न बोल सकता हो तो फिर यहां पर अंग्रेजी से काम चलाने से क्या मतलब है? हो सकता है, हमारे न्याय मंत्री महोदय के पास जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वे हिन्दी में कार्य न कर सकते हों, कुछ ऐसे भी लोग उनके इर्द गिर्द हो सकते हैं जो हिन्दी को तुतला कर बोलते हों। उनको भी एक वर्ष का समय हिन्दी सीखने के लिये नहीं मिल सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। विधान के विपरीत, सारी परम्पराओं के विपरीत, जन-भाषा की की अवज्ञा करते हुए जो यह बिल लाया गया है वह राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब हमने हिन्दी को अपने प्रान्त की भाषा मान लिया है, हमारा प्रान्त हिन्दी भाषी प्रधान रूप से है वहां इस डर से संशोधन लायें कि दक्षिण के लोग इससे नाराज न हो जायें--यह और भी बुरी बात है। मन्त्री महोदय, यह कहते हैं कि इससे देश एक सूत्र में बन्धेगा। मेरा तो यह मानना है कि आज देश के टुकड़े इसी आधार पर करना चाहते हैं। अगर हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया होता तो देश की एकता सुदृढ़ होती। यदि दक्षिण के लोग हिन्दी में काम नहीं कर सकते हैं तो वे अपनी प्रादेशिक भाषा में कर सकते हैं। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही हो सकती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिल लाया है वह संविधान के विरुद्ध है और हमारे रूल्स आफ बिजीनेस के रूल्स ६४ के अनुसार भी हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इस विषय में हम विचार करने की सीमा में आते हैं या नहीं इस बारे में यहां एडवोकेट जनरल को बुला कर राय ली जाय तभी इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत दी जा सकती है अन्यथा नहीं।

श्री बिरदाराम कुलवारिया (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह सुझाव है कि हमारे यहां पर अंग्रेजी के बजाय हिन्दी कायम रहनी चाहिये। इसके बिना देश को बहुत हानि पहुंचेगी इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमारे काम-काज के लिये हिन्दी रहनी चाहिये। हिन्दी के बिना देश को नुकसान पहुंचेगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : 'दा साहब' बड़े देश-भक्त हैं और हिन्दी के बड़े

(श्री मुकट बिहारीलाल गोयल)

पक्षपाती रहे हैं, गान्धी जी के साथ भी उनका सम्पर्क काफी रहा है। उनके इस बारे में क्या विचार हैं वे भी प्रगट कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है और जिस धारा की ओर ध्यान दिलाया, जब संविधान की बात उठायी जाती है तो बहस होनी चाहिए इसी बात को ध्यान में रखते हुऐ सदन का इतना समय लिया गया। फिर भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे इसको ध्यान में रखकर इस पर विचार करने के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है, उस समय में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आज भी आप इस पर बहस करना चाहें तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह नहीं मानता कि सदन के माननीय सदस्य ऐसा चाहेंगें क्योंकि आज के लिऐ जो कार्यक्रम निर्धारित है वह भी बहुत प्रमुख विषय है। उसको पूरा करना भी सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल है। अतः जो प्रस्ताव रखा गया है उसको मैं मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने के लिए मौका दे दिया गया आप बैठ जाइये।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मेरे लिए कुछ बर्दाश्त के बाहर की चीज है। यह जो काला कानून बनाया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : यह तो आप दो तीन दफा कह चुके हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज-भाषा (संशोधन), विधेयक, १६६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

'हां' पक्ष जीता

श्री विजय सिंह झाला (नाथ द्वारा): 'ना' पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : तो खड़ा करके वोट गिन लिए जांए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस बिल पर चाहे आप सदन में खड़ा करके वोट लेने का आदेश दें या विभाजन करके लेकिन इसमें यह साफ है कि जिस प्रकार ध्वनिमत हुआ है ट्रेजरी बेन्चेज पर जो पीछे बैठे हैं उन्होंने इसमें मौन रखा है। ध्वनिमत को माना जाय तो इसमें 'ना' पक्ष जीता है।

श्री मथुरादास माथुर : वोट डलवा दीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा :(श्री नाथूराम मिर्धा से) धान्धलेबाजी ज्यादा चलने वाली नहीं है यह तो सरकार डूबेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं यह राज्य तो इसी प्रकार चलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराणा : न आप ज्यादा दिन चलने वाले हैं और न आपका यह राज्य चलने वाला है।

श्री मुकुटबिहारी गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह स्वतन्त्रतापूर्वक मत विभाजन नहीं हुआ। मन्त्री महोदय ने आखें दिखा दिखाकर और डरा डराकर अपनी तरफ के लोगों को खड़ा होने के लिये कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want division on this, Sir.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य डिविजन चाहते हैं, पर आपकी तरफ से दूसरों ने कहा है कि खड़े होकर भी मतदान कराने को तैयार हैं। आप डिविजन क्लेम कर लीजिये। आपके अधिकार में है। चाहें तो कर सकते हैं।

(विराम)

कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइये जो इसके विपक्ष में होंवे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इससे आज का दिन....

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मुकुटविहारी गोयल : मैं बोल रहा हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यहां की यह परम्परा रही है कि जब इन्ट्रोडक्शन होता है तो अपोज नहीं किया जाता, इन्ट्रोडक्शन की स्टेज़ पर। पर वह दूसरा चान्स है जब कि अपोज किया जा रहा है। विरोधी सदस्यों से भी कहूँगा कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर कभी भी विरोध नहीं करना चाहिये। यह बिल जो सरकार ला रही है, इनमें सेन्टीमेन्ट्स से काम नहीं चलता है, इसलिए यह देखना चाहिये हमें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, मैं इस बारे में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि यह सही है कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर साधारणतया विरोध नहीं होता, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। हम हिन्दी की मांग कर रहे हैं। इस विधान सभा के सिर्फ बीस प्रतिशत सदस्य अंग्रेजी जानते हैं और ८० प्रतिशत नहीं जानते और जो बीस प्रतिशत भी अंग्रेजी जानते हैं वे हिन्दी भी जानते हैं, तो इस सदन में शत प्रतिशत सदस्य हिन्दी जानने वाले हैं-यह भी कहें तो गलत नहीं होगा, फिर इस राजस्थान की दो करोड़ जनता में से एक लाख आदमी भी मुश्किल से ऐसे होंगे जो अंग्रेजी जानते हों इसलिये यह हमारी भावनाओं का गहरा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हुए, वैसे इसकी गुलामी से भी हमें निजात मिले। इस बिना पर हमने इसका विरोध किया है और हम समझते हैं कि इसका विरोध

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना ही काफी नहीं है पर आपने जो ऑफ-शियल लैंगेवेज बिल इन्ट्रोड्यूस किया है इसके इन्ट्रोडक्शन के विरोध में अपना तीव्र प्रतिरोध जाहिर करने के लिये हम इस सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह झाला : आज का दिन राजस्थान के लिये अत्यन्त अपमान का दिन होगा। राजस्थान के इतिहास में आज का दिन काले दिन के रूप में याद किया जावेगा। बावजूद इसके कि मुख्य मन्त्री-जी द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया गया था कि राजस्थान का प्रशासनिक कार्य ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में होगा। यह काला कानून आज यहां लाया जा रहा है। सरकार ने हिन्दी में काम-काज चलाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी आज हिन्दी में काम नहीं होता। आज का दिन हिन्दी भाषा-भाषियों के लिये कलंक का दिन और अपमान का दिन होगा। हमारा दल इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। इसलिये हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हमारे दल का, अध्यक्ष महोदय, यह मत है कि हमारे स्वतन्त्र देश में हरेक प्रान्त में प्रादेशिक भाषाओं मे वहां का सरकारी काम काज करना चाहिये और जहां तक राष्ट्र की भाषा का सवाल है अन्तर्प्रान्तीय कार्य राष्ट्रीय भाषा में होना चाहिये। अब जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, सौभाग्य से हमारी प्रान्तीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा एक ही इसलिये यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान में जहां हिन्दी भाषा ही प्रादेशिक भाषा है और राष्ट्रभाषा भी वही है, वहां इस भाषा को आंग्ल भाषा को, विदेशी भाषा को तबकर अपना लिया जाय। पर यहां की सरकार की जो प्रतिगामी नीति है इससे बुनियादी विरोध है हमारा हालां कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन्ट्रोड क्शन स्टेज पर विरोध नही करना चाहिये, पर मैं इसे असाधारण परिस्थिति मानता हूं, और बुनियादी तौर से इस प्रकार का एन्निशस बिल लावेंगे तो हर स्टेज पर उसका विरोध करना पड़ेगा। हम प्रोटेस्ट के रूप में इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : माननीय सदस्य श्री हरिरामजी नहीं जावेंगे, वे उनके साथ नहीं हैं।

पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री सामान्य प्रशासन) : मैं राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अन ओथोराइज्ड ऑकूपेन्टस) बिल, १६६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन आफ अनओथोराइज्ड आकू-

(श्री अध्यक्ष)

पेन्ट्स) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एवं वेलिडेशन) बिल, १९६४ पर समिति का प्रतिवेदन, स्मृतिपत्र सहित उपस्थित करता हूं।

खाद्य स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री अध्यक्ष : राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार। श्री मुरलीधर व्यास अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की स्थिति पर और फूड सिचएशन पर हमारे कई सम्माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वतन्त्र दल और दूसरे दलों की ओर से बड़ी अच्छी तरह से विचार प्रकट किये गये हैं। इन विचारों में जिन तथ्यों को प्रकट किया गया है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी इनके अतिरिक्त जो बातें हैं वे मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं उन तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मैं खास कर एक बात महसूस कर रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर समस्या का समाधान होने की बातचीत सोची जा रही है तो क्या केवल आंकड़ों के आधार पर समस्या का समाधान हो सकता है ? आज राजस्थान की और देश की इस सम्बन्ध में जो स्थिति है कितना अनाज हमारे यहां है, क्या स्थिति है उसकी, किस प्रकार से वह जावेगा, आवेगा और किस प्रकार से क्या समाधान होगा ? जहां तक हम मानते हैं १२ लाख टन अनाज हमारे राज्य के पास में है और आठ लाख टन आना चाहिये इसकी पूर्ति किस प्रकार से हो-इस पर ही सारा समाधान निर्भर है। ये आंकड़े जरूरी हो सकते हैं पर इससे समाधान नहीं हो सकता। समाधान के लिये तो मैं यह समझ पाया हूँ कि इस समय १७, १८ साल के बाद में जबकि हमारे देश के अन्दर हम १९४९ में कहा गया था कि हमारे देश को हम १९५१ में खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर कर देंगे, पर १९५१ में नहीं कर सके, १९५६ में फिर इस बात को दोहराया, पर तब भी नहीं कर सके, १९६१ में फिर कहा पर तब भी नहीं हुआ आज स्थिति यह होगई है कि विदेशों से बाहर से ५ अरब रुपयों की कीमत का अनाज मंगाना पड़ रहा हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि बाहर से अनाज मंगाना गुलामी से भी बदतर बात है। इसी आधार पर उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। पर आज जिस देश के अन्दर हमने इतने वायदे किये, इतनी बातें की वे सब बेकार गईं। आज तो यह स्थिति है कि आंकड़ों के आधार पर आप अपने को कितना ही सन्तोष दे लें, लोगों को बहका

(श्री मुरलीधर व्यास)

लें, भ्रम में उनको डाललें, पर वास्तविक हालत का समाधान नहीं होगा। क्योंकि यहां किसके पास कितना अनाज है इसके भी आंकड़े आपके पास नहीं हैं, और फिर जो बाहर जा रहा है अनाज वह भी आप रोक नहीं सकते। न आपके पास रोकने के साधन हैं, न ताकत है। पहले तो केन्द्र स्टेट को यह कहता आया था कि राज्य की जनता के अनाज के सम्बन्ध में राज्य का पूर्ण उत्तरदायित्व है। एक तरफ तो उत्तरदायित्व हमारे पर, दूसरी तरफ केन्द्र ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दीं कि वे उस उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकते और जो स्थितियां केन्द्र ने उत्पन्न करदीं उनका निराकरण करने की हिम्मत इस स्टेट सरकार मे नहीं तो इस लिये जहां तक संकट की स्थिति के समाधान का सवाल है, वह हो नहीं सकता। आज की परिस्थितियां ही ऐसी हैं। दूसरी ओर, जो भी अनाज वितरण की व्यवस्था है राज्य में उससे सभी परेशान हैं। उचित व्यवस्था नहीं है। फिर इसके अतिरिक्त जो कोर्स अन्न, जो प्रमुख खाद्यान्न हैं इस प्रान्त के उनके भी बाहर जाने की छूट देदी गई है। इसके अतिरिक्त २ लाख ८३ हजार टन अनाज आपने अब तक वितरित किया है चीप ग्रेन शाप्स के द्वारा; क्या इसी से इस सारी समस्या का समाधान होना आप समझते हैं ? मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप २ लाख ८३ हजार टन अनाज, जो कि चीप ग्रेन शाप्स के अन्तर्गत वितरण किया है, क्या राजस्थान की दो करोड़ जनता जिन्दा रह सकती है ? राज्य के अन्दर जनता की माली हालत खराब है। जहां अकाल पड़ा हुआ है, जहां लोगों के पास खाने को नहीं है वहां सिर्फ २ लाख ८३ हजार टन आप जनता को खाने को दें तो आप स्वयं ही सोचें राजस्थान की जनता कैसे जिन्दा रहेगी ? राज्य की सही स्थिति यह हो गई है कि चाहे आप गांवों में जायें या कहीं भी जायें लोगों को अच्छी तरह से खाने को अनाज नहीं मिलता है। कल ही कांग्रेस के एक माननीय सदस्य, जो कि आसींद क्षेत्र से आते हैं, वहां के बारे में कह रहे थे कि वहां कि स्थिति बहुत अच्छी है। यह बात सत्यता से बिल्कुल परे है। मैं भीम और आसींद क्षेत्र की ही बात कहना चाहता हूँ कि वहां पर आज भी लोगों के पास खाने को नहीं है और उधर की ओर कई इलाके तो ऐसे हैं कि जहां लोग घास की रोटियां बनाकर और खाकर अपने दिन बिता रहे हैं। अगर यह बात गलत है तो आप एक कमेटी बैठा दें ताकि मौके पर जाकर देख लें कि वहां की हालत क्या है और वहां लोग कैसे जिन्दा रह रहे हैं ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कहां पर है ऐसा ?

श्री मुरलीधर व्यास : आसींद क्षेत्र के बारे में कह रहा हूँ कि वहां की हालत क्या है ? मै दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं करता। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कांग्रेस के, जो कि आसींद क्षेत्र से आते हैं, कि वहां की हालत बहुत अच्छी है, वहीं के बारे में मैं कह रहा हूं। जहां तक दूसरे क्षेत्रों का ताल्लुक है मैं स्वयं कई जगह गया हूं वहां पर न तो चीप ग्रेन की शाप्स हैं और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। अलवर के आसपास बहरोड़ है मैं वहां अभी होकर आया हूं। वहां पर चीप ग्रेन शाप नहीं है तो आज मंहगाई के अन्दर

(श्री मुरलीधर व्यास)

किस प्रकार से लोग जी सकते हैं ? आपने कहा कि हमने चीप ग्रेन शाप्स खोली हैं। आपने स्टेटमेन्ट में आगे कहा है कि ६ हजार से १२ हजार की आबादी के बीच में हम एक चीप ग्रेन शाप खुलवायेंगे। आप अन्दाजा लगायें कि इतनी सी दुकानें किस प्रकार से जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध करा सकती हैं ? मैं आपसे कहूं कि आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और आप कहते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। स्वयं आपके कांग्रेसी एम. एल. ए. ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है कि मेरे यहां स्टार्वेशन के कारण मौत हो चुकी हैं। मैं कहूंगा तो शायद आप मेरी बात को नहीं मानें लेकिन एक कांग्रेसी एम. एल. ए. ने मुख्य मंत्री जी को इस प्रकार का पत्र लिखा है। अभी सीकर के पास, पत्रों में आपने पढ़ा होगा, एक महिला राशन लेने आई, वह राशन नहीं ले पाई और उसकी मौत हो गई। आप यह न समझें कि हालत अच्छी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो आज स्थिति है उसके अन्तर्गत इस प्रकार का कोर्स अनाज बाहर चला जा रहा है जिसके ऊपर लोग जिन्दा रहते हैं। उदयपुर और मेवाड़ में चले जाइये वहां पर मक्का लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वहां पर मक्का नहीं मिलने के कारण सारे लोग त्रस्त रहते हैं। जहां तक राजस्थान की स्थिति का सवाल है वह बहुत भयंकर है और वह इतनी भयंकर है कि जिस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत होता है, जिसमें विस्फोटक तरीके का बारूद पड़ा है और किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति हमारे राजस्थान की आज बनी हुई है। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। कुछ लोगों का विचार हो सकता है कि बारबार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी भी हमारे मंत्री महोदय ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप यह बतायें कि साल में कितनी दफा अनाज की मंहगाई के इश्यू के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया गया, कितनी दफा आपने आश्वासन दिये और आपने कितनी दफा कहा कि हम एक पाई भी अनाज की कीमत नहीं बढ़ने देंगे और कितनी दफा आपने कहा कि हम इस मामले में अडिग हैं और परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे ? यह कहने के बावजूद भी आपने इस ओर एक कदम भी नहीं उठाया। आप कहते हैं कि हम सस्ते अनाज की दुकानें खोलेंगे। मैं कहता हूं कि सरकार सोती रही और अनाज के भाव बढ़ते रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि हर चीज के भाव बढ़ गये हैं। अगर आप लाल गेहूँ बिकवायें तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको इस मामले में फेयर प्राईस शाप्स इतनी खोलनी चाहिए कि जिससे आवश्यकता की सारी चीजें मिल सकें-अनाज, गेहूँ, दालें, गुड़, चाय, माचिस वगैरह। अगर आप इस प्रकार की दुकानें नहीं खोलते तो किसी प्रकार से आज की मंहगाई में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। आपकी चीप ग्रेन शाप्स का मतलब यह होना चाहिए कि उचित मूल्यों की दुकानें जगह जगह खुल जायें और जो रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह उचित दामों पर मिलें। वहां पर कम से कम रुपये का २ किलो अनाज आपको देना चाहिये—चाहे गेहूं का सवाल हो चाहे और किसी का सवाल हो। आप दाल का सवाल क्यों नहीं लेते ? हमारे यहां राजस्थान में कई गावों में

(श्री मुरलीधर व्यास

सब्जी नहीं होती और यही कारण है कि गांवों में अधिकत्तर दाल ही खाई जाती है। आप दाल का भाव लो आज बीकानेर में एक किलो १ रुपया ४ आना में मिलती है। तेल के मामले को ही लें। अब तेल बाहर से आना बन्द हो गया है, गुजरात से तेल आना बन्द हो गया है, और तेल के भाव इस प्रकार से बढ़ गये हैं कि साधारध आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। तो जो आपकी चीप ग्रीन शाप्स हो वहां पर तेल भी एक रुपये का कम से कम ८ छटांक याने दो रुपये का एक किलो मिलना चाहिये। यह दाम आपके द्वारा निर्धारित होने चाहिए। दूसरे माचिस और इसके सम्बन्ध में तो क्या कहूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैंने एक आदमी बाजार में भेजा तो जो हर चीज की रेट लिखी हुई है उससे ज्यादा में मिलती है। जो आपके यहां रेट्स निर्धारित हैं और जो दुकानों पर टंगी हुई हैं उनसे ज्यादा कीमत पर आज चीजे मिल रही हैं। जितने भी आपने आश्वासन दिए विधान सभा में उनको आपने किसी तरह से पूरा नहीं किया है। आपने जो रिपोर्ट दी है उससे हमें विश्वास नहीं है। आपने जो कुछ बातें कहीं हैं उनको आपने पूरा नहीं किया है। आज की परिस्थिति में कोई माने या न माने-इन सारी चीजों की जिम्मेदारी राजस्थान के मन्त्रीमण्डल की है और मंत्री महोदय की है जिनके पास यह विभाग है। उन्होंने आश्वासन दिये लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। अगर आप में थोड़ी बहुत भी नैतिकता है और आप सोचते हैं कि आश्वासन दिये थे लेकिन हम कदम नहीं उठा सके और आप परिस्थति को काबू नहीं कर सके तो आपको मंत्री-मण्डल को छोड़ देना चाहिए। हमारी तो धारणा है इसको सम्बन्ध में आज की कांग्रेस हुकूमत आज जो इस प्रकार की मंहगाई और भ्रष्टाचार की समस्या है उसका किसी प्रकार से समाधान नहीं कर सकती। अगर इसका कोई हल है तो यही है कि आपको अपने स्थान से चले जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा हल नहीं है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उचित मूल्य की दुकानें नहीं खोलेंगे—आप सहयोग की बात करते हैं, हम बराबर आपके साथ सहयोग करेंगे लेकिन आपने दुकानें नहीं खोलीं तो चाहे कुछ भी हो हमको चाहे आन्दोलन करना पड़े पर हम यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने आवश्यकता की वस्तुओं की उचित व्यवस्था नहीं की तो हम अपना कदम उठायेंगे की और हमारा कदम यह होगा कि हम हर दूकान पर जाकर कहेंगे कि आप १ रूपये का दो किलो अनाज दो—चाहे दाल हो, गेहूं या दूसरी चीज हो, इस प्रकार से कम से कम अनाज एक १ रुपये का दो किलो मिलना चाहिए। दूसरी आवश्यक वस्तुयें भी नियंत्रित मूल्य पर मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई तो हम वहां पर पैसे जमा करा के उस हिसाब से जनता को चीजें दिलवायेंगे। चाहे आप उसको कहें कि आपने तो हमारे खिलाफ एक पेरेलल गवर्नमेन्ट कायम कर दी है, चाहें आप कहें कि कानून के खिलाफ काम करते हो। मैं कानून के खिलाफ काम करने की बात नहीं करता। मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप चाहें यह कहें कि संविधान के खिलाफ यह काम हो रहा है। मैं संविधान के विपरीत का सवाल नहीं करता हूं, लेकिन अगर राज्य के अन्दर कहीं गल्ला है और सरकार को बारबार बताने के बाद भी यह स्थिति हो कि गल्ला देने को मना कर दें। वहां पर सरकार प्रबन्ध नहीं करे और लोग भूखों मरते रहें तो अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हम संकट--कालीन परिस्थिति में आपका सहयोग देते हैं। लेकिन आप उसके विपरीत सोच सकते हो। अजमेर में ८, ६, १०, और १२ के अन्तर्गत बहुत से लोगों ने माल रखा हुआ था वहां पर लोगों ने पुलिस को बताया, अधिकारियों को बताया, और जब लोगों को माल नहीं मिलने लगा तो वहां पर हजारों आदमी जमा हो गए और फिर बाद में वहां से माल निकला। आज भी यह बातें चल रही हैं। तो जहां तक इस मसले का सवाल है आप चाहे इसको विपरीत समझें परन्तु इस मामले में यह कदम उठाना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जहां तक महंगाई के सवाल को हल करने का सवाल है, उसमें नाज का का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है उसके सम्बन्ध में हमारी पार्टी ने बराबर आपके सामने सुझाव रखे हैं और बार-बार रखते रहें हैं। वह सुझाव हमारी पार्टी की तरफ से यह हैं कि एक भूमि-सेना होनी चाहिये ताकि जो बन्जर जमीन है उसको जोतें और उसको जोत कर प्रोडक्शन बढ़ायें। वर्षों से सुझाव दिया जा रहा है पर कोई मानता नहीं है। जमीन बेकार पड़ी रहती है। उसका उपयोग नही होता हैं।

दूसरा सुझाव हमारी पार्टी की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से आया है कि बैंकों की सीमा बान्ध दी जाय कि कितना पैसा एडवान्स व्यापारियों को दे सकेंगे। एक छोटी सी बात थी जिसको बहुत जल्दी सरकार कर सकती थी। उसका भी असर होता, परन्तु इस ओर भी कदम नहीं उठाया।

जहां तक दूकानों का सवाल है हमारी मांग है कि कम से ३ हजार के बीच में एक उचित मूल्य की दूकान खुलनी चाहिए। जिस प्रकार से एक पंचायत होती है, एक पंचायत का क्षेत्र उस क्षेत्र के अन्दर एक दुकान कम से कम होनी चाहिए और वहां पर उचित मूल्य पर हर चीज मिलनी चाहिए। यह काम उसके साथ में चलना चाहिए।

हमारी पार्टी ने यह भी सुझाव दिया था कि जो सबसे बड़ा काम होता है, सट्टा होता हैं उसका असर होता है। आपके यहां भी सट्टा चलता है नाज का, तेल का। पहले से खरीद कर लेते हैं। माल का लेन-देन इस प्रकार से चलता है जिसको हर सरकार रोक सकती है, परन्तु इस सट्टे को रोकने लिए सरकार कदम नहीं उठाती है। आज तक कोई कदम उठाया हो तो बतायें।

आज सबसे बड़ी बात होर्डिंग की हो रही है। अभी प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस सवा-डेढ़ महीने में रिज़र्व बैंक को जो चुकारा करना पड़ा है वह पहले से दुगुना करना पड़ा है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग कितना होर्डिंग कर रहे है। जब दुगुना हो गया तो अन्दाजा लगा सकते

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। किसी प्रकार से होर्डिंग को रोकना चाहिए।

हमारी पार्टी ने भी सुझाव दिया है और दूसरे लोगों ने भी सुझाव दिया है कि सैल्स टैक्स नाज पर से हटा लें। सैल्स टैक्स को हटा लेते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के नाकों पर चुंगी कटाई जाती है, दूसरे इन्डाइरेक्ट टैक्सेज हैं उनको कम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका असर नाज की महंगाई पर जाकर पड़ता है। उसके कारण भी महंगाई है। इस महंगाई को कम करने लिए इन टैक्सज़ को कम करना चाहिए इनका चार रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से असर हो सकता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : टैक्सेज़ कितने हैं?

श्री मुरलीधर व्यास : दो रुपये प्रति सैंकड़े का तो आपको पता ही है कि सैल्स टैक्स है दूसरे म्युनिसिपैलिटी का अलग से टैक्स लगता है। तो बाहर से जो चीजें यहां पर आती हैं जैसे कि पंजाब से आती है तो वहां पर दो रुपया वह और ले लेते हैं, खैर, अभी वहां से नहीं आती है। टैक्सेशन का असर काफी होता है। सरकार इस संकट-कालीन स्थिति में भाव कम करना चाहती है, लेकिन अपनी तरफ से त्याग नहीं करना चाहती है। आपका हमेशा बजट घाटे का होता है। घाटे का बजट करते हैं तो उसके कारण भी भाव बढ़ते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्यों घाटे का बजट बनाते हैं बार बार? यह बुनियादी करण भाव बढ़ने का है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपने इन सुझावों में से एक भी सुझाव का पालन नहीं किया है। आपने कोई कदम नहीं उठाया है। उसके बाद भी यह कहते हैं कि विरोधी दल के लोग सहयोग नहीं करते हैं। आखिर, सहयोग किस पॉइन्ट पर हो सकता है?

आप स्टेट ट्रेडिंग और सहकारिता की बात करते हैं....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : आप काश्तकार से गल्ला किस भाव पर लेना चाहते हैं? कम से कम वह भाव तो निर्धारित कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : काश्तकारों के सम्बन्ध में हमारी पार्टी की यह नीति है कि जिस समय खेत बोये जाते हैं उस समय सरकार को भाव निर्धारित कर देना चाहिए और फसल जब आती है उस समय इस तरीके से जो भाव निर्धारित कर देने चाहिए कि भाव नहीं बढ़े।

श्री गोविन्दसिंह : आपकी पार्टी क्या भाव निर्धारित करना चाहती है?

श्री मुरलीधर व्यास : आपको अभी सदन में श्री रामकिशनजी ने बताया है कि २० रु० से ऊपर किसी भी हालत में भाव नहीं जाने चाहिए। एक रुपये के दो सेर बहुत समझते हैं। उससे मात्रा कम नहीं होनी चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : किसानों को क्या दिलाना चाहते हैं?

Page No. 52

श्री मुरलीधर व्यास : किसानों के मामले में अर्ज करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के अन्दर यह भ्रम पैदा किया जा रहा है तो आप बताइये कि राजस्थान में कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन है, कितने ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है और कितने ऐसे हैं कि जिनके पास १ या २ एकड़ जमीन है। यह बात आप उन किसानों के लिए कह सकते हैं परन्तु छोटे किसानों के पास नहीं हैं। घर में नाज और उनको बाजार से लाकर खाना पड़ता है। इसलिए किसानों का जहां तक सवाल है हम कहना चाहते हैं कि किसानों के आंकड़े बता दें कि कितने किसान जमाखोरी कर सकते हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि ७० प्रतिशत जो किसान हैं उनमें से ५ प्रतिशत किसान इस प्रकार के होंगे कि जो बहुत ज्यादा संग्रह कर सकते हैं। दूसरे किसानों के पास संग्रह करने की गुन्जायश नहीं है। संग्रह की बात मैं आपसे कहूं कि आपके क्षेत्रों में संग्रह कई बड़े बड़े अफसरों ने किया है। बूंदी इलाके के अन्दर बिहारीलाल गुप्ता एक मामूली अफसर है उसके पास से हजारों मन गल्ला निकला है। गल्ला आफिसर भी रखते हैं और कुछ बड़े किसान भी रखते हैं जहां तक गल्ला रखने का सवाल है देश के अन्दर संकटकालीन परिस्थिति के अन्दर, चाहे कोई भी सरकार हो क्योंकि देश के संकट की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है और इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि उचित मूल्य पर किसानों को उनके काम की कारखानों की चीजें मिलें। जो बात आप दूसरी जनता के लिए करते हैं तो जो जनता को मिलना चाहिए उचित मूल्य पर तो किसानों को भी मिलना चाहिए। इस प्रकार का यदि आप प्रबन्ध नहीं करेंगे तो वह भी मर जायेंगे। जहां तक इस मामले पर हमारी नीति है वह बिल्कुल स्पष्ट है।

मै कहना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। बार बार आश्वासन देते हैं और वायदा करते हैं। वायदों पर जनता जीवित नहीं रह सकती जनता को जीवित रखने के लिए सक्रिय कदम हिम्मत के साथ उठाने चाहिए। जिन लोगों के पास में नाज भरा हुआ है, जो बराबर रिपोर्ट नहीं देते हैं, जो बराबर आंकड़े नहीं देते हैं उनकी कठोरता के साथ निश्चित रूप से रिपोर्ट आनी चाहिए। कोई आदमी झूठी रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तब जाकर आप इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। अगर आपने इस प्रकार का कदम नहीं उठाया तो मै अर्ज करना चाहता हूं कि स्थिति बहुत भयंकर है और इससे भी ज्यादा भयंकर हुई तो आप चाहे कहें कि विरोधी दल के लोग चिल्लाते हैं, इस प्रकार की बातें कहते हैं लेकिन इस संकट कालीन परिस्थिति में हम जनता को भड़काना नहीं चाहते। हम कहना चाहते है कि भ्रष्टाचारियों को हिम्मत के साथ खत्म करो जिनके कारण से उचित मूल्य पर चीजें नहीं मिलती है।

चने के मामले में हम यह कहते हैं कि बाहर को कितना गया। तो मैं आप को बताता हूँ कि सूरतगढ़ (शेखावाटी) जो कि प्रॉडक्शन एरिया नहीं, परन्तु वहां से चना बाहर कितना

(श्री मुरलीधर व्यास)

गया है आप रेलवे वेगन से यह पता लगायें। वहां से लाखों मन चना बाहर गया है। आपका कहना है कि जहां प्रॉडक्शन होता है वहां से गया है, लेकिन जहां प्रॉडक्शन नहीं होता है वहां से लाखों मन चना गया। मेरी बात गलत हो तो आप वहां के रेलवे स्टेशन से पता लगायें कि कितना चना किस किस ने बाहर भेजा है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। चाहे उसमें रेलवे वाले मिले हों या मन्त्री मिले हों। मैं यह नहीं कहता हूं, परन्तु इस मामले की जांच करा सकते हैं।

सहकारिता का आधार महत्वपूर्ण हम मानते हैं। सहकारिता के आधार पर क्रय विक्रय-संघ के बारे में जो बातें आती हैं, मैं मानता हूँ कि उससे व्यापारियों को इन्डाइरेक्ट धक्का लगा हो क्यों कि वह भी शायद उसके अन्दर हों पर मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि वहां पर गड़बड़ियां नहीं हुई हैं बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। आप सहकारिता के आधार को मानते हैं तो उसके लिए आपको फैसला लेना चाहिए कि क्रय विक्रय संघ की जुडीशियल एन्क्वायरी करायेंगे, जिन लोगों ने बुरा काम किया होगा, जिन लोगों ने आम जनता को गुड़ जिस भाव में पहुँचाने का सवाल था उसमें भ्रष्टाचार करके ज्यादा मंहगा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी, तब हम समझेंगे कि आपने कुछ किया है। सहकारी संघ के पास से गुड़ गया तो उसके भाव १२-१५ रूपये कम हो गये। तो यह बहुत बुरी परम्परा है सहकारिता के नाम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग में आज की सरकार, जो कि समाजवाद के उसूल को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहती है, भ्रष्टाचार के कारण बिल्कुल नाकामयाब हुई है।

और जब तक आपकी सरकार इस कुर्सी पर है तब तक किसी भी हालत में समस्या का हल नहीं हो सकता। इसका हल एक मात्र, हमारी पार्टी मानती है, आपकी सरकार का हट जाना ही है। यही जनता का समाधान है। इसके बिना यहां समाजवाद नहीं बढ़ सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मंत्री जी ने सरकार की खाद्य नीति और खाद्य समस्या के संबंध में जो स्टेटमेन्ट इस सदन के माननीय सदस्यों को दिया है उसे मैंने बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश की है। और उसको पढ़ने के बाद उससे जो जानकारी मिली, उसके अतिरिक्त और अनुभव हमें इस सिलसिले में पिछले दिनों में प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सरकार का यह वक्तव्य एक असफलताओं से भरा हुआ, फरेब से भरा हुआ और एक मुजरिमाना असामाजिक तत्वों के गटबंधन से भरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य ने जो आगे, भविष्य में इस समस्या को हल करने के बारे में चित्र खींचा है वह असलियत में एक असमर्थता का चित्र राजस्थान की २ करोड़ जनता के सामने प्रस्तुत करता है तथा सरकार ने जो हल पेश किया है वह मुख्य तौर पर बाहर से आयात या कुदरत पर निर्भर करता है। असल में ये दो ही लक्ष्य अपने सामने सरकार बना-

(श्री रामानंद अग्रवाल)

कर चलती है जिससे खुद सरकार भी ऐसा अनुभव करती है कि इस समस्या का हल होने की बड़ी आशा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि सरकार की यह नीति असमर्थताओं से भरी पड़ी है तो यह मैं इस कारण कहता हूं कि इस तथ्य को खुद सरकार ने भी स्वीकार किया है, बार बार यह कह कर कि हम मंहगाई के बढ़ते हुए कदम को रोकेंगे । बार बार अपनी घोषणाएं करने के बावजूद यह तथ्य है कि मंहगाई दिन ब दिन बढ़ती हुई चली गई और सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही मंहगाई रोकने में ।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि सरकार की नीति फरेब से भरी हुई है तो यह मैं इस कारण कहता हूं कि सरकार वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखने से बचने की कोशिश कर रही है । मंहगाई का वास्तविक कारण राजस्थान की जनता के सामने न रख कर कुछ बनावटी कारण जनता के सामने रखकर समस्या को डेविएट करने का प्रयत्न कर रही है । उस बात को सरकार स्वयं जानती है ऐसा नहीं कि गैर जानकारी में सरकार ऐसा कर रही है । मैं यह समझता हूं कि जानबूझ कर सरकार इस प्रकार से लाइलाज समस्या जाहिर करती है या इस प्रकार समस्या को पोज करने की कोशिश करती है ।

जब मैं यह कहता हूं कि सरकार की नीति असामाजिक तत्वों से मुजरिमाना गठबंधन की हैं तो इस कारण कहता हूं कि सरकार की समस्या को हल करने के लिये जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ कदम उठाना चाहिये था वह न उठाकर लगातार उन तत्वों को बचाने का प्रयत्न करने की नीति उसने अपनाई है कानूनी तरीके से भी और अलग नियम वगैर बनाये हैं उन पर अमल करने की तरफ भी ।

अध्यक्ष महोदय, जो इस समस्या के कारण हमारी राज्य सरकार ने पेश किये हैं उनमें मुख्य तौर से बुनियादी तौर से हमारी राज्य सरकार ने अनाज की कमी की समस्या को माना है । ओपनिंग सेन्टेन्स जो स्टेटमेन्ट का है उसमें सरकार ने यह कहा कि पिछले वर्ष खरीफ की फसल खराब होने और रबी की फसल बर्बाद होने, शीत लहरों की वजह से हमारे यहां यह समस्या पैदा हुई । अध्यक्ष महोदय, यदि इस स्टेटमेन्ट का एक्सरे किया जाय तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तथ्य वास्तविकता से बिल्कुल परे है । अध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल हमारे मार्केट में नवम्बर, दिसम्बर में आती है और रबी की फसल हमारे मार्केट में मार्च, अप्रेल और मई महीनों में आती है । १९६२ और ६३ का साल हमारी सरकार के सामने डेफिसिट का साल नहीं था । सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उन आंकड़ों के अनुसार १९६२-६३ में २. ५० लाख टन सीरियल्स राजस्थान में थे । मतलब यह कि पिछले साल सन् १९६३ मार्च में जनता के पास, राजस्थान की जनता के पास मार्च से लगाकर नवम्बर दिसम्बर आने से पहले २॥ लाख टन सीरियल्स थे और इतने बेक लोग से वर्ष शुरू किया । सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीने से मंहगाई शुरू हो गई । आंकड़े जो इन्डेक्स नम्बर के हैं वे भी यही कहते हैं ।

(श्री रामानंद अग्रवाल)

सरकार की बात को भी सही मानता हूं लेकिन जब मैं पूछता हूं कि खरीफ की फसल नवम्बर दिसम्बर में आने वाली थी और जब आप कहते हैं कि डेफिसिट होना नवम्बर दिसम्बर से मार्च तक शुरु हुआ, आपके पास २॥ लाख टन का बेक लाग था फिर भाव क्यों बढ़े सितम्बर में ? अक्टूबर, नवम्बर के आस पास भाव क्यों बढ़े ? पहले ६४ पर इन्डेक्स नंबर था मार्च से ६३ में वह सितम्बर में १०३ हुआ, अक्टूबर में १०७ और दिसम्बर में ११२ पर पहुंच गया; जब कि हमारे पास पिछला बेक लाग २॥ लाख टन का है। और, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आंकड़ों के आधार पर कहता हूं कि न सिर्फ १९६२-६३ का बेक लाग बल्कि १९६१-६२ में ८. लाख टन का सरप्लस था। अगले साल में भी डेफिसिट नहीं हुआ बल्कि अगले साल में २. ५ लाख टन का और सरप्लस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि १९६३-६४ का साल शुरु किया तब हमारे पास करीब १० लाख टन सीरियल्स का बेक लाग था उसमें खरीफ की फसल आने के कारण मंहगाई हो गई, खरीफ की फसल होने से सितम्बर, अक्टूबर या नवम्बर दिसम्बर में मंहगाई हो गई जैसा कि सरकार कहती है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तथ्य से परे की बात है। और इस खरीफ की फसल की वास्तविक स्थिति क्या है ? हमारे यहां खरीफ में बाजरा और ज्वार मुख्य खाद्यान्न पैदा होता है। यदि हम खरीफ की फसल को लें जिसको सरकार खराब होना कहती है तो उस खरीफ की फसल में अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां ज्वार और बाजरा पैदा हुआ वह १०. ७९ लाख टन पैदा हुआ, जब कि उसके पहले साल जो गेहूं सरप्लस हो रहा था उससे २. ९ लाख टन हमारे यहां कम पैदा हुआ लेकिन जो हमारे १९६३-६४ के सरकार ने कन्जम्पशन के आंकड़े दिये हैं उनका और जो ज्वार बाजरे का उस साल प्रोडक्शन हुआ उससे मुकाबला करके देखें तो इस साल भी खरीफ की फसल खराब होने के बावजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज्वार और बाजरा कंजम्पशन के मुकाबले २. ३ लाख टन सरप्लस था, डेफिसिट नहीं था। इस तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खरीफ की फसल के आंकड़े जो खुद सरकार ने प्रस्तुत किये हैं और जून महीने में बाजार में मार्केट रेट बढ़ी है वह सरकार के इस स्टेटमेन्ट को कांट्राडिक्ट करती है। फिर हम रबी की फसल को लें, अध्यक्ष महोदय, रबी की फसल हमारे यहां दिसम्बर के महीने में कोल्ड वेव आने की वजह से खराब हुई और यह मालूम था कि रबी की फसल कितनी आयेगी। वह फसल हमारे यहां मार्च और अप्रेल १९६४ में मार्केट में आने वाली थी। लेकिन गेहूं के भाव नवम्बर के महीने में क्या थे ? दिसम्बर में कोल्ड वेव आने से पहले क्या थे ? उस समय भाव थे ३० रुपये मन। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भूले नहीं होंगे कि कोल्ड वेव आने से पहले ३० रुपये मन और ३२ रुपये मन गेहूं के भाव पहुंच गये थे, मंहगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और राजस्थान की जनता ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त हो रही थी। ऐसी हालत में आप यह कहें कि दिसम्बर के महीने में पिछले साल के दस, साढ़े दस लाख टन के सरप्लस को देखते हुए अगली फसल खराब होने की सम्भावना

(श्री रामानंद अग्रवाल)

हो सकती थी लेकिन उस वक्त जनता की आवश्यकता के अनुसार बाजार में पर्याप्त अनाज नहीं था यह तथ्य नहीं है। इसलिए आप यह कहें कि भाव बढ़े सर्द हवाओं के आने की वजह से-यह गलत है। जनवरी, फरवरी में भाव बढ़े वह इसलिए नहीं बढ़े कि बाजार में अनाज जनता की आवश्यकता के अनुसार नहीं था लेकिन इसलिए बढ़े कि स्पेकुलेटर्स ने अनुमान लगा लिया था कि फसल खराब होने की वजह से अप्रेल में कम फसल आने वाली है, इसलिए जो सरप्लस स्टाक है उसको बाजार में मत लाओ, अगली साल अनाज मंहगा होगा, इसलिए होर्डिंग करना शुरु कर दो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अगर डेफिसिट की प्राबलम हो तो वह इस रूप में हो कि जनता की आवश्यकता के अनुसार अनाज नहीं हो आपके पास तो यह बात कह सकते हैं और मान सकते हैं कि प्राडक्शन कम है। यह जनरल प्राबलम है कि प्राडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाय। यह जनरल प्राबलम है। लेकिन आज स्टेट पॉलिसी है कि इस बढ़ते हुए स्पाइरल को रोकना चाहते हैं तो स्टेट पालिसी में यह निर्धारण करने का यह बुनियादी सवाल है-कि आप बुनियादी तौर पर प्राइमरीली इसे डेफिसिट की समस्या मानते हैं या होर्डिंग की समस्या मानते हैं? अगर डेफिसिट की समस्या मानेंगे तो नेचरली आपकी स्टेट पालिसी इम्पोर्ट्स की तरफ जायगी, आपकी स्टेट पालिसी फिर आसमान के बादलों की तरफ देखने की तरफ जायगी। मुझे आश्चर्य है, एक बहुत पुराने नेता ने कल वर्षा होने के बाद यह कहा-अब फूड डिबेट हल्की पड़ेगी। यह समस्या अब हल हो जायगी। मैं समझता हूं कि सैद्धान्तिक तौर पर इस बुनयादी समस्या को नहीं समझना है। यह सदन सही तरीके से बुनियादी समस्या को नहीं समझेगा तब तक इसका हल ढूंढ़ना मुश्किल है। आज की समस्या प्राइमरीली फूड प्राडक्शन में कमी की न होकर, डेफिसिट की प्राबलम न होकर होर्डिंग की प्राबलम है, अगर इस बात को स्वीकार करेंगे, इस तथ्य को स्वीकार करेंगे तो स्टेट की मेन पालिसी आज होर्डिंग के खिलाफ होगी और एन्टी-होर्डिंग ड्राइव को स्ट्रैस करेगी। फिर अमेरिकन व्हीट और भारत सरकार की नीतियों पर निर्भर न रहकर आपके हाथ में जो स्टेट का एप-रेट्स है उसकी बुनियाद पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खुद सरकार ने भी अपने स्टेटमेंट में इस बात को कहा है कि हमारे यहां फसल खराब हुई, कम हुई लेकिन हमारे यहां अनाज की कीमतों पर साथ ही बाहर का असर पड़ा है, दूसरे प्रान्तों की कीमतों का असर पड़ा है-तो इसका साफ मतलब है कि केवल डेफिसिट ही हो-यह बात नहीं है। तो क्या कीमतें ऊंची हैं, आपके डेफिसिट प्राडक्शन की वजह से, शीत लहर ने फसल को खराब कर दिया-इस वजह से? मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के फूड मिनिस्टर और सरकार के चीफ मिनिस्टर और केन्द्रीय प्राइम मिनिस्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। यह प्रपोजीशन मान कर राजस्थान सरकार अपने केन्द्रीय नेताओं की बातों को भी मानने से इन्कार कर रही है। क्या कहा था, सेन्ट्रल फूड मिनिस्टर ने? केन्द्रीय फूड मिनिस्टर सुब्रमणियम् ने चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में इस बात को स्वीकार

Page No. 57

(श्री रामानंद अग्रवाल)

किया था कि हमारे यहां आल इंडिया में ओवर आल डेफिसिट १.२ मिलियन टन्स का है लेकिन जो फूड इम्पोर्ट हमने अभी तक किया है वह पिछली साल के मुकाबले में दो लाख टन ज्यादा हो चुका है। इसलिए जहां १.२ मिलियन टन्स का डेफिसिट प्राडक्शन था वहां २ मिलियन टन सरप्लस इम्पोर्ट हुआ है। उससे थोड़ा आफ सेट हो गया है। इस गलतफहमी में जानबूझ कर या अनजान में यदि कहें कि यह होल प्राबलम डिफेन्स में पैसा खर्च करने की वजह से हुई है या इस वजह से कि पैदावार कम हुई है तो गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका सही तरीके से निदान किया जाना चाहिए, सही तरीके से समझना चाहिए....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)—आपके अनुसार फेल्योर आफ क्राप का उस पर असर नहीं पड़ा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल—ऐसा मैं नहीं कहता कि उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन प्राइमरीली अगर मुख्य समस्या उसे मानकर चलेंगे तो आपकी स्टेट पालिसी दूसरी तरफ जायेगी। और इस समय फौरन निर्णय लेना चाहिए, फौरन इस बहुत तेजी से बढ़ते हुए स्पाइरल को रोकने के चक्कर में न पड़ कर माइनर इर्रिगेशन के लिए और रकम दें यह लम्बा वे है, लांग टर्म प्राजेक्ट है कि किस तरह से प्राडक्शन को बढ़ाया जाय। मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन जो समस्या पैदा हुई मैं समझता हूं कि उससे साइड ट्रेक करना होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने, कुछ पार्टियों ने इस समस्या की बात को लेकर सरकार की आलोचना की है और इस समस्या से जनता को जो दुख है उस सबको बताया है। लेकिन मैंने बहुत गम्भीरता से इसको समझने की कोशिश की है--आखिर इस प्राबलम का कारण क्या है ? मैंने स्वतन्त्र पार्टी के माननीय नेता की बात सुनी। जनसंघ के माननीय नेता की बात सुनी समझता हूं कि बुनियादी तौर से जहां तक कारण का सवाल है। वह भी गवर्नमेंट से एग्री करते मालूम पड़ते हैं, वह भी बुनियादी तौर से डेफिसिट प्राबलम मानते हैं। जनसंघ के माननीय नेता ने एक बात और कही है कि टैक्सेज गवर्नमेन्ट बढ़ाती है, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेन्ट बढ़ाती है, सेल्स टैक्स भी गवर्नमेन्ट ने अनाज पर लगाया है—यह भी प्राइस वृद्धि का कारण उन्होंने बताया। इस बात को थ्योरिटिकली या प्रेक्टिकली मैं इन्कार नहीं करता—जो फूड प्राइसेज बढ़ती हैं उसमें कान्सीक्यूएन्सल एलीमेन्ट, इम्पोर्ट एलीमेन्ट टैक्सेज का है, जो जनता की इन आवश्यक वस्तुओं के ऊपर, जीवन की उपयोगी वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इस स्पाइरल, इस इन्डेक्स नम्बर के तेजी से बढ़ते हुए, मंहगाई के तेजी से बढ़ने का कारण उसको समझें तो मैं निवेदन करूंगा कि उस प्राबलम को साइड ट्रेक करना होगा। मंहगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि टैक्सेज बढ़े—इस बात को मानें पिछली साल जब सेन्टर ने २५० करोड़ के नये टैक्सेज लगाये थे, उस वक्त जब बहुत टैक्स बढ़े थे उस प्रकार कुल मिलाकर इस साल टैक्सेज में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो फिर इस तरीके से मंहगाई पिछले साल के सितम्बर से चलती आ रही है वह जनवरी और फरवरी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में पहुंच कर क्यों क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंची और इस साल क्यों दौड़ रही है। क्या वजह है। क्या एट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट ड्यूटी, आक्ट्राय और सेल्स टैक्स को इन चीजों के ऊपर से, जनता के उपयोग में आने वाली चीजों पर से कम कर दिया जाय तो क्या प्राब्लम हल हो जायेगी समझना धोखा है, बुनियादी तौर पर प्राब्लम इस तरह हल नहीं होने वाली है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे खरीफ की फसल को लें, चाहे रबी की फसल को लें, चाहे जितना भी प्राडक्शन हुआ हो इन तथ्यों के आधार पर, जो गवर्नमेन्ट का प्रपोजीशन है, जो गवर्नमेन्ट का कन्सीडरेशन है उसके आधार पर प्राबलम इसलिए क्रियेट हुई है कि हमारे यहां फूड प्राडक्शन कम हुआ है, इस कारण भाव बढ़ते जा रहे हैं—यह बुनियादी तौर से गलत है और जब बुनियादी गलती है जो निदान करेंगे, जो हल ढूंढेंगे वह लाजिमी तौर से गलत दिशा में जायगा।

अध्यक्ष महोदय, तो जो पाइन्ट्स मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और जो बात बताना चाहता हूँ वह यह है कि वे लोग जो आज इस बात को सोचते हैं कि यह समस्या जो हमारे यहां उत्पन्न हुई है अकाल के कारण के पैदा हुई हैं या अन्न की स्थिति अकाल के कारण बिगड़ी है वास्तव में यह बात नहीं है। हमारी धारणा, जो यह समस्या बिगड़ी है यह किस कारण से बिगड़ी है, दूसरी ही है हम नहीं मानते कि यह समस्या कोई अकाल की स्थिति से या प्राकृतिक प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई है, या हमारे यहां पर प्रोडक्शन कम होने के कारण उत्पन्न हुई। है मैं इस बात को नहीं मानता मैं समझता हूं भारतवर्ष में हमारी राज्य सरकार हो चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो की जो आर्थिक नीतियां चल रही है, वे पूंजीवादी आर्थिक नीतियों के आधार पर चल रही हैं और उन्हीं नीतियों के फलस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई है क्योंकि अब ये आर्थिक नीतियां ऐसे स्तर तक पहुंच रही हैं जिसको हम सेचुरेशन पाइन्ट कह सकते हैं और जिसके कारण हमारी सरकार इस देश की अर्थ व्यवस्था में इस पूंजीवादी नीति से अधिक समय तक शासन नहीं चला सकती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपके लिए चीन और रूस से आर्थिक नीतियां लाई जावें या वहां से किसी को बुलाया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने बाहर से किसी को बुलाने के लिये अर्ज नहीं किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार भी खाद्यान्नों के मामले में रूस और चीन का ही अनुसरण कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप देश का पूंजीवादी तरीके से विकास भी कर सकते हैं। देश में आपकी तरफ से डेफिसिट फाइनेन्सिंग करना चाहिये और फिर आपके रेडिकल तरीके फाइनेन्स फाइन्डिग करने के होने चाहिये वह न करके आप करेन्सी को पुट आउट करके इन्फ्लेशन करते हैं और डेफिसिट फाइनेन्सिंग नहीं करते तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स नहीं होता। लेकिन ऐसा आप अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट के कारण नहीं करना चाहते। लेकिन आपने सरमायेदारों और पूंजीपतियों से समझौता किया है इसलिये विदेशी पूंजी को आप टच नहीं करना चाहते। इसलिये आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग का रास्ता अपनाया है और लोन लेने का रास्ता अपनाया है। इसलिये हमारी इकोनोमी में एक पंपिंग इन हुआ है। यह तो मैं मानूंगा कि यह आपके बस की बात नहीं है कि आप इतनी बड़ी इकोनोमी में खाद्यान्नों के मामलों में, प्रोडक्शन आदि में सुधार कर सकें। और आपने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा एन्करेज किया है जिससे लोगों के पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा होगया है और वे इस तेजी और मन्दी के आधार पर हमारे देश की जनताके सामने जीवन और मरण का प्रश्न पैदा करना चाहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से मैं समझता हूं कि यह अर्थ शास्त्र का सिद्धान्त है कि जो मार्जिनल सरप्लस किसी गुड्स की आवश्यकता से कुछ अधिक होना चाहिये अगर वे चीजें मार्केट में रहती हैं तो भाव नहीं बढ़ेंगे और मार्जिनल सरप्लस को कम कर दिया जावे जैसे १०० की हमें मार्जिनल सरप्लस में आवश्यकता है तो उसको ६० पर लावेंगे तो लोगों में डर फैल जावेगा और उस चीज की कमी महसूस होगी, इस वजह से भाव तेज होते चले जावेंगे। आज जिस स्पेकुलेशन को, स्टोरेज को कायम नहीं रखना चाहिये उसको आप कायम रख रहे हैं और बाजार में इस कारण तेजी मन्दी और भावों का बढ़ना और घटना होता है। उस पर आप कोई पाबन्दी नहीं कर रहे हैं ऐसा करके आज आप जन-जीवन को उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो लोग माल को रोक कर स्केअरसिटी पैदा कर सकते हैं और जनता में डर पैदा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि १९६३-६४ में डेफिसिट नहीं होते हुए भी महंगाई बढ़ी। पिछला अनाज मिला कर डेफिसिट नहीं होने पर भी यह कहना कि हमारे यहां पर डेफिसिट का कारण फेमिन है, तो गलत होगा। मैं यह कहूँगा कि देश में होर्डिंग बहुत बड़े पैमाने पर है। पिछले समय मैंने सरकार से कहा कि इसको रोका जावे मगर सरकार ने नहीं रोका और अनाज बाहर चला गया। यह सरकारी फरेब था, सरकार मक्कारी कर रही है, और जान बूझ कर जनता को धोखा दे रही है। आज इतने दिनों के बाद यह कहा जाता है कि हम इस प्राब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। हमारे माल और खाद्य मन्त्रीजी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमारे यहां पर डिक्लेअर्ड स्टॉक कितना है और इम्पोर्टेड स्टॉक कितना है, कितना एक्सपोर्ट हुआ और इम्पोर्ट कितना हुआ, इसकी क्या हालत है-इसको वे नहीं बता सकते। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब आप, अपने घर की पोजीशन क्या है, उसको भी नहीं जानते कि कितना माल बाहर जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना माल आपके पास है, जब आपके पास कोई सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम नहीं है, आपके पास सही तौर से आंकड़े

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं है तो फिर आप कौन से आधार पर इस समस्या को हल करने जा रहे हैं, किस तरह से हल कर सकते हैं और इसको हल करने की सोच सकते हैं ? मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात सरकार की जानकारी में नहीं हो ऐसी बात नहीं है। यह बात सरकार की जानकारी में है। मगर सरकार जानबूझ कर छुपा रही है। क्योंकि जमाखोरों और मुनाफाखोरों ने आपको आंकड़े दिये कि हमारे यहां ३२ लाख टन प्राडक्शन हुआ है। अगर हम ३२ लाख टन प्राडक्शन को ही मान लें तो उसकी तुलना में उसमें से जितना खर्च हुआ है और जो स्टाक बताया गया है वह बहुत मीगर है और इसके अतिरिक्त हम अभी साल के बीच में ही हैं। मैं खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह सारा का सारा अनाज जो अभी तक अगर डिक्लेअर नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं तो वह अनाज पड़ा ही होगा। इसलिए दिसम्बर या जनवरी तक का तो कम से कम जो अनाज हमारे पास मौजूद है वह कहां गया ?

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइसेज फिक्स करने के लिये जो सिस्टम मंजूर किया, उस सिस्टम पर प्राइसेज तय नहीं हो रही हैं। और जो धान दिया जा रहा है उसके सम्बन्ध में भी यह देखने की जरूरत है कि वह जनता के खाने के लायक है भी या नहीं ? आपने जो प्राइसेज तय की हैं उस बुनियाद पर मंदी की उम्मीद करते हैं न कि तेजी की। इसलिये इसका हल बिल्कुल साफ है कि आप इस तरह के कदम उठावें कि जिससे जनता में आम विश्वास हो जाए कि हमको धान ठीक भावों पर मिलता रहेगा और स्पेकुलेटरों में डर पैदा हो जाए कि आगे आने वाले समय में मंदी के भाव होंगे न कि तेजी के और अगर वे होर्डिंग करेंगे तो चमड़ी उल्टी उड़ने वाली है। यह डर आप ब्लेक करने वालों में पैदा कर दें। यदि यह स्थिति आपने पैदा करदी तो जो भाव बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं वे घटते हुए चले जावेंगे। मेरा यह सरकार के खिलाफ इलजाम है कि यदि सरकार एन्टी होर्डिंग कदम उठाती, यदि सरकार मेग्जिमम प्राइसेस फिक्स करती और उसको इम्पलीमेन्ट करने के लिये कदम उठाती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। मगर यह सरकार ने नहीं किया। इसलिये मैं खाद्य मंत्री पर और मुख्य मंत्री पर यह इलजाम लगाता हूँ कि सरकार खुले तौर से होर्डिंग करने वालों और मुनाफा खोरों से मिली हुई है और सरकार की उनके साथ सांठ-गांठ है। आपकी पुलिस और एग्जिक्युटिव के होते हुए भी ये लोग लगातार ऐसा करते हुए भी बचते आये हैं, इससे साफ है कि हमारी सरकार इनको बचाती आई है। और क्योंकि जो सरकार उनको हमेशा बचाती आई है इसलिये यह सरकार इनके लिये कोई कमीशन नहीं बिठाएगी जो इनकी जांच करे। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी जुडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जावे इसकी जांच करने के लिये कोई हाई कोर्ट के जजेज की इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जावे इसके लिये मैं मांग करता हूँ। मैं गृह मंत्री श्री नन्दाजी से भी मांग करता हूँ, वे इसकी जांच करें कि सरकार किस तरह से स्मगलर्स और जमाखोरों से मिली हुई है। जब बाहर से कोई अवैध गाड़ी आती है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कलेक्टर उसको रोकता है तो हमारे यहां के चीफ सेक्रेट्री कलेक्टर को फोन करते हैं और किया है कि इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही मत करो। गाड़ी आती है तो आने दो। वह कहता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हुक्म हैं। तो कहते हैं कि यह हुक्म हमेशा रहते हैं। आप चलने दें। जब आप ऐसा करते हैं और हमारे यहां से गेहूँ बाहर जाता है तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी इसी प्रकार से कहेंगे तो क्या कानूनी व्यवस्था रहेगी? इससे यह साफ है कि आपने सरमायेदारों से और जमाखोरों से सांठ गांठ की है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। उन्हीं लोगों के कारण आज यह समस्या उत्पन्न हुई है। ये आपकी आज्ञाओं के तरीके और मंत्रियों के रवैये का यह अन्तिम नतीजा हुआ है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस तरीके के कई उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर एन्टी होर्डिंग के खिलाफ जनता ने कदम उठाये....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Five minutes.

श्री अध्यक्ष : Two minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कितनी ही ऐसी मिसालें हैं जहां जनता ने होर्डिंग के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, सरकार को मदद करने की कोशिश की लेकिन सरकार ने उसको एन्टी होर्डिंग का रूप न मान कर स्थिति को ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम का रूप दिया और उस जनता पर लाठियां बरसाईं, जनता को जेलों में रखा इससे अधिक और कोई सबूत नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार स्मगलर्स से मिली हुई है, होर्डर्स और स्मगलर्स से सांठ गांठ की हुई है और इसकी नीति स्मगलर्स को प्रोत्साहन देने की है। अगर इस समस्या को शार्ट टर्म में या लोंग टर्म में हल करना है तो हमें पूरे एन्टी होर्डिंग कदम इस सदन में तय करने चाहिये और सरकार को बगैर ढिले किये इन चीजों को हाथ में लेकर अमल करना चाहिये। फिर अगर सरकार घोषणा करने के बाद भी यह नहीं करेगी तो जनता को अपने हाथ में शक्ति पैदा करके एकता कायम करके, एन्टी होर्डिंग की कार्यवाही को मजबूत बनाना चाहिये, इस समस्या को हल करना चाहिये। यही रास्ता है इस समस्या से राहत पाने का, इस समस्या के हल का।

जो कीमतें आज वीट की मुकर्रर की गई हैं वे बहुत ऊंची मुकर्रर की गई हैं। सरकार को ५० रुपया फी क्विन्टल भाव गेहूँ का मुकर्रर करना चाहिये। आज सरकार किसानों की बात कह कर चलती है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों की बात को लेकर जब अप्रेल में आप ग्रेन लाइसेंसिंग आर्डर लाये थे, उस समय हमने कहा था कि किसानों के लिये बहुत कम कीमतें निर्धारित की हैं, हमने १६, १७, १८ रुपया मन की मांग की थी; हमने कहा था कि २० रुपया मन अधिकतम कीमत गेहूँ की मुकर्रर की जाय पर उस समय सरकार ने १४, १५,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुपया मन की कीमतें मुकर्रर की थीं। और अब जब किसानों के हाथ से सारा अनाज निकल चुका है तो हम बड़ी आसानी से अन्दाज कर सकते हैं कि गेहूँ के इस प्रकार के ऊंचे भाव निर्धारित कर के सरकार किसकी मदद करना चाहती है ?

आज सरकार को मोटे अनाजों के ठीक भाव मुकर्रर करके स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिये, जिस प्रकार इम्पोर्टेड वीट फेअर प्राइसेज पर सरकार वितरित कर रही है, उसी तरह से वीट और दूसरे मोटे अनाज और दूसरे लोकल सीरियल्स को होर्डरों से लेकर इस प्रकार की फेअर प्राइसेज शाप्स से सप्लाई करने की सरकार कोशिश करे। हर महीने इन भावों पर वीट और लोकल सीरियल्स को इन गोदामों से, डिक्लेअर्ड स्टाक्स वालों से लेकर आप सप्लाई करने लगेंगे तो जनता में एक विश्वास पैदा होगा, सस्ती-बाड़े का वातावरण जनता में पैदा होगा, ब्लैक मार्कटियर्स समझ जायेंगे कि कहीं भी छुपाओ, अब कुछ भी छुपने वाला नहीं है। इसमें आप जनता से सहयोग लीजिये। जनता अपनी बात कहने के लिये, आपको इस समस्या के हल में मदद करने के लिये इकट्ठी हो कर आती है, उस हजार दो हजार की तादाद से डरिये मत। पुलिस को लाकर जनता की चौकीदारी कराना बन्द करिये और जनता का सहयोग लेकर एन्टी-होर्डिंग को कामयाब बनायें, तभी यह नीति कामयाब हो सकती है और इस विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह नीति अस्थाई तौर पर स्थाई करनी पड़ेगी। होल सेल ट्रेड सरकार को हाथ में लेना पड़ेगा और सरकार को इस भ्रष्ट मशीनरी के जरिये ही नहीं जनता के सहयोग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।

मुझे इस बात की तो खुशी है कि जो महारथी, जो नेता मुक्त व्यापार के समर्थक हैं, जिन्होंने पिछले वक्त में ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स और जनता को भूखी मारने वालों के आन्दोलन का नेतृत्व किया था उनको आज अपना अन्धापन नजर आ रहा है, वे आज थोड़ा उससे हट कर सामने आ रहे हैं। यह बात अलग है कि जनता से डर कर जनता के कदम के साथ उन्हें अपना कदम मिलाना पड़ रहा है। पर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अगर वही नीति उनके द्वारा अपनाई जाती जो यह सरकार अपना रही है तो इसके कितने भयंकर परिणाम होते। अन्त में उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार छोटे व्यापारियों को साथ ले कर इस क्षेत्र में आये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुनाफाखोरों के, होर्डर्स के खिलाफ सरकार की मदद करने वाले हैं उनकी मदद लेकर सरकार को इस विकट समस्या पर कन्ट्रोल करना आवश्यक है। यह कदम उठाये जांय तो इस फूड प्राबलम को सोल्व किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला(छबडा) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य की समस्या आज देश की एक

Page No. 63

विकट समस्या बन गई है और बन ही नहीं गई है बनती जा रही है। इसके लिए देश का प्रत्येक नागरिक सोचने और समझने को मजबूर हो गया है। इस परिस्थिति पर पहुंचने के बाद हम सोच रहे हैं आखिर बात क्या है, यह समस्या क्यों आई ? प्रश्न इस बात का उठता है कि हम यहां तक क्यों पहुंचे, और यहां तक क्यों पहुंच गये हैं कि देश के सामने भूखों मरने की नौबत आई। अगर सच कहा जाय तो इस १७ साल की लम्बी अवधि के बाद हमें यह निश्चित मान कर चलना चाहिये कि खाद्य के बारे में हम आत्मनिर्भर नहीं हुए इसलिए नहीं हुई कि इएटर नेशनल सहयोग के कारण हम जिन्दा रहे, भूखे रहकर मरने की हालत हमने महसूस नहीं की। लम्बे अरसे तक हमें इएटरनेशनल सहयोग मिला। अच्छा तो यह होता कि हम अपने इस देश में ही खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश करते। पर विकास का डवलपमेंट का एक ऐसा नारा लगा कि देश के लिए जो आवश्यक प्रश्न था, सबसे अहं मसला था, जो जीवन मरण से सम्बन्ध रखने वाली समस्या थी उसके सम्बन्ध में बैठकर हमने सन्तोषजनक हल निकालने के लिए सन्तोषजनक ढंग से नहीं सोचा। खाद्यान्नों के प्रोडक्शन की योजना के सम्बन्ध में बार बार सरप्लस कह कर हम संतोष प्रकट करते रहे, प्रत्येक योजना की प्रगति संतोषजनक प्रकट की गई। तो अब कौनसी बिजली गिर गई, कौनसा पहाड़ टूट पड़ा कि अब एकदम यह विकट समस्या हमारे यहां पैदा हो गई ? जब हम यह मानकर चल रहे हैं कि हमारी योजनायें संतोषप्रद प्रगति कर रही हैं तो यह एकदम खतरा कैसे पैदा हो गया ? ये सब चीजें एक खतरे की ओर संकेत कर रही हैं। हमारे नागरिक भूखे रहकर प्रदर्शन करते हैं, आपके सामने इस समस्या को रखते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है ?

एक तरफ कृषि उत्पादन के लिए बराबर जोर दिया जा रहा है योजनाएं बनाई जाती हैं, कृषि के लिए नये नये उपकरण दिए जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं फिर ऐसी कौनसी चीज है कि जिससे अन्न की कमी आई ? यह बैठकर क्यों नहीं सोचा कि हमारी योजना में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है? शीत-लहर की बात कहकर इस प्रश्न को टाल देना इतना आसान नहीं है। क्योंकि यह रोटी का प्रश्न है, जीवन मरण का प्रश्न है।

मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर दो तीन मुख्य चीजें इस लिए कहना चाहूँगी कि वे इससे सम्बन्धित हैं। जहां तक खाद्य उत्पादन का सम्बन्ध है—एक तरफ कहते हैं कि देश की ८० प्रतिशत जनता किसान है, उस पर हम निर्भर करते हैं। पर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि देश की ८० प्रतिशत जनता किसान है इनकी क्या स्थिति है ? शिक्षा प्रणाली भी हमारी इतनी डिफेक्टिव है कि गांव गांव में स्कूल खोले हैं, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल्स खोले गए हैं, लेकिन टेक्निकल एज्यूकेशन पर जोर देने के लिए बार बार कहा गया पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज प्रत्येक बच्चा यह चाहता है कि वह आगे जाकर नौकरी में चला जावे। अगर आंकड़े लिए जांय तो पता चलेगा कि आज हमारे देश में ८० प्रतिशत किसान

(श्रीमती नगेन्द्रबाल)

अन्न उत्पादन करने वाले नहीं हैं। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।

इधर बढ़ती हुई पापूलेशन और उधर उनकी शिक्षा इन सारी चीजों का असर हमारी नीतियों पर पड़ता है। खाद्य समस्या पर पड़ता है सवाल इस बात का है कि आगे क्या होगा ? सरकार क्या करने जा रही है ? मुश्किल यह है कि आज सरकार कई चीजों के कुछ आंकड़े हमें नहीं देना चाहती या दे नहीं सकती। हो सकता है कि कोई कारण हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। एक तरफ आपने भाव निर्धारित किए हैं, ठीक है। उधर पड़ोसी राज्यों में इससे भी ऊंचे भाव हो रहे हैं और यहां से अन्न चोरी से बाहर जा रहा है। आप ब्लैक मार्केट को रोक नहीं सकते। आज हमारा अन्न बाहर जाता है। यह मैं मानती हूँ कि दूसरी जगह भी समस्याएं हैं, उनको देना पड़ता है। आज एक परिवार का मालिक है, वह भूखे व्यक्तियों को रोटी दे सकता है लेकिन बच्चों का गला काटकर नहीं दे सकता। हमको दूसरों को अनाज देने में दिक्कत नहीं आती, अगर हमारे पास इतना अनाज होता कि दूसरे देशों को दे सकते, दूसरे राज्यों को दे सकते तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इन्टरनेशनल सहयोग की वजह से आप यह चाहें कि हमारे यहां का मोटा अनाज बाहर जाय और हमारी जनता को भूखा रहने दें, तो यह हो नहीं सकता। जनता आपसे अपनी रोटी चाहती है।

भारत के नागरिकों ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का मुकाबला किया। हमने कब सोचा था कि हम भूखे रहेंगे ? लेकिन चूंकि एक लक्ष्य था हमारे सामने, उस लक्ष्य के लिए हम लड़ते रहे और आजादी प्राप्त की। क्या आज सरकार के सामने कोई लक्ष्य नहीं ? क्या सरकार आज उसके लिए सैक्रीफाइस नहीं कर सकती ? क्या सरकार की वह त्याग की भावना खत्म हो गई जिसके आधार पर आजादी प्राप्त कर आज वह इन कुर्सियों पर बैठ गई। आज राजस्थान की दो करोड़ जनता इस बात के लिए आपको मजबूर कर रही है कि उसे रोटी चाहिए। माननीय सदस्यों ने बहुत से आंकड़े आपके सामने रखे, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊं तो अच्छा होगा। लेकिन प्रश्न आज रोटी का है। आप किसी भी तरह के संतोषजनक उत्तर दें, आश्वासन दें, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के जितने आश्वासन हैं उन पर जनता को विश्वास नहीं। सिर्फ आश्वासन देकर यदि रोटी के लिए जनता को चुप कराया जाय, तो मैं समझती हूँ कि यह हो नहीं सकता।

पहले तो मैं इस बात को मान कर नहीं चलती कि राजस्थान में अनाज की कमी इतनी है। यह तो आपकी पोल खुली है, उन योजनाओं की पोल खुली है, जिनके लिए सरप्लस कहकर आप हमको संतोष दिलाते थे। सैकड़ों टन अन्न राजस्थान से बाहर गया है। कभी आपने उसको रोका ? कभी आपने यह कह दिया कि केन्द्रीय सरकार से आपकी बात हुई है, कभी यह कह दिया कि दूसरी रियासतों को आवश्यकता है। मान लिया कि आवश्यकता है दूसरी रियास्तों को। लेकिन आप इन सारी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

समस्याओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आपके पास कोई निश्चित योजना नहीं, निश्चित नियम नहीं हैं और उसका फायदा व्यापारी वर्ग उठा रहा है। मैं यह मानकर चलती हूं और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को लक्ष्य में रखकर और भी जोरदार शब्दों में कहना चाहती हूं कि यदि हमारे मरने की की भी नौबत आई है तो भी इन गरीबों की हाय से न मरें। इनकी ऐसी हालत देखकर आखिरी सांस सन्तोष से नहीं निकलेगी। व्यापारी वर्ग को हमारे प्रति संतोष हो सकता है लेकिन आज दो करोड़ जनता को रोटी देनी होगी, इस भूख की समस्या का हल करना होगा। आप कहीं से अन्न लाइये। आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि राजस्थान की जनता को अन्न मिले ! आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि राजस्थान की जनता का अन्न बाहर नहीं जाना चाहिए। भूखे भजन न होई गोपाला, अगर जनता भूखी रही तो राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं है। हम मानते हैं कि हमने बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन सबसे अधिक किसी मोटी चीज को लेकर हमारे सारे किए हुए कामों पर पानी फिर जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, खास तौर से खाद्यमंत्री से, कि आपको पार्टी को कान्फीडेंस में लेना चाहिए, हाउस को कान्फीडेंस में लेना चाहिये और दो करोड़ जनता को कान्फीडेंस में लेना चाहिये। लेकिन यदि उनको सही आंकड़े नहीं दिए गए, सही समस्यायें नहीं बताई गईं और सिर्फ यह कह दिया कि उत्पादन कम हुआ है, तो समस्या हल नहीं होगी। आंकड़ों की प्राब्लम को आप साल्व करें, आंकड़ा लगाना और गिनती करना हमारा काम नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि एक लाख जनता के प्रतिनिधि बनकर हम यहां आते हैं, हम उनको क्या यह जवाब दें कि हम रोटी की समस्या को हल नहीं करवा सकते ? क्या हमारे पास किसी तरह का समाधान नहीं है ? यह सरकार मजबूर है इस बात के लिए, इसको यह समस्या हल करनी पड़ेगी। अगर हल नहीं कर सकती तो साफ बता देना चाहिए, इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मनुष्य फेल हो जाय, हो सकता है कि योजना फेल हो जाय, हो सकता है कि किसी काम में आप सफल नहीं हो तो हम मुकाबला करेंगे, दो करोड़ जनता इसका मुकाबला करेगी, लेकिन रोटी की समस्या हल होनी ही चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं और आपने जो सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं, वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं पहुंचता।

अब आपने अधिकतम भाव निर्धारित कर दिए तो ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जो इससे कम कीमत में बेचेगा ? यह मान कर चलना चाहिए कि इससे नीचे भी भाव नहीं जायेंगे, नीचे जाने का सवाल नहीं है। अब रहा सवाल जो आपने सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं। आज एक मजदूर दिन भर मजदूरी पर जाता है (समय समाप्ति सूचक घंटी) और सायंकाल को दो चार रुपया कमा कर लौटता है। तो घर पहुंचते ही वह भीड़ के कारण अन्न नहीं ले सकता। ऐसे कई केसेज राजस्थान के अन्दर

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

हैं कि इस वितरण की विकट समस्या के कारण, समय पर दुकानों के खुले न होने के कारण, समय पर अन्न न मिलने के कारण लोग भूखे सोए हैं। आपने ६ से ५।। का समय कर दिया। जिस परिवार में एक आदमी है जैसे आज आपका क्लर्क रात रात भर बैठकर टाइप करता है। वह आदमी करीब ८ बजे घर से निकलता है और रात को ११--११ बजे घर पर पहुंचता है, कहां गया ६ से ५।। तक का समय ? उसके घर पर अनाज लाने वाला कौन है ? कोई नहीं। क्लर्क को, स्टेनोग्राफर को सारे दिन में रोटी खाने को नहीं मिले, और आफिसर चले जाते हैं लन्च टाइम पर, सेक्रेटेरिया में वापस तीन तीन बजे आते हैं, लेकिन उन क्लर्कों को कोई छुट्टी नहीं देता, वे रोटी नहीं खा सकते, अपने घर का कोई काम नहीं कर सकते। ऐसी हालत में मिडिल क्लास को कठिनाई हो रही है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) किसान जब मंडी में अनाज लाता है तो उसे उचित मूल्य मिलना चाहिये जिससे व्यापारी अधिकाधिक मुनाफा नहीं उठाए। आखिर इन सब बातों को सरकार गौण क्यों समझती है ? मेरा यही निवेदन है कि इस समस्या को हल किया जाय वरना राजस्थान की दो करोड़ जनता को संतोष नहीं मिलेगा।

श्री अमरसिंह (पचपद्रा) : माननीय अध्यक्ष, आज खाद्यान्न की समस्या राजस्थान के लिए ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के लिए जितनी गंभीर है उतनी ही जटिल भी है। यह एक ऐसी समस्या है जिसको हम कुछ समय के लिए भी ओवर-लुक करके आगे चल नहीं सकते। इसको तुरन्त हल करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या का हल न जोशीले भाषणों से हो सकता है, न किसी आलोचना से हो सकता है और न किसी को कन्डम करने से हो सकता है। इस समय आवश्यकता यह है कि इसको नॉन-पार्टी बेसिस पर, नॉन पार्टी इश्यू बना कर, जो हमारा टैलेन्ट है उसको एक सूत्र में लाकर, उसका सदुपयोग किया जाकर हम ऐसी विचार धारा बनायें कि जिससे यह समस्या संतोषजनक रूप से नजदीक भविष्य में ही हल हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जो विचार मेरे पूर्व वक्ताओं ने रखे हैं उनको न दोहरा कर मैं अपना वक्तव्य उस सीमा तक सीमित रखूंगा जिसमेंमैं अपना नम्र निवेदन इस सदन के समक्ष रख सकूं। मेरा यह निवेदन है कि यह खाद्यान्न की समस्या, यह खाद्यान्न के भाव, दूसरी कॉमोडिटीज़ के भावों से कोरिलेटेड होना अनिवार्य है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि खाद्यान्न के भाव नीचे हों, खाद्यान्न सस्ते बिकें और इन्सान की दूसरी जितनी उपयोग की चीजें हैं, उनके भाव एक सीलिंग पर पहुंच जांय। मैं समझता हूं, ऐसा विचार करना अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना होगा। मेरी समझ में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की वाकफियत होगी कि हमारी इन उपयोगी चीजों के भाव प्रेशस मेटल पर निर्भर हैं, सोना और चान्दी, गोल्ड और सिल्वर पर निर्भर हैं। पहले पचास रुपये में सौ तोला चान्दी, मिलती थी २०) २१) ६० तोला में सोना मिलता था। किसी की इच्छा नहीं

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

होती थी कि सोना और चान्दी को होर्ड करें। एक तरह का शान्ति का वातावरण जमा हुआ था। इसका तात्पर्य यह था कि गवर्नमेन्ट की करेन्सी में लोगों का अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी और इस श्रद्धा के कारण प्रेशियस मेटल को होर्ड न करके, गवर्नमेन्ट करेन्सी पर ज्यादा विश्वास करके अपना धन्धा, रोज़गार सुचारु रूप से चलाते थे। इसका परिणाम यह था कि हमारे देश में कपड़ा सस्ता था, हमारे देश में अन्न सस्ता था, हमारे देश में लोहा, सीमेन्ट सस्ता था और इनफेक्ट हर चीज सस्ती और इतनी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध थी कि जरूरत के माफिक सब को मिल जाती थी और होर्डिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। यह समस्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय में शुरू हुई, कन्ट्रोल शुरू हुए और लोगों की धारणा यह हुई कि हमारी उपयोग की चीजें, जरुरियात की चीजें मिलेंगी या नहीं और यही बुनियादी कारण हुआ होर्डिंग की प्रवृत्ति पैदा होने का। होर्डिंग के साथ में करप्शन पैदा हुआ। यही करप्शन का व्यापक रूप इस समय हम देखते हैं इसकी बुनियाद सेकिन्ड वर्ल्ड वार के दौरान में, उसके दूसरे चरण में या उसके अन्त में पड़ी और यह दिन पर दिन प्रगति करती ही जा रही है और अब वह स्पेरल पर पहुंच रहा है।

हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ। १७ वर्ष के अन्दर जो हमारे सामने बुनियादी तथ्य थे उन पर उपयुक्त ध्यान न दिया गया। ध्यान गया कि हम कोई प्लानिंग करें, डेवलपमेन्ट—कार्य करें लेकिन जितना पैसा प्लान्ड डवलपमेन्ट में खर्च हुआ उसमें कई छोटी बड़ी त्रुटियां रहीं। एक तरफ तो हमने इन्डिस्क्रिमिनेट एक्स्पेन्डीचर करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ बुराइयां चरम सीमा पर पहुंच गयीं। कोई देश ऐसा नहीं बचा रहा जिसके सामने हमने बेगर्स बेग न रखा हो। कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसके हम ऋणी न रहे हों और हमारी स्थिति यह हो गई कि हमने कर्जा उन देशों से इतनी ज्यादा मात्रा में ले लिया कि असल रकम का चुकारा तो भगवान् जाने कब होगा लेकिन उसका व्याज भी हम समय पर दे सकेंगे इसकी भी हम आशा नहीं कर सकते हैं। एक तरफ देश पर ऋण का भार कर दिया और दूसरी तरफ इन्डिस्क्रिमिनेट एक्स्पेन्डचर कर दिया जिसमें कितना पैसा जायज़ और कितना पैसा नाजायज़ तरीके से दूसरे लोगों की जेब में चला गया इसका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। अनुमान यही लगाया गया है कि बहुत सा पैसा दुरुपयोग में गया। तो देश को कर्जदार बना कर जितना पैसा लाया गया, देश के ऊपर बेरहमी से टैक्स लगा कर पैसा रेज़ किया गया और उसको दुरुपयोग किया जाकर खर्च करना, मैं समझता हूं, एक सुसाइडल एक्ट है।

माननीय अध्यक्ष, करेन्सी के लिए जो प्रोपर फुटिंग है प्रेसियस मेटल का उसका सर्वथा अभाव होने के कारण करेन्सी में लोगों का अविश्वास हो गया और इस अविश्वास के कारण और इन्फ्लेशनरी बजट हैं जिसके कारण तमाम चीजें मंहगी मिलती हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि यदि हम को इस समस्या को हल करना है, खाद्यान्न के भावों को ही हल नहीं करना है परन्तु समस्त जीवन उपयोगी

चीजों के भावों को देखना है और लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार इस के अन्दर एक रियलिस्टिक एटीटयूड ले और अपने आपको पहले कन्विन्स कर ले और खुद कन्विन्स हो जाय तो फिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को दृढ़ता-पूर्वक इस बात के लिए कहे कि अगर आपका इन्फ्लेमेटरी बजट जारी रहता है और प्लानिंग में भी यही स्थिति जारी रही तो कोई आशा नहीं है कि खाद्यान्न के भाव नजदीक भविष्य में नीचे ला सकें और लोगों का जीवन सुखमय बना सकें। आप इस समय लोगों के जीवन को सुखमय नहीं बना सकेंगे। आप जो केपिटल आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नतीजा पचास वर्ष बाद देश के सामने आवेगा आप यह फरमाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि बहुत से विचार शील मनुष्यों को इसके अन्दर संशय है। आपने ठीक है, भाखरा डेम बना दिया, दूसरे डेम बना दिये, कुछ स्टील प्लान्ट्स बना दिये—लेकिन इन प्लान्ट्स में जितना इन्वेस्टमेन्ट हम कर चुके हैं उसका वापिस नतीजा ये दे देंगे और नजदीक भविष्य में देश की हालत में सुधार हो सकेगा-इसको मान कर चलने के लिए इस समय तैयार नहीं हैं जब तक कि प्रत्यक्ष प्रमाण में इनका नतीजा न देख लें। तो एक तो हमारी यह समस्या है। जब तक इन्फ्लेशनरी कन्डीशन्स को दूर न कर दें और जब तक डेफिसिट बजट पर कन्ट्रोल न करें, देश को सेल्फ रिलायेन्ट बनाने की कोशिश न करें और आपकी यह जो प्लान्ड इकॉनामी है इस की तरफ रफ्तार थोड़ी धीमी न कर दें और देश में उपयोगी चीजों को एक दफा उपलब्ध न कर दे पूर्ण मात्रा में तब तक मौजूदा परिस्थिति में इसको सफलता पूर्वक संचालित करने में लोगों को संशय मालूम पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार येन केन प्रकारेण कुछ कदम इस प्रकार के उठाये कि जिससे यह आशा करके चलें कि खाद्यान्न के भाव गिर जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि इसके बारे में बुद्धिमता पूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि इस ओर जो प्रयास सरकार करे वह इस स्थिति को और खतरनाक बना दे। आज परिस्थिति इस हद तक पहुँच गई है कि ज्यादा ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है। आपकी भावुकताओं को लेकर, गलत पॉलिसियों को लेकर it will be a suicidal act: Any further mistake will mean total ruination of the country. इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी कदम इस ओर उठाया जाय, बड़ा सोच विचार करके उठाया जाय, सभी पार्टीज़ के लोगों की सलाह से उठाया जाय, हम सब पार्टीज़ वालों को भी यह ध्यान में रखकर चलना है कि यह जो देश के सामने ज्वलन्त समस्या है उसमें भावुकता की कोई गुंजाइश नहीं है। इस समय वास्तविकता को ध्यान में रख कर कदम उठाने की आवश्यकता है। वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए सब लोगों का यह कर्त्तव्य है कि इसके लिये सरकार को सही रास्ता दिखावें, सही राय दें। इसलिये सब का यह परम कर्त्तव्य है कि बुद्धिमता से इस पर विचार करके, गंभीरता से विचार करके सही कदम उठा कर चलें।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा, आज जो एक नीति

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

निर्धारित करते हैं या एक आज्ञा जारी करते हैं और एक महीने बाद यदि उस आज्ञा को रद्द कर दिया जाता है तो यह गवर्नमेंट के लिये आलोचनात्मक मार्ग है। एक वीक एडमिनिस्ट्रेशन का सांगोपांग नमूना इससे जाहिर होता है। इससे भ्रम फैलते हैं, इससे लोगों के अन्दर अविश्वास पैदा होता है और जो धन्धा करने वाले लोग हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। आज आपकी आज्ञा से जो सौदे हो चुके, क्रय विक्रय हो चुके यदि एक महीने बाद उस आज्ञा को भंग कर देते हैं तो उससे तमाम देश की इकॉनोमी को डिस्टर्ब करते हैं।

दूसरा पॉइन्ट मैं और रखना चाहता हूं। मैंने कुछ आलोचनायें सुनी हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि सीलिंग बना दिया जाय काश्तकारों से धान लेने के लिये। दूसरी बात यह कही गई, मौजूदा जो परिस्थिति है वह होर्डिंग का नतीजा है। मैं इन बातों के बारे में निवेदन करूंगा-सीलिंग लगाने के अन्दर काश्तकारों की हालत को मद्देनजर रखना अत्यन्त आवश्यक होगा। किस मुसीबत के साथ काश्तकार अपनी पैदावार उपजाता है और जब तक उसका थ्रेशिंग न हो अनाज नहीं निकल जावे उससे पहले कितनी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसको कदापि नहीं भूल सकते। अनेक रोग क्रोप्स में लग जाते हैं, बेशुमार खर्च करना पड़ता है। लोगों से कर्जा लेकर के धान पैदा करना पड़ता। मैंने गत वर्ष के अन्दर इस ओर आंख रखी, आया रबी की फसल केबोने के समय काश्तकार को २२) से २४) रुपया मन के हिसाब से बीज़ खरीद कर बोना पड़ा है। यह मैं बाद में निवेदन करूंगा कि हमारी फूड मिनिस्ट्री इस बारे में कितनी एक्टिव रही है. कर्त्तव्य पालन से वंचित रही है। वास्तविकता यह है कि सरकार को तरफ से बढ़िया बीज़ तो देना दर किनार रहा साधारण बीज़ भी काश्तकारों के लिये उपलब्ध नहीं करा सकी। वह भी बाजार के अन्दर चला गया। बाजार से जो बोने के लिये काश्तकार ने बीज खरीदा वह २२) रुपये से लेकर २४) रुपये मन तक का खरीदा। उस बीज को बोने के बाद बरसात न होने से आधा बीज तो वैसे ही खराब हो गया, पीछे से बोया गया उसमें कुछ फसल तैयार हुई। मैं अपने क्षेत्र बालोतरा का निवेदन कर रहा हूँ. पिछले अप्रेल के महीने में मेरे क्षेत्र की मंडियों की तरफ मैंने ध्यान रखा, वहां जब गेहूं पहले पहल बाजार में आया तो उस समय सबसे पहले १६।।)रुपये मन बिका। उसके बाद २२)से लेकर २४) रुपया मन तक बिका। जो गेहूँ १६।।)से शुरू होकर २३) तक बिका उसको पैदा करने के लिये २२) २३) रुपये मन के भाव से खरीदा। अभी मैं वहां से आया तब २३।।)और २४) रुपये मन का भाव है। यह भावों में गिरावट होने के कारण है, सरकार द्वारा इम्पोर्टेड व्हीट का मार्केट में लाना। जब दूसरा गेहूँ मार्केट में नहीं था तो स्वाभाविक रूप से भावों में बढ़ोतरी हुई। १६।।) से लेकर २४) रुपये तक भाव में गेहूं बिका। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इतने मंहगे भाव से जिस काश्तकार ने बीज खरीद कर बोया, उस काश्तकार को आप सस्ते भाव पर अनाज देने के लिये मजबूर करते है तो

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

मैं समझता हूं, यह काश्तकारों के साथ अन्याय होगा।

कल शामको सवाई माधोपुर से आते समय मेरी एक काश्तकार से बातचीत हुई। मैंने पूछा तुम्हारे इधर अनाज के भाव किस प्रकार के हैं ? हालां कि जिस क्षेत्र के काश्तकार की बात मैं रख रहा हूं वह क्षेत्र मेरे क्षेत्र से काफी दूरी पर है। उसने कहा कि सरकार ने जो आज्ञा निकाली कि हम १४)रुपये मनपर खरीदेंगे तो उस डर से कि हमारा गेहूं १४) रुपये मन में ले लिया जायगा हमने बाजार में, जो भी उस समय भाव आया बेच दिया। वह कहीं १४) कहीं १६) और कहीं १७) रुपये मन तक बिका है। उसके अलावा जो हमारे घर खर्च के लिये हमें रखना था वह हमने रख लिया। वह इसलिये कि हमें आने वाली फसल तक खाने के लिये किसी से अनाज मांगने की आवश्यकता न हो। This is one man's version. I don't know how far it is applicable to others. एक तो परिस्थिति यह है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : Please wind up

श्री अमरसिंह : दूसरी तरफ यह है कि काश्तकारों के लिये अगर आप प्रतिबन्ध लगाते हैं तो दूसरा डर यह है कि ऐसा न हो कि काश्तकार खाद्यान्न पैदा करना ही बन्द कर दे। मैं यह निवेदन करूंगा कि रबी क्रॉप के समय सीवाणा के अन्दर दो एक वेल-एस्टेब्लिश्ड फॉर्म को मैंने देखा है। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां पर गेहूँ बुवाई बहुत ही नगण्य थी; जीरा, कपास तथा अन्य सब्जी आदि बोयी हुई थी। मतलब सारी केश क्रॉप बोयी हुई थी। यह डेन्जरस सिगनल है, इसको भी सरकार इगनोर करके नहीं चल सकती। मैंने उनसे पूछा आप गेहूँ क्यों नहीं बोते ? तो उन्होंने कहा कि लिफ्ट इर्रीगेशन से जो पैदा करते हैं वह बहुत महंगा पड़ता है यह अन-इकोनोमिक पड़ता है। यह बात मेरी भी समझ में आयी क्योंकि लिफ्ट इर्रीगेशन में मशीनरी का प्रयोग होता है और आज मशीनरी की कीमतें बढ़ गईं, क्रूड आइल की कीमतें बढ़ गई डीजल की कीमतें बढ़ गई और मौजूदा परिस्थिति के अन्दर जो I have given a profroma उसमें इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्जिन नहीं बचता है। करीब करीब बराबर ही रहता है आमदनी और खर्चा। और किसी समय नुकसान में भी जाता है। अध्यक्ष महोदय, कौन ऐसा किसान होगा जो नुकसान उठाकर काश्त करे और खाद्यान्न पैदा करे यह उसकी बुद्धिमता से परे होगा।

हमारा साधारण कल्टीवेटर कन्जर्वेटर है। वह आज भी गेहूं पैदा करता है। और भावुकता के कारण मैं भी उस में से हूं।

I like to see the sight of green wheat crop rather than Jeera. लेकिन अब वह साधारण काश्तकार, जो अनपढ़ है, भी चौकन्ना होता जा रहा है। यह भी विचारने की बात है कि जो लिफ्ट इर्रिगेशन करता है, कुओं से खेती करता है वह ऋणग्रस्त है और वह कर्जा १७ वर्षों के आपके प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक कायम

है। वह नहीं उतार सका। जहां खरीफ की क्रॉप है, एक फसली है, कहतशाली भी हैं वहां यह हालत बदल नहीं सकती। लिफ्ट इर्रीगेशन वाले को खर्चा बहुत करना पड़ता है। इस पर भी अगर आप ने भावों पर प्रतिबन्ध लगा दिया तो इससे गहूं और इसी तरह के अन्न के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, वह केश-क्रॉप की तरह अधिक झुकता जावेगा।

दूसरी तरफ यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ाना मुनाफाखोरों का, जमाखोरों का काम है। मेरा अनुभव यह है कि ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों ने किसानों से १६।।) में खरीदा, २०) में खरीदा और २३) २४) तक खरीदा तो अब जो व्यापारी २२) में खरीदे वह २२।) में बेचे तब भी उस को कुछ नहीं बचेगा। अब जो १६।।) में खरीदा हुआ है उसे २२।) में बेचने से अच्छा बचेगा। और लाभ कमाने के लिये ही तो वह दुकानदारी पर बैठा है। अगर यह प्रोफिट की आशा न हो तो कौन इन्सान ऐसा होगा जो धन्धा करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

I will finish, Sir within no time.

अब रहा सवाल प्रिजर्व करने का। तो यह प्रॉब्लेम भी नहीं है। उसे हमेशा यह डर रहता है, रिस्क रहती है क्यों कि यह आवश्यक नहीं कि २०) या २२) में खरीदा हुआ २३) या २४) में ही बिके, वह नीचे भी जा सकता है। अगर बाजार में सरकार इम्पोर्टेड गेहूं डाल दे तो मैं भी नहीं खरीदूंगा २०) में व्यापारी द्वारा खरीदा हुआ गेहूं १८) और १६) में भी। तो नुकसान का भी उसको डर रहता है। तो इन कारणों से भी आम व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता। ऐसे बहुत कम होंगे जिनके पास ऐसी केपेसिटी हो होर्ड करने की। तो इन तमाम कारणों से यह धारणा बनाना गलत होगा कि हार्डिंग की वजह से यह महंगाई हो रही है

मैं मुख्तसिर में निवेदन करूंगा कि स्टेट ट्रेडिंग भी इसका इलाज नहीं है। यह घातक कदम होगा। आपकी मशीनरी इतनी कुशल नहीं है कि वह इसका सारा प्रबन्ध कर सके। न वह प्रबन्ध कर सकेगी, न समय पर किसानों से खरीद सकेगी, न समय पर उनको पेमेन्ट कर सकेगी और न सही तरीके से वितरण-स्थलों तक पहुंचा पावेगी और न वितरित कर सकेगी। परिणाम यह होगा कि इसमें जबर्दस्त घोटाले और भ्रष्टाचार होगा जिसका फल मायूसी के साथ गरीब जनता को भोगने की नौबत आ जावेगी।

चूंकि घण्टी बज चुकी है, हालांकि मुझे और भी कुछ कहना था, पर सभ्यता और अनुशासन के नाते मुझे घण्टी का ध्यान रखना है, इसलिये अब अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने, हमारे राज्य के सामने और हमारी जनता के सामने खाद्य की एक विकट समस्या खड़ी हो गई है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

यह समस्या इतनी विकट और विकराल हो गई है कि पाव भर तेल की कीमत १) हो गई है। एक किलो दाल की कीमत १।) हो गई है। गेहूं आज २५) से २८) रुपये मन तक मिलता है और वह भी मिट्टी मिला हुआ। शहरों में तो फिर भी वह अनाज प्राप्त हो जाता है, पर गांवों में दशा इससे भी भयंकर है। खास कर उस इलाके में जहां अकाल पड़ा है। वहां बाजार में अनाज नाम मात्र को भी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले साल, जब मानसून का सीजन था और असेम्बली का भी सेशन था, मैंने खड़े होकर निवेदन किया था कि हमारे यहां अकाल पड़ा है और मक्की की निकासी हो रही है वह भी अहमदाबाद की मिलों में स्टार्च बनाने के लिये हो रही है, तो आदमी की जिन्दगी पहले है या स्टाच पहले ? तो इसलिये यह निकासी पहले रोकी जावे। तो इस पर बड़े सैल्फ कान्फीडेन्स के साथ उत्तर देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया था कि निकासी रोकने की कोई जरुरत नहीं है। यह तो केन्द्र की पॉलिसी है और उसे रोकने की आवश्यकता भी नहीं है। पर जहां तक खाद्यान्न का सवाल है लोगों को खाद्यान्न मुहैय्या करने का सवाल है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, और यह जिम्मा यह राज्य सरकार लेती है कि जितनी भी जरुरत होगी लोगों को खाद्यान्न की उतना राज्य सरकार द्वारा दिया जावेगा। आज वही प्रश्न में फिर दोहराते हुए खाद्य मन्त्रीजी से पूछना चाहती हूं कि जिस सैल्फ कान्फीडेन्स के साथ आपने आश्वासन दिया था और जिसके आधार पर निकासी बन्द करने की भी आप ने आवश्यकता नहीं समझी थी, तो आज आप बताइये कि फिर आपने अपने उस आश्वासन को पूरा किया ? नहीं किया गया। और करने का कोई सवाल ही नहीं रहता। जो अनाज था मोटा, मक्का थी वह तो बाहर चला गया बहुत बड़ी मात्रा में, और इधर सरकार अकर्मण्य बनी बैठी रही उसने उसको रिप्लेस करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। हां! कुछ सस्ते अनाज की सरकारी दुकानें खुली जरूर हैं। पर उनकी क्या हालत है, इसकी जानकारी के लिये मैं थोड़ा निवेदन कर दूं कि उन दुकानों में महीने-महीने और दो-दो महीनों तक गेहूं के एक दाने के दर्शन तक नहीं होते। ऐसी अवस्था में वहां के गरीब लोग एक रुपये के डेढ सेर जौ, और वह भी मिट्टी मिला हुआ, लेने पर मजबूर हुए। वह भी लाख गरज़ करते हैं तब व्यापारी देता हैं। अब यह जो हुआ सो हुआ। पर आज भी खाद्य की स्थिति में विषमता बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों ? यह क्यों हो रहा है ? क्या कारण है ?

यह बात जरूर है कि हमारे इस प्रदेश में काफी हिस्से में अकाल पड़ा है। अन्न का उत्पादन भी कम हुआ है इस साल, पर ऐसी स्थिति नहीं है कि बिलकुल ही कमी हो। यह एक बनावटी कमी है और इसे राष्ट्रपति भी स्वीकार कर चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री.. ने भी इस तथ्य को माना है, गृहमंत्री श्री नन्दाजी डंके की चोट कह रहे हैं कि देश में लाखों

Page No. 73

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

मन अनाज गोदामों में छिपा पड़ा है और हमारे राज्य के खाद्य मन्त्रीजी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। जब सरकार और इस सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण यह मानते हैं कि कमी नहीं है पर गोदामों में छिपाया हुआ है तो मैं पूछती हूं आपसे कि यह गोदामों में से क्यों नहीं निकाला जा रहा है ? अब यह समय नहीं रह गया है कि आप यह कह कर टाल दें कि यह सेन्टर की पॉलिसी है। हम यह कह कर भी नहीं टाल सकते कि यह तो ऑल इण्डिया प्रोब्लैम है, हमारा इससे वास्ता नहीं। हम इस समस्या की यों कह कर अवहेलना नहीं कर सकते कि हमारा राज्य व्हीट जोन में दूसरे नम्बर पर है। आज तो जनता यह भी जानने को उत्सुक नहीं है कि आपकी क्या कठिनाइयां है। आज तो जनता केवल यह जानती है कि हमारे पेट में भूख है, हमें रोटी चाहिए। वह रोटी आप देने को तैयार हैं या नहीं ? आपके आंकड़ों से जनता का पेट नहीं भरने वाला है अब।

अध्यक्ष महोदय, जब सब लोग यह मान चुके हैं कि लाखों मन अनाज गोदामों में भरा है तो आज जनता इस सरकार से यह भी पूछना चाहती है कि आपने इन गोदामों में से अनाज निकलवाने के लिये क्या किया है ? मैं खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि आपने इसके लिये आज तक कितनी जगह रेड किया ? किनके गोदामों में से कितना अनाज निकाला गया ? इसका ब्योरा दें। अगर नहीं निकाला गया, तो क्यों नहीं निकाला गया ? आप कह सकते हैं कि हमने यह आज्ञा निकाली, हमने यह सर्क्युलर निकाला, यह आदेश दिये। इससे जनता को मतलब नहीं कि आपने क्या आज्ञाएं निकालीं, क्या आदेश निकाले या क्या सर्क्यूलर निकाले, हम तो यह पूछना चाहते है कि इन सब का नतीजा क्या निकला ? इनका इम्प्लीमेन्टेशन क्या हुआ, क्या उसका परिणाम रहा ? अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो अनाज भरा हुआ है गोदामों में उसे बाहर निकाले बिना काम नहीं चल सकेगा।

यह अन्न की समस्या विकराल रूप धारण करके हमारे सामने आई है यह कोई अचानक नहीं आई है। इसका आभास बहुत पहले ही हम सबको मिल गया था। सरकार को भी मिल गया था। जिस समय फूड ग्रेन लाइसेंसिंग ऑर्डर सरकार ने लागू किया था उस समय अनाज के व्यापारियों ने हड़ताल की थी और चेतावनी भी दे दी थी इस समस्या के गम्भीर रूप धारण करने के बारे में। पर सरकार ने न उस समय कुछ किया और न बाद में कुछ किया। सरकार तो उनके सामने झुकती चली गई। अब वह किस कारण से झुकी, यह मैं नहीं जानती। पर तथ्य यह है कि सरकार उनके सामने झुक गई। सरकार ने घोषणा की थी यहां सदन में बड़े जोर शोर से कि स्टेट ट्रेडिंग का काम अपने पास ले रही है। काश्त किसानों से निकलते ही सरकार खरीदेगी, उनको वाजिब कीमत देगी और ठीक भाव पर उपभोक्ताओं को बेची जावेगी। मैं पूछती हूं सरकार को और हमारे खाद्य मंत्रीजी को कि सरकार की उस घोषित नीति का क्या हुआ ? यह नीति क्यों नहीं काम में ली गई ? अध्यक्ष महोदय, आज तो वह भी बात हाथ से गई।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सरकार यह कह सकती है कि अब हमने भाव तैय कर दिये हैं। पर मैं पूछती हूं कि क्या इसे कोई भी वाजिब बात समझ सकती है? तीन दिन पहले सरकार के भाव तैय कर ने से जयपुर नगर के व्यापारियों ने मिल कर अपनी स्वेच्छा से एक भाव तैय किया था, वह था ६५) क्विन्टल का और सरकार ने ६४) कर दिया। आप किसी तरह से इस ६४) के भाव को उचित नहीं ठहरा सकते।

अध्यक्ष महोदय, अब अगर हम समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो इसका एक ही रास्ता हो सकता है कि जो सरकार ने आज्ञायें निकाली हैं, जो इस दिशा में कानून बनाये हैं उनका एन्फोर्समेन्ट किया जायेगा। जब तक इनका एन्फोर्समेन्ट नहीं किया जायेगा तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता। मुझे खूब याद है मेवाड़ राज्य में भी एक बार ऐसी ही स्थिति आ गई थी पर वह इतनी भयंकर नहीं थी लेकिन कुछ कुछ थी। उस समय राज्य सरकार ने यह आज्ञा दी कि सारे के सारे अनाज के गोदाम हैं उनके ऊपर सरकार का कब्जा कर लिया जाये, जिसका नतीजा यह हुआ कि २४ घन्टे के अन्दर अन्दर सभी जगह मेवाड़ में अनाज पहुंच गया। क्यों नहीं हमारी सरकार इस तरह की आज्ञा देती? हमें आज इसी प्रकार की आज्ञा की आवश्यकता है। इसके बिना हम इस समस्या को नहीं सुलझा सकते। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी राजनैतिक पार्टियों को आग्रह किया है कि सब मिलकर समस्या को सुलझायें और अपने अपने विचार रखें, अपने अपने सुझाव रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेती हुई ३-४ सुझाव अपनी ओर से रखना चाहती हूं। सबसे पहला तो मेरा सुझाव यह है कि डिक्लेयर्ड और नान-डिक्लेयर्ड अनाज के गोदामों को सरकार अपने कब्जे में ले। नान-डिक्लेयर्ड को तो लेना ही चाहिए क्योंकि बहुत भारी कानून की खिलाफवर्जी हो रही है और डिक्लेयर्ड को भी लिया जाना चाहिये और वह इसलिए कि डिक्लेयर्ड गोदामों से जो व्यापारी अनाज बेचता है उसमें मिट्टी, कचरा वगैरह मिलाकर बेचता है और जब व्यापारियों के पास अनाज पड़ा हुआ होता है तो भी मना कर देते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर नहीं बेचेंगे तो जो सरकार ने भाव निर्धारित किये हैं उससे ऊंचे भाव पर देंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो मेरा सुझाव यह है कि जो भी डिक्लेयर्ड और अनडिक्लयर्ड अनाज है उनको अपने कब्जे में सरकार ले।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अनाज की एक वाजिब कीमत निर्धारित करें और यह केवल गेहूं, जौ के ऊपर ही नहीं बल्कि जो एसेन्शियल कमोडिटीज़ हैं उनके भी भाव तय किये जायें। आज एसेन्शियल कमोडिटीज़ के भाव भी आकाश को छू रहे हैं।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि अब हमें आगे के लिए भी बन्दोबस्त करके तैयार रहना चाहिए। अगर हम आगे के लिए आज से ही नहीं संभले तो हमेशा के लिए कभी नहीं संभल सकेंगे। आगे जो फसल आ रही है उसको लेने के लिए सरकार को पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिये। सरकार को अभी से अपनी मशीनरी को तैयार रखनी चाहिए ताकि मण्डियों में अनाज खरीदे और वाजिब

(श्रीमती लक्ष्मीकुनारी चूंडावत)

कीमत पर बेचें। इसके बिना समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं और यह जो चीजें व्यापारी लोग खरीदते हैं उनका बैंकों से एडवांस मिलता है। इसलिए हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास एप्रोच करना चाहिए कि एसेन्शियल कमोडिटीज के ऊपर अनाज के व्यापारियों को एडवांस नहीं दिया जाये। इसे क्रिमिनल आफेन्स माना जाये और इसको सख्ती और बन्दिश के साथ लागू किया जाये। यह हमारी आज जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह आसानी से टालने वाली बात नहीं है। जब हम राज्य करते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि हम लोगों को अन्न पहुंचायें। वह सरकार चाहे डेमोक्रेटिक, आटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप सिद्धान्त को मानने वाली हो, सभी सरकारों का फर्ज हो जाता है कि जनता को अनाज उचित मूल्य पर पहुंचाये। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इस समस्या को सुलझाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में सरकार से यह निवेदन करूंगी कि इस समय हमें ढीली नीति से काम नहीं लेना चाहिए। हमें मजबूती और सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए। नहीं तो व्यापारी लोग जिस तरह से मुनाफा कमा रहे हैं उन थोड़े से मुट्ठी भर व्यापारियों के मुनाफे के लिए करोड़ों लोगों को भूखों नहीं मारा जा सकता। आज इसका जनता के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। हम करोड़ों लोगों की ओर देखें, न कि चन्द व्यापारियों की ओर। व्यापारियों द्वारा एक एक मन अनाज के ऊपर आठ-आठ और दस दस रुपया कमाया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार इन मसलों के ऊपर मजबूती के साथ कदम उठायेगी और इस समस्या को सुलझायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के ऊपर विचार-विमर्श चल रहा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार आपके द्वारा सदन में रखना चाहता हूं। आज देश के अन्दर खाद्य समस्या के बारे में विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। परन्तु हमारे इधर के बैठने वाले लोग, अपोज़ीशन के माननीय सदस्य जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं उन्हें सुनकर बहुत ही दुख होता है। क्योंकि यह तो हो सकता है कि हमारे देश के अन्दर आर्थिक स्थिति के बारे में हम विचार-विमर्श करें परन्तु इस प्रकार की जो बातें रखते हैं और इस प्रकार के जो अनर्गल प्रचार करते हैं-सबसे पहले तो कारण मैं यही एक मानता हूँ इस समय महंगाई है और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन में इस विचार को भी रखना चाहता हूं कि महंगाई का जो लोगों ने इतना अधिक प्रचार किया है, इतनी आवाजें पहुँचाई हैं उनसे आम आदमियों में इस तरह का आभास पैदा हो गया है कि इस मुल्क में न जाने क्या हो गया है। फलतः लोगों में अन्न इकट्ठा करने की प्रवृत्ति गांव गांव तक पहुंच गई है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह सरकार फरेबबाज़ों की है, मक्कारों

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

की है। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि आप अपने गरीबान में हाथ डाल कर तो देखें। कम्युनिस्ट पार्टी डांगे के ४० वर्ष पुराने पत्र के बारे में विचार कर सकती है। आज से दस-बारह साल पहले ऐसी ही परिस्थिति बाजरे के लिए राजस्थान में आई थी। उस समय उनका व्यापार अनाज का था, उन्होंने इस अनाज के व्यापार से बहुत बड़ी धनराशि कमाई और इस परिस्थिति का फायदा उठाया। वह मक्कारी, फरेबबाज़ी है जिसमें आपका जन्म हुआ है या कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ है। आपके पास जो यह धन और दौलत है यह कहां से आई? जिस समय आप आये थे बाहर से, राजस्थान के बाहर से उस समय आपकी क्या हालत थी?....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : कौन कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर बोले, नाम तो बतायें?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर बोले ही एक हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप नाम बतायें कि किस कम्युनिस्ट मेम्बर ने गरीबों को मार कर धन कमाया?

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक ही बोले हैं। दूसरे नेता तो बोले ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नाम पुकारना शुरू नहीं करें तो अच्छा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश की जो आर्थिक परिस्थिति है, आपका उसमें और प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है, आप प्रजातन्त्र को मानते नहीं हैं। आप कहते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी के जो माननीय सदस्य बोले वह यह कहना चाहते हैं, जनसंघ के जो माननीय सदस्य बोले वह यह कहना चाहते हैं। जिस समय चुनाव होते हैं उस समय आप उनके कदमों में जाते हैं, स्वतन्त्र पार्टी के कदमों में जाते हैं, जनसंघ के कदमों में जाते हैं और जो वोटिंग है उनको मुहैय्यां करके इधर बैठने वाले लोगों को हराने का आप हर तरह से प्रयत्न करते हैं। यह आपका सिद्धान्त है, उसूल है? यदि आपको किन्हीं सिद्धान्तों में विश्वास है तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के सिद्धान्त आपके सिद्धान्तों से मेल नहीं खाते, जो लोग आपके सिद्धान्तों के साथ नहीं चलना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के वोटिंग से चुन कर आते हैं तो उन्हीं लोगों के बारे में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि आपके समर्थक इस असेम्बली में बैठने वाले वे ही लोग हैं। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी देश के अन्दर या अलवर के अन्दर इतनी शक्तिशाली नहीं है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के बलबूते पर इस असेम्बली में आये हों। लेकिन आपको कहने का अधिकार है क्योंकि आपको प्रजातन्त्र में अधिकार है। दूसरे जो माननीय सदस्य तिजारा से आये हैं उनको तो मैं कहूंगा कि ४० साल पहले का डांगे का पत्र देख लें। अलवर से जो आने वाले सदस्य हैं उनके खिलाफ बारह तेरह साल पहले कांग्रेस की ओर से एक इन्क्वायरी बैठाई गई थी। कुछ आपके सिद्धान्त हैं तो

Page No. 77

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आप अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखें।

आज जमाखोरों और सट्टेबाज लोगों ने इस देश को तबाह किया है। सट्टेबाज और तस्कर लोगों ने, जिनके पास ब्लेकमनी है उन्होंने खाद्य-समस्या को उग्र करने के अन्दर बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सट्टेबाज और जमाखोर लोग हैं उनके पास जो यह धन आया है उससे वे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप में कलाबाजी की एक कला है और वह कलाबाजी की कला यह है—मैं यह वाक्य इसलिए कह रहा हूं कि यदि कहीं चुनाव में लेफटिस्ट आगये आपकी पार्टी में तो आप दुबारा इस असेम्बली में आप लेफटिस्ट पार्टी में होंगे। आप डांगे पार्टी में नहीं होंगे। मैं इस असेम्बली में, जहां कि माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा करता हूं क्योंकि आप कलाबाजी में माहिर हैं....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह कौन सी समस्या पर आप बोल रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: मैं यह कहना चाहता हूं कि मुल्क के अन्दर जो समस्या है उसके बारे में हमें आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा, और आर्थिक पहलू यह है कि जो ब्लेकमनी है उसके लिए केन्द्रीय सरकार को, क्योंकि फूड पॉलिसी ज्यादातर सेन्टर से सम्बन्ध रखती है, कहना चाहिए। जो कि मुल्क के अन्दर ब्लेकमनी आ गया है, मुल्क के अन्दर जो गुप्त धन है उसको किस प्रकार से बाहर निकाला जाय, नहीं तो गुप्त धन मुल्क को तबाह करेगा। इस धन को निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार को पुरजोर अपील करनी चाहिए।

दूसरी तरफ जो खाद्य-समस्या है उसको किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने पहली योजना बनाई, दूसरी योजना बनाई, तीसरी योजना बनाई और आज हम चौथी योजना के अन्दर जा रहे हैं। यदि मुल्क के अन्दर खाद्य समस्या को हल करना है तो इलेक्ट्रिसिटि के बजट को बड़ा बनाना होगा। मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं। अलवर और भरतपुर जिलों के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटि का पर्याप्त बजट प्राप्त करा दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि २५ प्रतिशत जो समस्या है उसका हल अलवर और भरतपुर जिले की पैदावार से हो जायगा। दूसरी तरफ मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी खाद्य समस्या के सम्बन्ध में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य रामकिशन जी कह रहे थे कि इस राज्य में अनाज की कमी रहेगी, फ्लड आयेगा-यह तो इस सरकार के अन्दर रहेगा ही। मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं जो कि वैर से आये हैं जिन्होंने भरतपुर में फ्लड के सम्बन्ध में कहा है कि अलवर जिले में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, और आपके यहां से पानी जाता है वह मेरे जिले से जाता है, उस पानी को बान्धने के लिए जब सवाल आता है तो आप चिल्लाते हैं। उसके बनने से आपके यहां की फ्लड समस्या मिट जायगी और जिन चार तहसीलों के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं उनको पानी मिल जायगा। लेकिन आपको फ्लड की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

चिन्ता नहीं है। आप उस पानी को अपने यहां ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर का फ्लड मिटाना है तो उस पानी को रोक दें। उस पानी से अलवर जिले के किसानों के यहां पैदावार होगी, भरतपुर का फ्लड मिट जायगा और इस असेम्बली में सोशिलिस्ट पार्टी के नेता श्री रामकिशन जी को बोलने का मौका नहीं रहेगा। मैं कृषि मंत्रीजी से, जो कि इर्रिगेशन मंत्री भी हैं, निवेदन करूंगा कि आप बार बार भरतपुर के फ्लड की बात सुनते हैं, इसको मिटाने के लिए और अलवर में पानी की कमी को दूर करने के लिए उस बान्ध को बन्धवा दें ताकि दोनों का हल हो जायगा। न मैं पानी की कमी के लिए कहूंगा और न वे फ्लड के लिए कहेंगे। दोनों की ज़बान बन्द हो जायगी।

इन जमाखोरों का पता लगाने के लिए राजस्थान सरकार को चाहिए कि रिटर्न्स सब से लें चाहे वह किसान हो या चाहे दुकानदार हो। जिसके पास में जितना भी अनाज हो उसका रिटर्न ले लें। ५० या २५ क्विन्टल जो छोड़ना हो उसको छोड़ दें और उससे यह न पूछें कि उसने ५० या २५ क्विन्टल का क्या किया? रिटर्न्स जब सब के आयेंगे तो इससे मालूम हो जायगा कि जमाखोर कौन हैं। जो अनाज इकट्ठा करते हैं वे लोग भी नहीं कर पायेंगे।

और जहां तक स्टेट ट्रेडिंग की बात है जब तक इस बारे में नहीं सोचेंगे तब तक नहीं कर पायेंगे। मुल्क के अन्दर यदि अनाज की समस्या को हल करना है तो हम को राजकीय व्यापार की तरफ जरूर देखना होगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट से यह कहूंगा कि मुल्क के अन्दर इस समय खाद्य-समस्या इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि आपको स्टेट ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए और स्टेट ट्रेडिंग की तरफ जाकर अनाज की समस्या को दूर करना चाहिए।

इसके अलावा मैं आपसे यह बात कहूं कि हमारे मुल्क के अन्दर जो खाद्य की समस्या बनी हुई है इसके बारे में सब पार्टी के लोग चिन्तित हैं। यह समस्या बहुत चिन्ताजनक है। स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने चिन्ता के साथ इसको उग्र रूप दिया है कि जिस प्रकार से अग्नि के अन्दर घी डालने से अग्नि उग्र रूप धारण करती है उसी प्रकार से इसका उन्होंने प्रचार किया है। गांव का एक आम आदमी भी सोचने लगा है। कुछ दिन पहले की बात है मैंने एक किसान से पूछा कि गेहूं है? उसने कहा कि गेहूं तो हैं लेकिन मैं अभी सुन कर आया हूं, जलूस देखा है, गेहूं ४०) रू० मन अब बिकेगा इसलिए मैं नहीं बेचना चाहता हूं। यह बात इस तरह से आम किसान और गांव के छोटे छोटे आदमियों के पास पंहुच गई है। उसका कारण यह है कि जलूस होते हैं, इस प्रकार के जलूस अपनी पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए किये जाते हैं उनसे इस प्रकार का प्रचार यह होता है। लोगों ने यह सोचा कि खाद्य समस्या के द्वारा हम इस सरकार को पलट देंगे। यह बात सोचने की नहीं है। आप जितने हैं उतने ही मुंह बात होती है। उसी तरह के सिद्धान्त हैं और सिद्धान्त भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यह सोचती थी कि इस मुल्क के अन्दर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बहुत थोड़े दिनों में ही आॅपोजीशन पार्टी का का रूप धारण कर लेगी। लेकिन उनको लेफटिस्ट और राइटिस्ट के झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। अभी तो उनको राइट और लेफ्ट का ही निर्णय करना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : लेफटिस्ट और राइटिस्ट हैं तो भी आपको दफनाने के लिए दोनों एक साथ हैं। आपकी कब्र दोनों ही खोदेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप शान्ति रखिये। आप बोलेंगे तो मैं शान्ति से सुनूंगा। मुल्क के अन्दर खाद्य-समस्या को हल करने के लिये जो प्रोडक्शन प्लान हैं, चौथे प्लान के अन्दर हमको एग्रीकलचर को प्रथम स्थान देना पड़ेगा और मुल्क के अन्दर कृषि के उत्पादन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे सिंचाई के साधन, बड़े सिंचाई के साधन, बिजली के जो साधन आपने उपलब्ध किये हैं जिन जिन बिजली के साधनों के उपलब्ध होने पर बड़े बड़े कस्बों को बिजली मिल गई है वह बिजली कल-कारखानों और रोशनी वगैरह के काम आती है उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ पायेगा। आज राजस्थान के अन्दर बिजली हर गांव में पहुंचे और जिस गांव में पहुंचे वहां पर यह होना चाहिए कि वहां पर सब कुओं पर बिजली जाय तब वह आगे जाय। तब तक प्रॉडक्शन हमारे मुल्क का बढ़ सकता हैं। बिजली कुछ लोगों को रोशनी दे और कृषि के लिए कुएं हैं उन पर पम्पिंग सेट नहीं लगें तो हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकती है। तो कृषि-उत्पादन के लिए छोटे सिंचाई के साधन, बड़े सिंचाई के साधन और कुओं के लिए बिजली और किसानों के लिए दूसरे प्रकार के इम्प्लीमेंट्स आवश्यक हों—वह देने हैं। इससे हमारे मुल्क की पैदावार बढ़ सकती है और खाद्य-समस्या ने जो विकट रूप धारण कर लिया है जिसको हम मानते हैं कि खाद्य समस्या हमारे मुल्क की सबसे बड़ी समस्या है उसके प्रति धैर्य से काम लेना है। इस देश के गरीब किसान के साथ भलाई करनी है तो जो पार्टियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं ऐसे मौके पर, तो उन लोगों को यह बात सोचनी पड़ेगी और उन्हें एक जरिया अख्तियार करना होगा कि वह शान्ति और धैर्य के साथ देश की समस्या को समझें और राष्ट्र की समस्या को समझें। मुल्क को आगे बढ़ाने और कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के जो जरिये हैं उनको राज्य सरकार काम में लाये इन्ही शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, परसों से खाद्य समस्या पर इस सदन में वाद विवाद हो रहा है और कई पहलुओं पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के जो कई पहलू हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किये बिना हम यदि केवल एक ही समस्या के ऊपर विचार करते हैं तो मूल प्रश्न पर पहुंचने में और उसको हल करने में मुश्किलें सामने आती है। यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उत्पादन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कितना होता है और उसके साथ जिसे हम डिमान्ड कहें और उस डिमान्ड के साथ साथ सप्लाई कितनी है, रुपया इन चीज़ों को खरीदने के लिये बाजार में कितना है ?

आज हमारे देश के सामने भी कुछ परिस्थितियां हैं। वैसे इस सदन में बहस करते समय हम केवल यह विचार करें कि यह समस्या केवल राजस्थान की है और उसे ही हल करना है, तो मैं समझता हूँ, हम ठीक निर्णय पर नहीं पहुँच पायेंगे; क्योंकि खाद्य समस्या अखिल भारतीय समस्या है, नीति भी अखिल भारतीय है और कीमतें बढ़ने का कारण भी अखिल भारतीय है और उसका हल भी अखिल भारतीय आधार पर विचार करके चलना होगा।

माननीय अध्यक्षजी, जनसंघ के नेता ने इस सदन में कहा कि पिछले वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन तो बराबर बढ़ता रहा बल्कि जितनी जन-संख्या बढ़ी उसी के अनुपात में खाद्य का उत्पादन बढ़ा, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हम इस समस्या पर विचार करें तो हमें मालूम होगा कि पिछले चार वर्षों में भारतवर्ष में जहां करीब ६ पर्सेन्ट के आस पास आबादी में वृद्धि हुई जब कि दुर्भाग्य से खाद्यान्न का उत्पादन करीब करीब स्टेग्नेन्ट सा रहा। यह कहना चाहिये, बढ़ोतरी नहीं के बराबर हुई। इसका मूल कारण यही है। वैसे और भी कारणों से असर पड़ा, पर यही कारण प्रमुख रहा है यह इस बात से स्पष्ट होता है। जनसंख्या नहीं बढ़ी है या जितनी बढ़ी है उसके अनुसार हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन बढ़ा है यह वास्तविकता से परे की बात है।

हमारे देश में पिछले वर्ष, यह सही है कि चावल का उत्पादन ४.४ मिलियन टन्स ज्यादा हुआ लेकिन जहां तक गेहूं का प्रश्न है, गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुआ। आज जब हम हमारे सारे देश को एक साथ लेकर चलते हैं तो पिछले चार वर्षों में जहां उत्पादन की स्थिति इस प्रकार रही वहां दूसरी तरफ आबादी में बढ़ोतरी हुई। तीसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चार वर्षों में हमारा प्लान और नॉन-प्लान एक्सपेन्डिचर बढ़ा जिसके लिये मैं एक ही प्रमुख बात इस सदन में रखना चाहूंगा। अकेले डिफेन्स पर चार वर्षों में ५५० करोड़ रुपयों का खर्चा बढ़ गया और ५५० करोड़ रुपये हमारी इकॉनोमी के बाहर आये। आज डिफेन्स एक्सपेन्डिचर देश में हुआ उसको अवोइड करने की बात नहीं, वह आवश्यक है देश की सुरक्षा के लिये। लेकिन ५५० करोड़ रुपये मार्केट में आये और उसका इकॉनामी पर असर पड़ता है—इस बात को ओझल करके नहीं चल सकते। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आंकड़े जो उपलब्ध हुए और जो माननीय सदस्यों की जानकारी में भी हैं उनके अनुसार १९६०-६१ के फिगर्स लें तो १९६०-६१ में हमारे देश में टोटल मनी सप्लाई थी वह २,८६७ करोड़ थी उसके मुकाबले में जून २६, १९-६४ तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ३,८०० करोड़ रुपये की सप्लाई है। मतलब कि जो १९६०-६१ के अन्दर मनी सप्लाई थी उसके मुकाबले में १ हजार करोड़ रुपये का मनी सप्लाई का मार्केट में फर्क पड़ा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसी प्रकार यहां जो करेन्सी पब्लिक के पास है वह १९६०-६१ में २,०६८ करोड़ थी वह बढ़ कर २,६३२ करोड़ पर पहुंची है। डिपोजिट मनी पब्लिक के पास १९६०-६१ में ७७१ करोड़ था वह बढ़ कर ११६८ करोड़ रुपये देश में हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन्फ्लेशनरी टेन्डेन्सीज देश में नजर आती हैं उसके हमेशा दो कारण होते हैं। एक तरफ तो प्राडक्शन और दूसरी तरफ मार्केट में मनी किस प्रकार आ रही है। अब जो मार्केट में मनी आ रही है, शुरू में जब फर्स्ट प्लान बनाया गया था तब यह माना गया था कि यदि हम देश में उत्पादन इस अनुपात से नहीं बढ़ाते रहे जिस अनुपात में मनी पंप होने वाला है तो देश में इनफ्लेशनरी टेन्डेन्सीज बढ़ेंगी। कृषि का उत्पादन जैसा कि मैंने निवेदन किया, चार वर्ष में स्टेबनेन्ट सा रहा, दूसरी तरफ मनी बाजार में जितना पंप हुआ उसके फिगर्स मैंने निवेदन किये। यह कहा जा सकता है, जैसा कि स्वतंत्र पार्टी के माननीय नेता ने कहा देश में हमने बड़ी बड़ी योजनाएं हाथ में लीं, नोन-इन्डस्ट्रियल और दूसरे प्रोग्राम हाथ में लिये—उनकी वजह से कीमतें बढ़ीं। उनको हाथ में नहीं लेते तो यह टेन्डेन्सी ज्यादा नहीं होती। यह दृष्टिकोण है। पुराने जमाने में जब अकाल पड़ता था, बाजार में गेहूं मिलता था लेकिन खरीद नहीं सकते थे। लेकिन हजारों, लाखों लोग भूख से मर जाते थे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले कभी ऐसी हालत नहीं हुई, लेकिन हमारी और आपकी जिन्दगी में बंगाल में ऐसा मौका आया है जब कि गेहूं कलकत्ता में मौजूद था लेकिन लाखों आदमी भूख से तड़फ कर मर गये। यह ज्यादा दूर की बात नहीं है, देश की आजादी से पहले यह हुआ। इसमें मूल बात यह थी कि लोगों की क्रय शक्ति कम थी। और दूसरा कारण है, यदि आज देश में यह मानकर चलें कि यहां पर हेवी इन्डस्ट्रीज न हों, दूसरी चीजों का जो प्रॉडक्शन होता है वह न हो तो, मैं समझता हूं, इससे दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण बनता है। यदि हमारे यहां ये चीजें न हों, मशीनरी यहां न बने, कन्ज्यूमर्स आर्टिकल्स का प्रॉडक्शन यहां न हो तो इसका रिजल्ट यह होगा कि हम ज्यादा इम्पोर्ट करें। तो उसका असर इकॉनामी पर पड़ता है और इकॉनोमिक ग्रोथ रुकती है। हम यह नहीं कर सकते कि हमारी इकॉनामिक ग्रोथ रुक जाय। इकॉनामी बढ़ाने का मतलब है हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और मार्केट में मनी आयेगी। और दूसरा पहलू यह भी आता है जो एम्प्लायमेन्ट का सवाल है। आज सोशियल सर्विस की बात है चाहे एज्युकेशन के मुत्तल्लिक हो चाहे दूसरी बातें बढ़ाने के मुत्तल्लिक हो—उसका मतलब यह होगा कि इससे एम्पलॉयमेन्ट लोगों को मिलता है और एम्पलॉयमेन्ट लोगों को मिलता है तो पर्चेजिंग केपेसिटी बढ़ती है और बाजार में मनी ज्यादा बढ़ती है, लोगों को मजदूरी मिलती है तो उनकी पर्चेजिंग केपेसिटी बढ़ती है। यदि पर्चेजिंग केपेसिटी को गिरा दें तो डिफ्लेशन होगा और कीमतें तो गिर जावेंगी लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी, इकॉनामिक ग्रोथ रुकेगी और देश आगे नहीं बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दुनियां में जहां भी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इकानोमिक डवलपमेन्ट के प्रोग्राम हाथ में लिये गये वहां इन्फलेशनरी टेन्डेन्सीज ने हर जगह असर किया है उनको कैसे कंट्रोल किया जाय—यह सोचना होता है । इकानोमिक प्रिन्सिपल के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा प्रॉडक्शन बढ़े इस स्थिति को देखना हमारा पहला कर्तव्य है और इन चीजों को निगाह में रखने के लिये पिछले दो वर्षों में और अभी जब चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई उनमें यह निर्णय हुआ कि एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन को बढ़ाने की योजना को हाथ में लिया जाय और इसके लिये आउट साइड प्लान सीलिंग भी रुपये दें- इसको भी फाइनेन्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन ने हाथ में लिया है ।

देश भर में उन योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है । तो राजस्थान नहर से लाभ हो तब हो लेकिन इस बीच में जिन योजनाओं से लाभ हो सकता है उनको हाथ में लेकर क्रियान्वित किया जा सके-उन सारी चीजों के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं । लेकिन जैसा मैंने आप से निवेदन किया, बेसिक सवाल एक ही खड़ा होता है कि क्या इस नीति को अपनाया जाय-- इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए हम प्लान की योजनाओं को स्थगित कर दें या कम कर दें और रुपया बाजार के अन्दर न आये, और डिफेन्स के लिए जो रुपया खर्च करना पड़ता है उस रुपये को कम करके देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दें ? मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति देश का विकास चाहता है वह नहीं चाहेगा कि देश के विकास के क्रम को रोका जाय बल्कि वह चाहेगा कि इसे और तेजी से चलाने की आवश्यकता है । इस आधार को मान कर चलना है ।

जहां तक एग्रीकल्चर प्राडक्शन का सवाल है उसको बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना होगा । लेकिन फिर भी इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए भी मेरा निश्चित मानना है कि आने वाले वर्षों में हमें एक तरफ इम्पोर्ट करना होगा व्हीट और दूसरे खाद्य पदार्थों का बफर स्टाक बनाने के लिए और चीजों के लिए सोचेंगे, और उसके साथ साथ कदम उठाने पड़ेंगे ।

मैं ऐसा मानता हूं कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जो कुछ भावों में वृद्धि हो रही है •उसके लिए एक तरफ नोन-जाना हुआ, बढ़ा हुआ रुपया है जो प्लान और योजनाओं की वजह से, नान प्लान्स स्कीम की वजह से रुपया बाजार में आया है, जिसको जानते हैं उस रुपये के अलावा--करप्शन की वजह से, ब्लेक मार्केटिंग की वजह से करोडों रुपया अन अकाउन्टेड मनी के तौर पर है उसको जब तक वाइप आफ न कर दिया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Who is responsible for that. ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझता हूं कि आज के दिन आवश्यकता है और आगे जरूरत पड़ जायेगी तो प्राइसेज को स्टेबिलाइज कर दिया जायगा । लेकिन सारी चीजों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जायं उसमें इस बात की आवश्यकता है कि एक बार....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : Who has created this ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अन अकाउन्टेड मनी को वाइप आफ कर दिया जाय। इसके साथ ही साथ बैंक्स की तरफ से लोगों को जो एडवान्सेज किये जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्वीज किया जाय जिससे होर्डिंग के लिए अन अकाउन्टेड मनी रह जाता है, ब्लेक मनी उसे दूर किया जाय जिससे वह स्टाक्स इकट्ठे करके मिसचीव प्ले न कर सकें। इस मामले के अन्दर यह जरूरी बात हो जाती है। आगे के लिये और चीजों के लिए आल इंडिया लेवल पर विचार हुआ है और भी विचार होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि देश के अन्दर इन कदमों को उठाना भी इन चीजों के लिए आवश्यक होगा कि जिससे हम इन चीजों को और दूसरे इकानामिक रीजन्स हैं जिनकी वजह से यह बातें सामने आती हैं-कम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, यह भी विचार करने का सवाल आता है, जो इस सदन के अन्दर भी उठाया गया कि राजस्थान के अन्दर जो व्हीट जोन बनाया, तो क्यों नहीं व्हीट जोन के साथ साथ हमारे राजस्थान के अन्दर कोर्स ग्रेन का जोन बन दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा, देश के अन्दर इस वक्त इस नीति को बना कर चला जा रहा है कि हमारे देश के अन्दर खाद्यान्नों में सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी चीज का है सारे देश की दृष्टि से तो वह गेहूं और चावल का है। कुल मिला कर जितना अन्न देश में पैदा होता है उस पैदा होने वाले अन्न में चावल का करीब करीब|देश के उत्पादन का ४२ पर्सेन्ट से ऊपर का हिस्सा आता है और उसी प्रकार व्हीट का उत्पादन सारे देश के अन्दर १३ पर्सेन्ट होता है और दूसरी सिरियल्स और पल्सेज हैं वह कुल मिला कर करीब ३४ पर्सेन्ट के आस पास होती हैं। तो जिन चीजों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और काम में आती है जब उनकी प्राइसेज को कंट्रोल करने के स्टेप लिये जाते हैं तो दूसरी प्राइसेज पर एक स्वाभाविक तौर पर असर पैदा होगा। इन चीजों को लक्ष्य में रख कर इनमें जो मुख्य सीरियल्स हैं, पहले इनकी प्राइसेज कम करने के बारे में भारत सरकार ने कोशिश की। दूसरे इसका यह भी कारण है कि आज इम्पोर्टेड व्हीट दुनियां में अवेलेबल है। इसलिए इम्पोर्टेन्ड व्हीट लेकर भी प्राइस को कंट्रोल करने के अन्दर कार्यवाही की जा सकती है। वहां आज मान लीजिये, बाजरे का सवाल खड़ा हो, दूसरी चीजों का सवाल खड़ा हो तो यह सिरियल्स विश्व में पैदा नहीं होती अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से पैदा होती है इसलिए इनका जोन न बना कर व्हीट और राइस का जोन बनाने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, व्हीट का जोन बनाने के बाद जब चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हुई थी उस मौके पर देश के अन्य हिस्सों के चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात पर जोर दिया और कहा देश जब एक है तो इसके अन्दर जोन्स क्यों होने चाहिए। देश के अन्दर व्हीट जोन बन जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि एक स्टेट मूंगफली पैदा करता है वह मूंगफली पैदा न करे, और दूसरे स्टेट जो शक्कर पैदा करते हैं वे उन स्टेट्स को, जो शक्कर पैदा नहीं करते हैं, यह कह कर चले कि शक्कर हम रख लेंगे। इसी तरह जो कपास पैदा करते हैं, कपड़ा पैदा करते हैं वे इस बात की मांग करते है कि देश की इकानामी एज ए होल सोची जानी चाहिए। उन लोगों का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सख्त एतराज इस बात पर विचार था कि क्या वजह है कि गेहूं पैदा करने वाले स्टेट हैं, चावल पैदा करने वाले स्टेट हैं, वे यह कह कर चलना चाहते हैं कि वे जो पैदा करते हैं वह वही रखें और दूसरे इम्पोर्टेड व्हीट खायें। तो हम जब कान्फ्रेन्स में गये इस बीच में, जब कि हमारे यहां पर कोर्स ग्रेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, तो व्हीमेन्टली इस बात पर एतराज किया गया कि देश के अन्दर अनाजों के आने जाने पर इस तरह रुकावट डाली जा रही है तो कैसे काम चल सकता है। लेकिन हमने गेहूं के बारे में कहा कि हमारे यहां अकाल की स्थिति है और क्योंकि हमारे यहां प्राडक्शन कम हुआ है उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं-इन बातों को लक्ष्य में रखते हुए जो फूड-ग्रेन अवेलेबल है उसको बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब अपनी तरफ से इम्पोर्टेड व्हीट देने के लिए पूरा आश्वासन दिया और व्हीट जौन को ज्यों कां त्यों रखने के लिए निर्णय दिया-तो हम इस स्थिति में नहीं थे कि जो देश के लिहाज से जो कुछ नीतियां निर्धारित हों, जो कुछ फैसले हों जो पूरे देश के लिए हों उनको नहीं मानें। राजस्थान खास तौर से यह सोचकर नहीं चल सकता कि चाहे भारत सरकार कुछ सोचती हो हम अलग तरीके से चलना चाहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि जितना एक्सपोर्ट होता है, व्हीट, राइस और सीरियल्स मिला कर उससे ज्यादा इम्पोर्टेड व्हीट दिया जा रहा है तब जाकर प्राइस को और सप्लाई लाइन को कायम रखने में कामयाब होते हैं। आज हम कहें कि हम पालिसी के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं, हम एक अलग देश की तरह चलना चाहते हैं तो यह देश की एकता के लिहाज से वाज़िब नहीं हो सकता। एक प्रेक्टिकल बात है कि हमको वक्त वक्त पर जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार इम्पोर्टेड व्हीट देती है और दूसरी चीजें देती है। तो एक चीज के लिए कहें कि आपको इस तरह चलना होगा और दूसरी बात में कहें कि हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो यह उचित नहीं होगा। तो दोनों बातों को सुन कर, विचार कर फैसला करना होता है। तो जब हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया था उस मौके पर सिचूएशन थी कि इम्पोर्टेड व्हीट दूसरी जगह बंट कर जो कम मात्रा में आने लगा था उसको इमिजियेट तौर पर हमने उठाया और भारत सरकार से कहा कि जब तक एश्योर्ड लाइन सप्लाई नहीं होती है तब तक जो कुछ है उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। उसके बाद रेल्वे बैगन्स और दूसरी चीजों में आना शुरू हुआ और भारत सरकार ने विश्वास दिलाया। उसके बाद उस सप्लाई के अन्दर और काफी तेजी से मूवमेंट चालू हुआ। तो जो इतने स्टाक्स दिये उसके बाद कोई गवर्नमेंट नान-कोपरेशन का एटीट्यूड लेकर चले, तो मैं समझता हूं वह उचित नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में जब हमें जरूरत है और इम्पोर्टेड व्हीट की आवश्यकता होती है तो हमें उन बातों को लक्ष्य में रखकर चलना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात को कहा गया कि यहां जो कुछ हमने व्हीट की मेक्जिमम प्राइसेज फिक्स कीं वह ठीक नहीं थीं। यह कहा कि जो मेक्जिमम प्राइसेज बाजार में थीं उनसे ज्यादा हमने फिक्स कर दीं। यह भी कहा गया कि जो प्राइसेज मार्केट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के व्यापारियों ने एलान कीं उनसे ज्यादा फिक्स कर दीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य जानते हैं कि और जगहों की बात जाने दें तो भी जयपुर के अन्दर जो प्राइसेज डिक्लेअर की गई थीं उनकी तरफ से ५५ रुपये लाल गेहूँ और ६५ रुपये शरबती गेहूँ प्रति क्विन्टल डिक्लेअर की थीं। माननीय अध्यक्ष जी, कल यहां पर जब जनसंघ के माननीय नेता बोल रहे थे, उनको सुनने के बाद यहां से जाने के बाद में यह चैक अप करवाया कि वे होलसेल प्राइसेज थीं या रिटेल सेल प्राइसेज थीं एसोसियेशन की तो यह मालूम हुआ कि उन्होंने जो डिक्लेअर की थीं वे होल सेल की प्राइसेज थीं। आप जानते हैं कि होल सेल और रिटेल सेल की प्राइसेज में कितना अन्तर हुआ करता है। उसके बाद व्हाइट व्हीट, जिसका मतलब है फार्म व्हीट उसकी प्राइसेज राजस्थान के अन्दर ६३ रुपया प्रति क्विन्टल फिक्स की और लाल गेहूं की ५३, ५३ न?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५३।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ५३ रुपया प्रति क्विन्टल फिक्स की हैं। इसलिए यह कहना कि प्राइसेज जो व्यापारियों ने तय की उसको कुछ कम ज्यादा करके तय कर दिया। ये रिटेल प्राइसेज हैं। होल सेल और रिटेल प्राइसेज में फर्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने मैग्जिमम प्राइसेज भी फिक्स की हैं और उनको फिक्स करने का कारण भी है और वह यह है कि राजस्थान में कई जगह यह अफवाहें फैल रही थीं, यहां का वातावरण गंभीर बनता जा रहा था कि व्हीट का भाव २८ और ३० रुपये तक पहुँच गया है और आगे भी न मालूम किस सीमा तक बढ़ सकता है। इस सम्बन्ध में कई जगह लोगों के भाषण भी हुए और कहा गया कि देखो, महाराष्ट्र में १०० रुपये और ११० रुपये मन गेहूं का भाव है और यहां पर भी भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रचार का परिणाम यह हुआ करता है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी या कन्ज्युमर हो—वह ज्यादा से ज्यादा नाज को इकट्ठा करके रखने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा नाज को रखने की जनता की प्रवृत्ति होती जा रही थी। इसलिए पिछले तीन महीनों में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गेहूं के भावों की मैग्जिमम प्राइसेज हमने फिक्स की ताकि लोगों में यह भावना नहीं रहे, लोगों में यह भावना नहीं रहे कि बाद में गेहूं का ज्यादा पैसा मिल सकेगा। इसलिये अभी इस समय धान को रोक कर जब अच्छे भाव होंगे तब नाज को बेचें। जब हमने मैग्जिमम प्राइसेज फिक्स कर दी हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि अब उन लोगों के दिमाग में यह बात आ जावेगी कि जब कभी बेचेंगे तो वही कीमत मिलेगी जो अभी मिल रही है। इसलिए वे उसको अभी बेचना उपयुक्त समझेंगे क्योंकि वे यह समझ जावेंगे कि बाद में भी ज्यादा रुपया उनको नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार के लोगों में व्याप्त अनसर्टेनटी की बात जब हमारे कान में पड़ी तो हमने....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस समय अनाज का स्टाक किसानों से या व्यापारियों से लिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां किसानों के पास है वे लावेंगे और जहां व्यापारियों के पास है, वे व्यापारी लावेंगे। आपको याद है कि इस सदन में बहुत सी बार यह कहा गया कि किसानों ने और व्यापारियों ने धान रोक रखा है। कोई कहता था कि किसानों ने रोक रखा है और कोई कहता था कि किसानों से व्यापारियों ने खरीद कर रोक रखा है। इसके लिए जो भी फेक्टर जिम्मेदार हैं, एक बार मैग्जिमम प्राइसेज फिक्स करने के बाद उनको यह ध्यान रहेगा कि आगे प्राइसेज नहीं बढ़ने वाली हैं इसलिए अनाज को रोकने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय,....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो मैग्जिमम भाव तय किये हैं उसमें १० बोरी का ब्लेक हो गया है। सरकार ने ५३ रुपये मन का भाव जिस गेहूं का मुकर्रर किया है वह गेहूं ६३) के भाव से मिलता है। आज वह गेहूं ब्लेक में ६३ रु० कम में नहीं मिलता है। १० रुपये ज्यादा हो गये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर कोई ब्लेक में बेचता है तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। साथ ही साथ इसके लिए कि अन डिक्लेअर्ड स्टॉक न हों, किसानों के पास भी भारी स्टॉक न रहें इस लिए उनसे भी डिक्लेअर कराने के लिए हमने स्टेप लिये हैं। मैग्जिमम प्राइसेज हमने इन्हीं उपरोक्त तीन कारणों को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर की हैं और स्टॉक होर्डिंग पर रोक तब तक नहीं कर सकते जब तक मैग्जिमम प्राइसेज मुकर्रर नहीं हो। कोई स्टॉक करता है और स्टॉक लेने की हालत पैदा होती है तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये प्राइसेज कब तक रहेगी ? क्या जब तक नया नाज मार्केट में नहीं आवेगा तब तक ये रहेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अगले व्हीट हार्वेस्ट तक रहेगी। अगली व्हीट की फसल तक कोई भाव बढ़ने की बात नहीं आवेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : बाजरे और दूसरे कोर्स ग्रेन को तो रोका जाए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाजरे का सवाल नहीं है। व्हीट का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट हार्वेस्ट आवेगी तब भाव घटेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता कि भारत सरकार की प्राइसेज के सम्बन्ध में क्या नीति हो और किसानों को क्या राहत मिले। इसके लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी भारत सरकार ने बिठा रखी है। वह कमेटी तय करेगी और वह सारे भारतवर्ष के लिहाज से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तय किया जाता है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं अगर कुछ कहूँ तो यह उचित नहीं होगा।

मैं इस बात को निश्चित तौर से मानता हूँ कि देश में इसकी आवश्यकता है और इस खाद्यान्न के प्रश्न पर हमें इस दृष्टिकोण से विचार करके चलना होगा, खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि एक एग्रीकल्चर प्रॉड्यूस दूसरी एग्रीकल्चर प्रॉड्यूस की जगह रिप्लेस की जा सकती हो तो उसका उत्पादन बढ़ावें। इसलिए जो नोट हमने निकाला है वह साफ है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, मुक्तिलालजी मोदी वाक आउट कर गये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That should be noted in the minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसको प्रोसीडिंग्ज में नोट कर लिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमें कन्ज्यूमर के पॉइन्ट ऑफ व्यू से ये प्राइसेज फिक्स करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गेहूं के बजाय सरसों रिप्लेस होती चली जाती है। इस समस्या को हल करने....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूं।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : आप बोलते हैं तो मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ....

श्री विजय सिंह झाला : एक इन्फार्मेशन चाहता हूँ। जब आपने भाव डिक्लेअर किए कि किसानों के पास जो धान निकले उसमें बेचने और खरीदने में दो रुपये का फर्क होना चाहिए। अब खरीद करने में और बेचने में कितना डिफरेन्स होना चाहिये यह आप बतावें ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि यह नोटिफिकेशन साफ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इन्होंने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं है।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : यह बहस सदन में बहुत जोरों की है कि पिछले समय में हमने भाव तय किए थे और उस वक्त भावों के बारे में क्या कह गए थे। मैं यह निवेदन करूंगा कि सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जब हाउस एडजोर्न हुआ था तब ट्रेडर्स की तरफ से स्ट्राइक चल रही थी और ने नोन-कोआपरेट किया था। ऐसी हालत में अगर मार्केट में कोई गेहूँ आता है और खरीदने वाला नहीं होगा तो हम मिनिमम प्राइसेज किसानों को क्या देंगे ? मगर हमने यह नहीं कहा कि किसान इससे महंगा नहीं बेच सकता है। अगर कोई बेचने के लिए मजबूर हो जावे, तो वैसी हालत में यह लागू हुआ था। आप यह नहीं कह सकते कि इससे महंगा नहीं बेचें, यह कन्डीशन उसमें नहीं थी लेकिन आज जो प्राइसेज लागू हो सकती हैं उनके सम्बन्ध में उसमें यह है कि किस प्राइसेज तक वे बेच सकते हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष महोदय, सदन में जो चर्चायें हुईं उनमें कभी यह कहा गया कि कोई अपनी तरफ से जो धान बाहर भेजते हैं और होर्डिंग करते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में सैकड़ों जगह गोदामों को चैकिंग हुआ और कई व्यक्ति पकड़े गए हैं। इस लिए यह सदन में कहना कि कोई आदमी चाहे जहां धान बाहर ले जा रहा है, स्टोक कर रहा है और सरकार कोई कदम नहीं उठाती है—गलत है। इस प्रकार से सदन में कहने का असर यह होता है कि लोगों को झिझक पैदा होने के बजाय आज यह चीज पैदा होगी कि खाद्यान्न का लाखों मन गल्ला बाहर जा रहा है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जहां-जहां पर मौके आये हैं हमने कार्यवाही की है। इस लिए यह कहना कि हमने कोई इसके लिए कार्यवाही नहीं की है ठीक नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपको इस सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े देने चाहिए कि कितने व्यक्ति इसमें पकड़े गए और कितनों का चालान हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is based on facts?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप इस वातावरण को काउन्टर एक्ट कीजिये, आंकड़े दीजिए कि कितने स्टाक्स को चैक किया, कितने स्टाक्स पकड़े, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां कीं, कितनों का चालान किया? किस किस डिस्ट्रिक्ट से चैकिंग हुआ, कितनों को पकड़ा? यह सब आंकड़े दीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, कल जब फूड मिनिस्टर जवाब देंगे उससे पहले आंकड़े इकट्ठे करके बता देंगे कि कहां-कहां चैकिंग हुआ, कहां-कहां क्या क्या कार्यवाही की गई। हमने कलेक्टर्स को, सरकारी अधिकारियों को आदेश दिए हैं, अधिकार दिए हैं कि जहां होर्डिंग हो, स्मगलिंग हो वहां सख्ती से कार्यवाही करें। तो सरकार की नीति और आदेश में कहीं कोई अन्तर नहीं है। मैं इस बात से खुश होऊंगा कि विरोधी पक्ष के लोग ऐसे सुझाव सुझायें जो होर्डिंग को खत्म करने के लिए और प्राइसेज को बढ़ने से रोकने के बारे में कारगर हों। राजस्थान गवर्नमेंट ऐसे कदम, जो राजस्थान गवर्नमेंट की कम्पिटेन्स आते हैं, उठाने से कभी इन्कार नहीं करेगी।

क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थिति बिगड़ी है, आप लोग जलूस इसलिए निकाल पा रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं। कीमतें घट जायें तो आपके लिए जलूस निकालना बन्द हो जाय। हम लोग भी आखिर राजनैतिक पार्टी में काम करने वाले लोग हैं, हम इतनी अक्ल रख कर चलते हैं कि कोई ऐसी कन्डिशन्स पैदा नहीं की जाय कि दूसरों को उनसे लाभ उठाने का मौका मिले। आज जो देश की नीति है और जो हमारे देश के, हमारे यहां के कानून हैं उन

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

सब को ध्यान में रखकर हम कार्यवाही करते हैं। जैसे मैं निवेदन करूं कि कोटा में गिरफ्तारियां की गईं, उनको बेल पर छोड़ दिया गया। उस बेल आर्डर के अगेन्स्ट में गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया। हाई कोर्ट भी यदि बेल को रिजेक्ट नहीं करे तो उसमें गवर्नमेंट को यह ब्लेम करना, कि गवर्नमेंट की नीति इस तरह की है, यह तो मैं समझता हूँ उचित नहीं। गवर्नमेंट की ओर से बराबर इस मामले में कार्यवाही की जाती है। पर इस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार का वातावरण पैदा करने से, जिस समस्या का हल हम करना चाहते हैं, उसमें मदद करने के बजाय बाधा पहुंचाना ही होगा। आज सबसे जरूरी यह है कि मंडियों और गांवों में जो गल्ला है वह ज्यादा से ज्यादा बाजार में आ कर बिके। वहां इस तरह का वातावरण पैदा करके ऐसी कन्डिशन्स पैदा करना चाहते हैं कि अनाज पड़ा हुआ है कहीं कोई ले नहीं जाय। इस तरह के हालात, इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं तो समस्या को हल करने के बजाय समस्या को और पेचीदा बनाने की कोशिश करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अनाज सस्ता हो, ताकि रुका हुआ अनाज बाजार में आये, कन्ज्यूमर्स में इस तरह के भाव पैदा नहीं हों कि अनाज और मंहगा होगा जिससे कि वे और ज्यादा खरीदें, किसान भी रोकने लगें तो हमें इन कन्डिशन्स को रोकना है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में निवेदन किया कि आज इन्फ्लेशन को रोकना है, इसके लिए जहां कदम उठाने आवश्यक हैं वहां यह भी आवश्यक है कि देश की इकानामी को, ग्रोथ को बढ़ा कर चलना है उस के लिए प्रॉडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाव तो बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपकी पार्टी का कम्पोजिशन इस प्रकार का है कि इसमें बुर्जवा और मोनोपोलिस्ट्स हैं उनका इन्ट्रेस्ट है। वे भावों को बढ़ाते हैं। और आप हमसे प्रचार करवाना चाहते हैं कि भाव घट रहे हैं।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं कि बर्जुवा पार्टी है, दूसरी पार्टी हैं वे यह कह कर न चलें। आपके पास जमीन थी, वह पिछले वर्ष में बेच दी। वह इससे छुपी नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : लोगों के भले के लिये दी है, जिनके पास नहीं थी उनको बेच दी। आपने बना ली और हमने बेच दी, इसमें दिक्कत क्या है? आपके सिस्टम ने क्रियेट की उनको तो ठिकाने लगा दिया जिस क्लास ने यह क्रियेट किया पर आपने नई बना ली, आपमें यह क्लास मौजूद है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि उन्होंने जमीन बेच दी है तो कम से कम बेचना तो साबित हो गया। हमने जितना बना लिया है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

(शोर-गुल)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह तो जूडिशियल इन्क्वायरी बैठायेंगे तब पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने चैलैंज किया था कि चीफ मिनिस्टर जमाखोरों से, होर्डर्स से और मुनफाखोरों से मिले हुए हैं, आपका कोलिजन है, आपने पर्सनली उन्हें प्रोटेक्ट किया है। तो आप क्या सेंट्रल गवर्मेंट से इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ? जैसे दास कमिशन बैठाया गया उस तरह का कमिशन बैठाने को तैयार हैं ? Are you prepared to face an judicial enpuiry ? I charge that you are hand in glove with the smugglers.

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order, Order !

(शोर-गुल)

श्री योन्द्रगेनाथ हांडा : एक-एक मंत्री के खिलाफ कई सबूत हैं..........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please Order !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके खिलाफ इतने उदाहरण हैं कि अगर उन उदाहरणों को दिया जाय तो उन उदाहरणों की एक रामायण बन जायगी, महाभारत बन जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य Order please Order, Order !

माननीय सदस्य, आपके लीडर बोल चुके हैं फिर भी आपके बोलने की आवश्यकता है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पर्सनल एस्पर्शन इस तरह का देते हैं...........

श्री हरीराम चौहान : On a point of order, Sir. जब मुख्य मन्त्री सीधा अटेक करें तब उनको आप नहीं रोकते....

श्री अध्यक्ष : Order order. यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हरीराम चौहान : उनको तो रोकने को नहीं कहा। मुख्य मन्त्री में हिम्मत हो तो मांग करें, मंजूर करें कि हमारी जांच करा ली जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने पहले भी कहा है कि गुड़ का स्मगलिंग अलवर और भरतपुर जिलों में चीफ मिनिस्टर की नालेज में हुआ है, उन्होंने आर्डर दिए हैं, चीफ सैक्रेटरी से टेलिफोन करवाया है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लो, आंखें मूंद लो। तो इस तरह भारत सरकार के आर्डर की खिलाफवर्जी मोहनलाल सुखाड़िया ने की है, यह मेरा चार्ज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो वहां पर गुड़ गया अलवर भरतपुर के इलाके में, गुड़ के बारे में इस सदन में भी शिकायत की गई कि कुछ थानेदारों ने मिलकर एसा किया है तो इस सम्बन्ध में उन थानेदारों को सस्पेन्ड करके हमने इन्क्वायरी कराई है।

(शोरो-गुल)

(अनेक सदस्य एक साथ जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाखों रुपया हजम कर जाने के बाद····

श्री अध्यक्ष : Order ! orderplease !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा : लाखों रुपया लोगों ने कमाया है, आप भी उसमें शामिल हैं····

श्री अध्यक्ष: Order, order ! order ! please.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : लाखों करोड़ों का गबन करने के बाद····

(शोरो-गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : खैरथल के अन्दर ब्लैक मार्केटियर्स की एसोशियेसन बनी हुई है, हरदयाल जिला कांग्रेस प्रेसीडेन्ट हैं उन्होंने गुड़ के स्मगलिंग में ५० लाख रुपया कमाया है आप जानते हैं, आपकी नॉलेज में कमाया है ।

श्री अध्यक्ष : Order please, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगायें····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एस्पर्शन किया गया····

श्री अध्यक्ष : Order please! आक्षेप तभी लगावें जब कि सरकार के नोटिस में लाने के बाद भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाय। तभी सदन में उसका संकेत किया जाय। एक व्यक्ति, जो यहां नहीं हैं, पर आक्षेप लगाते हैं—यह उचित नहीं, आखिर उस व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सुबह से एक भी चार्ज नहीं लगाया, खुद मुख्य मन्त्री ने आगे होकर चार्ज लगाया है । खुद आग लगा कर दुसरों को कहते हैं कि चार्ज मत लगाओ····

श्री अध्यक्ष : जो व्यक्ति सदन में नहीं है उनके खिलाफ इस तरह के आक्षेप न किये जाय ।

श्री रामकिशन : मुझे एक जानकारी लेनी है । अभ मुख्य मन्त्री ने कहा कि गुड़ में जिन थानेदारों का हाथ था उनको मोअत्तिल कर दिया है । वह सूची आज तैयार नहीं हो तो कल परसों, जब भी संभव हो, उदन में पेश करदें । हमने एक लिस्ट रखी थी, उसमें से किसको मोअत्तिल किया है, अगर यह नहीं बता सकें तो वे सदन से क्षमा मांग लें कि मैं झूंठ बोलने का आदी होगया हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं झूंठ बोलने का आदी नहीं हो गया हूँ । मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं किसी पर आक्षेप या प्रत्याक्षेप करने का आदी नहीं हूँ । जब फूड नीति के बारे में बहस हो रही थी तब अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का आक्षेप लगाया और कहा कि जुडीशल इन्क्वायरी हो-दास कमीशन-ये सारी चीजें मुकर्रर की जायं और हम इस बात को साबित करवायेंगे । तब मैंने कहा कि अगर ऐसी बातें

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आपके सामने हैं तो लाइए। कोई भी मेटीरियल फैक्ट्स हों तो लाइए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कैसे सामने लायें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दास कमीशन के आगे भी फैक्ट्स थे। उन फैक्ट्स को पहले प्राइम मिनिस्टर ने स्क्रूटीनाइज किया था। इस तरह से मेटीरियल दिया जाय। हम डरते नहीं हैं। मैं निवेदन करूं कि इसी सदन के अन्दर जब यहां नाथद्वारा के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आक्षेप लगाए थे उस समय भारतवर्ष के अन्दर मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि जुडीशल इन्क्वायरी बिठाई जाय और सारी इन्क्वायरी कराई गई इसलिए धमकियां देकर मत डराइये। हमने खुद फेस करने की बात कही लेकिन उसके बाद कितने लोग इन्क्वारी की बात मानने को तैयार होते हैं ? उसमें कोई चीज साबित नहीं हुई, किसी ने भी दो शब्द नहीं कहे मेरे कहने के बाद क्योंकि पोलिटिकली सूट नहीं करता था। इधर उधर की बातें करना पसंद करेंगे और कई तरह की बातें करते हैं। कोई भी बात हो आप उस मामले को लेकर आगे चलिए, हम डरते नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के सम्मान की जब हम रक्षा करके चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ, और इधर बैठने वाले हम लोग इस बात की आशा करके चलते है कि आपकी तरफ से कम से कम उतना ट्रीटमेंट तो मिलेगा जो ट्रीटमेंट हम सामने वालों को देते हैं। हम सिर्फ आपकी गालियां सुनते रहें और आपकी सुनते रहें तो दूसरों को भी अधिकार है कि जो कुछ कहना चाहें उनको कहने की आजादी होनी चाहिए। हम स्वाभिमान को लेकर यहां बैठते हैं। मैं निवेदन करूं कि इस पद की एक मिनट भी मैं चिन्ता नहीं करूंगा अगर स्वाभिमान के साथ इस पर नहीं रह सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहां बैठकर इस प्रकार की जलालत की बात आए। आखिर हम लोगों ने राजस्थान की सेवा की है। मैं एक साल से नहीं १५ साल से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। क्या मेरे पास असेट्स हैं उसकी जानकारी कर लें और मैं फिर कहता हूँ कि आप मालूम कर लें और फिर मालूम करने के बाद....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप खुद डिक्लेयर कर दें।

(शोर-गुल)

श्री हांडा : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : Order please।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अपने असेट्स को डिक्लेयर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शोर न करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १९४० में आपके पास क्या था और आज क्या है ? हम थे आपके साथ, उस वक्त क्या था आपके पास ? अब कहां से लाए इतने लाखों रुपये ? बताइए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

Page No. 93

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : श्री उमरावसिंह ने कहा कि लाखों रुपये लेकर मैं बैठा हूँ। उसके लिए मैं उनको चेलेंज देता हूँ कि इस बात को वह साबित कर दें। मैं तो यह कहता हूँ कि एक ब्लेंक चैक लिख देता हूँ.... ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कौनसी बैंक का देते हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपको ब्लैंक चैक लिखकर देता हूँ। अगर लाखों रुपये जमा हैं तो आप पता लगा लो। कम से कम आपको और आपकी पार्टी को फायदा होगा।

(सरकारी पक्ष की ओर से हर्ष ध्वनि)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना चाहते।

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टोर में बिजली का सामान पड़ा है उसको निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष: जो भी आप तथ्य रखते हैं उनकी गम्भीरता खत्म हो जाती है, उनका सारा प्रभाव खत्म हो जाता है इस उत्तेजना से। जो आप चाहते हैं उसका विपरीत प्रभाव निकलता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। उदयपुर की जमीन में दो लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किये है, वह दो लाख कहां से आये ?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने उदयपुर में एग्रीकल्चरल लैंड ली है, उसमें जो मकान और बगीचे बनवाए हैं, उसके लिए दो लाख रुपए कहां से आए ? उदयपुर में तो दो दो आने के बिजली के बल्ब बेचते थे और आज लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर दो लाख हैं तो मैं आपको एक लाख में नजर कर दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरे पास एक लाख देने को नहीं हैं। आप एक लाख में देने को तैयार हैं क्या ?

(शोर-गुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जमीन एक लाख रुपया में देने को तैयार हैं, तो क्या वह पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे ? खड़े होकर बताएं कि एक लाख में देने को तैयार है क्या वह ? राजस्थान सरकार को महाराणा कालेज के लिए उस जमीन की जरुरत है। आप देने को तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप उत्तेजित न हों।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह खुद उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को कहने का मौका मिलेगा, वह तब अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन किसी चीज की व्यवस्था होती है, कहने का ढंग होता है, तथ्य होते हैं, इस तरह से बहस····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये तथ्य हैं।

श्री अध्यक्ष : तथ्य यह है कि शायद आपको सदन में रहना नहीं चाहिए अगर इस तरह से रवैया रखेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : मुख्य मंत्री को जब आपने बोलने का मौका दिया है तो हमको भी दो मिनट····

श्री अध्यक्ष : यह कोई बहस का तरीका नही है।

श्री मुरलीधर व्यास : सदन में यह सवाल पैदा हुआ है कि यदि मुख्यमंत्री ने····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(शोर-गुल)

श्री मुरलीधर व्यास : अश्रव्य।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें।

(सरकार पक्ष की तरफ से थम्पिंग)

श्री विजयसिंह झाला : अगर आप यह तरीका अपनाएंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : सिर्फ एक दो मिनट के लिए····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे दो मिनट के लिए बोलने दिया जाय इस विषय पर।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : जब सदन के लीडर के खिलाफ इस प्रकार के चार्जेज हैं, इन्होंने जमीन का इस प्रकार से उपयोग किया और मकान बनवाए। जब नाथद्वारा के बारे में आपने कहा कि मैं बरी होकर निकला हूँ और अब नाना प्रकार की चार्जेज आपके खिलाफ मकान के संबंध में हैं, जमीन के लेन-देन के सम्बन्ध में रिश्तेदारों के सम्बन्ध में हैं। तो जब कैरों का हवाला दिया गया, उस पर आपने यह कहा कि इस प्रकार से इन्क्वारी होगी-तो मैं तैयार हूं। जब सदन में आपने कहा तो हम कहना चाहते हैं कि आपके खिलाफ उसी तरह के चार्जेज हैं जैसे कैरों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया। उसी तरह से आपके खिलाफ भी हैं तो आपको अपने दल की तरफ सदन में लिखित में देना चाहिए और उसके बाद मैं····

श्री अध्यक्ष : आप दीजिए ना ?

श्री मुरलीधर व्यास : आप घोषणा करें कि इन्क्वारी कराने को तैयार हूँ। अगर यह घोषणा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप उन बातों को रख दीजिए।

श्री मुरलीधर व्यास : दास कमीशन ने कैरों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का जिक्र किया है ऐसी अनेक आपके खिलाफ भी चार्जेज हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने स्वयं ने कहा है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तैयार हो जाओ आप तो।

श्री रामकिशन : थानेदारों की लिस्ट कब दे रहे हैं, किस दिन दे रहे है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी सदन में यह सवाल खड़ा हुआ था कि पुलिस ने कोई कार्यवाही की या नहीं। उस बारे में जो कुछ जानकारी मुझे प्राप्त है वह देना चाहता हूं। अजमेर रेंज में ४६ केसेज रजिस्टर किए जा चुके हैं जिनमें १०६ व्यक्ति इन्वाल्ड हैं और....

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जोधपुर रेंज में १० केसज रजिस्टर किए गए हैं जिसमें १४ परसन्स इन्वाल्ड हैं।
बीकानेर रेन्ज में १६ केसेज रजिस्टर किये गये जिनमें ३६ व्यक्ति इन्वाल्ड थे। उदयपुर-कोटा रेन्ज में १२३ केसेज रजिस्टर किये गये जिनमें २२८ व्कि इन्वाल्ड थे। जी० आर० पी ने ७ केसेज रजिस्टर किये जिनमें ६ व्यक्ति इन्वाल्ड थे। सारी स्टेट में २०८ केसेज रजिस्टर किये गये जिनमें ३६३ व्यक्ति इन्वाल्ड थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कामां में कितने किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कार्यवाही नहीं की गई। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि चारों तरफ जहां जहां कार्यवाही सम्भव हो सकती थी, कार्यवाही की गई थी।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि आज जो कीमतें राजस्थान में हैं और भारतवर्ष में हैं उनके बारे में माननीय सदस्य गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तो उनको यह मालूम होगा कि राजस्थान में जहां अकाल। पड़ा, काफी बड़ी परेशानियां थीं—उनके बावजूद भी आज के दिन यहां जो कीमतें हैं, राजस्थान में गेहूँ की कीमत को लेकर चलें तो ५१) से लगाकर ६२) तक हैं जब कि उत्तर प्रदेश में ७०) से लगाकर ८०) रु०, पंजाब में ४०) से लगाकर ४५) रु०, गुजरात के अभी फिगर्स नहीं हैं, महाराष्ट्र में १००) से लगाकर ११०) रु०, बिहार में ६८) से लगाकर ८०) रु०, मध्यप्रदेश में ६०) से ७०) रु० तक हैं। यदि जौ की कीमत को लेकर देखें ४५) से ४७) रु० यहां है, उत्तर प्रदेश में ६२) से ६५ रु० है, पंजाब में ६० से ६२) रु० है, बिहार में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

६७) से ६८) रु० है, और मध्यप्रदेश में ६०) से लगाकर ६२) रु० क्विन्टल है। उसी प्रकार ज्वार को लेकर चलें तो राजस्थान में ५२) से लगाकर ५४) रु०, उत्तर प्रदेश में ६०) से ६४) रु०, पंजाब में ६५) से ६६ रु० महाराष्ट्र में ६५) से ६६) रु०, और बिहार में ६७) से ६८) रु०। इसी प्रकार बाजरा और मेज के भी भाव हैं।

इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी मुश्किलें होते हुए भी राजस्थान में जो कीमतें हैं, यह सही है कि नहीं होनी चाहिये इतनी मंहगी, कम होनी चाहिये—इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन राजस्थान की जहां तक स्थिति है, उसे दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में आज के दिन की कीमतों के लिहाज से यह समझकर चलें कि सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा कीमतें हो गई हों—उस प्रकार की बात नहीं है। फिर भी मैं यह कहकर चल सकता हूँ कि माननीय सदस्यों की ओर से जो भी सुझाव आये हैं या और आयेंगे, यह गवर्नमेंट उन पर पूरी तौर से विचार करके उनके अनुसार कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी। राजस्थान में करीब डेढ़-दो महीने का समय है जबकि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में वर्षा अच्छी हुई है और फसल भी अच्छी होने के आसार हैं, इतने समय के लिए तकलीफ उठाकर भी, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, इस स्थिति में हम अच्छे ढंग से निकल सकें, उसमें सबका सहयोग प्राप्त होगा। यह समय निकल जाने के बाद भारत सरकार की ओर से लांग टर्म पॉलिसी के लिए निर्णय लिये जा रहे हैं उसके साथ साथ राजस्थान सरकार भी मिल कर, जो कार्यवाही हो सकेगी, वह करेगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि कीमतों के दबाव के कारण लोगों को दिक्कत हो। हम स्वयं नहीं चाहते हैं कि कीमतों के बढ़ते रहने के कारण सरकारी कर्मचारियों की ओर से मांगपेश हों और मजदूरों की ओर से मांगें पेश हों और एक स्पेनयर शुरू हो जाय कीमतें बढ़ने से। इसलिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए आगे जो कदम उठाने होंगे वे उठाते रहेंगे इतना ही मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय सदन के समक्ष....।

श्री रामकिशन : मैं एक अर्ज करना चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष : आपने निवेदन कर दिया। अगर तथ्य होंगे तो बता देंगे।

श्री रामकिशन : कार्यवाही की है तो क्या कार्यवही की है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे चैलेन्ज का कोई जवाब हो तो दे दीजिये।

(शोर-गुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की फूड पॉलिसी से सम्बन्धित ही एक बात मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कही थी....

(शोर-गुल व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा। आप अपने नेता को बोलने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फूड पॉलिसी से सम्बन्धित गवर्नमेंट की पॉलिसी के सम्बन्ध में मैंने एक बात कही थी और यह कही थी कि केन्द्रीय सरकार की फूड पॉलिसी को हमारी इस सरकार ने, जिसका नेतृत्व श्री सुखाड़िया जी कर रहे हैं, ईमानदारी से लागू नहीं किया है, उसको सेबोटेज किया है। गुड़ और खांडसारी के मामले में इस तरह की कार्यवाही को मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि यदि वे बात की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग दे, सुप्रीम कोर्ट के जज की इन्क्वारी के द्वारा यह बात गलत साबित हो कि इस सरकार ने उस पॉलिसी को सही तौर से लागू नहीं किया है, यह गलत साबित हो कि सेबोटेज नहीं किया है और सही तौर से ईमानदारी से पॉलिसी को लागू किया है तो मैं इस सदन से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं वरना मुख्य मंत्री सही जांच करवा कर उसके लिए जो सजा तजवीज को जाय वह भुगतने के लिए तैयार रहें ?

श्री रामकिशन : मैं प्रेस नहीं करना चाहता लेकिन........

श्री अध्यक्ष : दो तीन दिन का टाइम दिया है।

श्री रामकिशन : भरतपुर में कौन थानेदार मौअत्तिल हुए-यही जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी होगी तो अवश्य दे देंगे।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपना भाषण इस सदन में दिया........

श्री रामानन्द अग्रवाल : My offer has not been accepted by the Chief Minister ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : There is no question of acceptance.

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल : गलत सूचना सदन में दी है या तो उसको वे वापिस ले लें या रिफ्यूज करें। छः छः लाख बनाये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण, जो उन्होंने अभी सदन में दिया के दौरान बनेड़ा से आये माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये और पर्सनल एलीगेशन्स लगाये कि उन्होंने एक लाख का बंगला बनाया जो कुछ भी माननीय सदस्य ने चार्जेज लगाये उनको स्वीकार नहीं किया। चैलेन्ज भी उनको किया गया सदन में कि जिस १६ बीघा जमीन की कालेज के लिए जरूरत थी उसमें आपने बंगला बनाया और पंपिंग सेट लगाया। उन सब के लिए आपने एक लाख की कीमत मांगी। सब माननीय सदस्य, गीजगढ़ ठाकुर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साहब को छोड़ कर बाकी सब माननीय सदस्य चन्दा करेंगे, झोली लेकर राजस्थान के कोने कोने में फिरेंगे और चन्दा जमा कर मुख्य मंत्री महोदय ने १ लाख कम्पन्सेशन मांगा है हम उनको १ लाख १ हजार रुपया देंगे। मैं इतना विश्वास और

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

(हीअर हीअर)

दिला देना चाहता हूं कि उस को हम अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं रखेंगे किन्तु उस मकान को, जमीन को और पंपिंग सेट को एग्रीकल्चर कालेज के लिए या मेडिकल कालेज के लिए या जिसके लिए भी जरूरत होगी - विरोधी दल उनको डोनेट कर देगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे सहर्ष स्वीकार है लेकिन उसके साथ साथ उस पर जितना कर्जा है वह भी आप साथ में देंगे।

(व्यवधान शोर गुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तैयार हैं। १ लाख ५ हजार देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप मेरे असेट्स दो लाख के बता कर चल रहे हैं, कर्जा तो मान कर चले नहीं। कर्जे में भी मैं आपको कह दूं कि किसी व्यक्ति का कर्जा नहीं बैंक का कर्जा हो वह आप चुका दें। और किसी का कर्जा है तो आप उसके लिए तो कहेंगे कि यह तो यों ही ले लिया लेकिन आपको तो मैं बैंक के कर्जे के लिए कह रहा हूं, वह चुका दें !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी लॉयेबिलिटी प्रजेन्ट और फ्यूचर दोनों की तो बता देते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर्जा बता दें तो उसको चुका देने की बात करेंगे। बता दीजिये।

(शोर-गुल)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको मान्य ही नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक्सेप्ट करता हूं। पचास हजार का क़र्जा है और मैं उसकी आपको लिस्ट दे देता हूं कि किस २ का है।

(शोर-गुल व्यवधान)

आप दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री मानसिंह महार !

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज बहुत ही गम्भीर मसला है वह है राजस्थान की खाद्य समस्या।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मुख्य मन्त्री एडवांस में मनी चाहें तो मैं इस समय, मेरे पास जो ४१ रुपये है, वह दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या तो आप इन्कार करें या अरनेस्ट मनी लें।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान की खाद्य समस्या पर विचार-विमर्श हो रहा है जो कि एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार द्वारा इसमें बहुत खामियां हैं और भविष्य में भी रहेंगी। इसी सिलसिले में मुख्य मन्त्री महोदय ने हम पर आरोप लगाया है कि हम भी इसके कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं, यह बहुत कुछ ठीक हैं। हमको इस समस्या को जिस प्रकार से कन्ट्रोल करना चाहिये वह नहीं कर पाये हैं। जिस प्रकार खाद्य समस्या को एक होकर सम्भालने की आवश्यकता है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है उसके लिये सब दलों का सहयोग होना चाहिए। वह सहयोग उनके कहने के अनुसार नहीं मिला। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका उत्तरदायित्व किस पर है? सरकार कहती है कि विरोधी पक्ष के लोग भूख हड़ताल करते हैं, विरोधी पक्ष के लोग डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं। मुख्य मंत्री ने बताया कि जैसी अभी इधर बैठने वाले मित्रों ने शिकायत की उस शिकायत का उनके पास कोई समाधान नहीं है। जब हम किसी प्रकार की शिकायत करते हैं तब आप उसकी अवहेलना करते हैं तो हमारे पास उसके अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर ऐसी बात आपकी तरफ से नहीं होती है तो पूरे तौर से हम को-आपरेशन करने के लिये तैयार हैं। विरोधी पक्ष अगर किसी प्रकार की गलती करता है तो आप उसको कहने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन आप भी अपनी गलती को मानिये। पिछले सेशन के अन्तिम दिनों में हमने आपको यह कहा था कि आप स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा मत कीजिये, इसी सदन के अन्दर कहा था क्योंकि आप इसके अयोग्य हैं, आप स्टेट ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, मंडियों से अनाज नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन उस समय खाद्य मंत्री महोदय ने भावावेश में बह कर कह दिया यह नहीं हो सकता, हम अनाज मंडियों से खरीदेंगे। उस दिन के भावों में और आज के भावों में आप अन्दाज लगाइये कितना अन्तर है। इसका मुख्य कारण यह है आपकी योग्यता में कमी। आप इस प्रकार का अधूरा एलान नहीं करते तो लोगों के अन्दर पेनिक पैदा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार ने भावावेश में आकर जो स्टेट ट्रेडिंग की बात कहीं वह निभा नहीं सकी। हमारे कुछ इधर बैठने वाले मित्र भी इस हवा में बह गये थे कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये....

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यापारियों ने को-आपरेट नहीं किया था।

श्री मानसिंह महार : मैं यह कहना चाहता हूं व्यापारी तो कभी कोआपरेट नहीं करेंगे और न किया है। भविष्य में भी आप उनसे आशा न करें। जहां बिजनेस का मामला होता है, मुनाफाखोरी का मामला आयगा वहां कोई व्यापारी को-आपरेट नहीं करेगा। सरकार में यह सोचने की बुद्धि नहीं थी। मुझे इस पर ज्यादा नहीं कहना है। व्यापारी तो को-आपरेट कभी नहीं करेंगे फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे इधर बैठने वाले मित्रों के भुलावे में कुछ आगये। आप उनके भुलावे में आकर स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा करते हैं। उसके बाद उसका क्या नतीजा हुआ वह सब आपके सामने है। आपका स्टेट ट्रेडिंग तो भीलवाडा के

Page No. 100

(श्री मानसिंह महार)

इलेक्शन में समाप्त होगया। उससे आपने एक पार्लियामेंट की तो सीट तो हासिल कर ली है लेकिन इस स्टेट ट्रेडिंग की अन्त्येष्टि करके। इसके साथ ही आपने राजस्थान की जनता के भूखों मारने का श्रीगणेश किया।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : महुआ में क्या हुआ?

श्री मानसिंह महार : वहां तो हमने आपकी अन्त्येष्टि की थी और कुछ नहीं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं अब भी आप कुछ अंकुश रखिये। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खाद्य मन्त्री को सद्बुद्धि दे। मेरी राय तो यह है कि सभी विरोधी दल के माननीय सदस्य गोविन्द देव जी के मन्दिर में जाकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु! हमारी सरकार की मति और दिन फिर गये हैं इनको जल्दी उठा लीजिए, नहीं तो इनको सही ढंग पर लाया जाय....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो ठीक है।

श्री मानसिंह महार : इसके अलावा आपने एक बुद्धिमानी का काम अवश्य किया वह यह कि अमेरिकन और आस्ट्रेलियन व्हीट हमारे यहां आया उस गेहूं को आपने जनता में वितरण कराने का प्रबन्ध किया। यह भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी यही बहुत है। व्यापारियों ने जिनको आप स्टेट ट्रेडिंग द्वारा खत्म करना चाहते थे, सरकार को चकमा दिया। आपने जितनी भी सस्ते अनाज की दुकानें खोलीं उन दुकानों में जो ग्रेन का व्यापार करते थे वे ही लोग सरकार की तरफ से नियुक्त कर दिये गये। वे आज सरकारी नौकर के रूप में बैठे हैं। खाद्य मन्त्री महोदय आप जांच कर लीजिये, मैं आपको चुनौती देता हूं वे लोग वहां जाकर भी सरकार के इस प्रबन्ध को फेल कर देंगे। जितने भी ग्रेन डीलर्स थे सब जाकर इन दुकानों के अन्दर नौकर हो गये। वहां पर वही कम तोलना, अनाज में मिलावट करना आदि सारे धन्धे शुरू हो जायेंगे। इसलिए मेरा ठोस सुझाव यह है कि जहां भी सरकारी दुकानें हैं वहां ग्रेन डीलर्स को न रखा जाय।

दूसरा मेरा सुझाव यह है, खाद्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय से कि वे जयपुर की तरफ से एक तरह से मुंह मोड़े हुए हैं। मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ही सप्लाई आफिसर आपने मुकर्रर किया है। जयपुर शहर केपीटल होने की वजह से वह यहां का भी काम पूरी तरह से देख नहीं पाता। यहां इतना काम है कि उसको डिस्ट्रिक्ट के अन्य जगहों के काम को देखने का अवसर नहीं मिलता। कोशिश तो वे बहुत करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं करता। जयपुर केपीटल होने से यहां पर काम काफी है अतः जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सप्लाई आफिसर होना चाहिये, सेन्टर के लिए अलग होना चाहिये। खाद्य मन्त्री जी मेरे इस छोटे से सुझाव को अवश्य मानेंगे।

खाद्य नीति तो अच्छी है लेकिन जिस प्रकार हम सुनते थे, विक्रमादित्य के समय

(श्री मानसिंह महार)

वाली अनबूझ नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा—कहावत आज इस खाद्य नीति के कारण चरितार्थ हो रही है। आप जहां ढाई सेर के गेहूं दे रहे हैं वहां जौ पौने दो सेर के बेच रहे हैं। जौ गेंहूं से भी महंगा! आप कितने योग्य हैं, आपको खाद्य नीति कैसी है—यह तो इसी से पता चल जाता है।

श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : आजादी के पहले आपकी जो साजिश थी उसी के कारण आप यहां बैठे हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं आपकी बात समझा नहीं। नहीं तो जवाब देता।

फिर भी मैं यह कहता हूं कि आपकी जो खाद्य नीति है वह व्यावहारिक रूप ले तो ज्यादा अच्छा होगा। आप थोड़े सेक्रेटेरियट की कुर्सियों से नीचे उतरिये, वहीं मत बैठे रहिये। फूड पॉलिसी और फूड समस्या पर नियन्त्रण करना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। वहां पर बैठे कुछ नहीं कर सकते। आपने जनसंघ दल के नेता की मांग पर स्टेटमेन्ट दिया है है कि पांच लाख से सात लाख टन की राजस्थान में कमी हैं। आप कहते हैं, हमने पेनिक को बढ़ावा दिया है लेकिन पेनिक क्रिएट करने की जड़ आप हैं। आपने जो इस प्रकार का स्टेटमेन्ट दे दिया--वह बेसलेस है, बहुत ही गलत है और फेक्ट्स से परे है। आपके पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितना अनाज पैदा हुआ है कितनी खपत है। केवल ये चीजें टेबल पर बैठे बैठे काम करने से मालूम नहीं होती। इस तरह से गलत आंकड़े बताकर पेनिक तो आप क्रिएट करते हैं।

हम कहते हैं कि ६०) और ८०) रु. मन अनाज बिकेगा तो यह कहकर हम पैनिक क्रियेट करते हैं या आप करते हैं यह कहकर कि अनाज हमारे यहां कम पैदा हुआ। है कहां कम? जरा बताइये तो। आपको अमेरिका इतना अनाज दे रहा है हमारी मित्रता की वजह से। आप हमको धन्यवाद दीजिये। हमारी वजह से आपको आज अमेरिका से अन्न मिल रहा है। हम आपके अन्नदाता हैं। हनको आप कहते है न कि हम अमेरिका के मित्र हैं तो हम आपके अन्नदाता हुए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप पैदा कब हुए?

श्री मानसिंह महार : जब आप मरे तब मैं पैदा हो गया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तेरे सिर पर खड़ा हुआ हूं।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : भूत बनकर आ गये हो क्या?

श्री मानसिंह महार : पिछले जन्म में जब आप मरे थे, तब की बात कहता हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, इस अमेरिकन गेहूँ की। अगर सरकार इस प्रकार का गेहूं लाकर भी दो महीने के लिये यहां के मार्केट को फ्लड कर दे तो प्राइसेज नीचे आ जावेंगी। आप यकीन

श्री मानसिंह महार)

रखिये कि आप इसमें भी सफल नहीं हो सकेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह भी वक्त पर नहीं ला सकते। आप कहते हैं स्टाक कम है। हमने आज से पांच महीने पहले बफर स्टाक कायम करने की सलाह आपको दी थी। पर आपने मानी हमारी सलाह। आप सदन में यह जवाब दीजिये।

आप कहिये सदन में कि आपने इतने टन अनाज इकट्ठा कर लिया था? नहीं किया। और कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बफर स्टाक कायम करने में पाटिल जैसे काबिल आदमियों की जरूरत है न कि नाथूरामजी सरीखे की जो हल भी पूरा चलाना नहीं जानते, खेत में मुश्किल से पचास मन अनाज पैदा कर लें भले ही पर उसको भी स्टाक करके नहीं चल सकते। उनको वह भी ६ महीने में बेचना पड़े। वे होर्ड नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : आपको वहां भेज दें, उनको यहां बुला लें?

श्री मानसिंह महार : अच्छा है, आप सभी वहां पधार जावें।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आप सबको भी लेकर जावेंगे।

श्री मानसिंह महार : आपको हम तो रिप्लेस करके राजस्थान की जनता को १०) रु० क्विन्टल सस्ता खिलावेंगे अनाज। यह आपको विश्वास दिलाता हूं। आप थोड़ा जाकर तो देखें। जो सरकार व्यापारियों से मिलकर झूठी घोषणाएं करती है, जो सरकार झूठे आंकड़े बताती हो, जो व्यापारियों को नाजायज फायदा देने वाली सरकार हो-वह कभी भावों को नहीं गिरावेगी। आप इस लिये नहीं गिरा सकते भाव। यह निश्चित बात है क्योंकि आप पहले कह तो देते हैं। आपके कहने में कमी नहीं। आप वायदे कर देंगे इस सदन में। पर सदन के बाहर जाते ही उनको भूल जावेंगे। आप विधान सभा में इधर बैठने वालों की भी भर्त्सना कर देंगे दिल खोलकर, पर जब पकड़ में आवेंगे तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। कौनसी बहादुरी आपने बताई? अभी मुख्य मन्त्रीजी की कुछ बातें कहीं गई। पहले तो बड़ी शान में आकर कह दिया और जब जमीन जाती देखी तो, अध्यक्ष महोदय,........

श्री मथुरादास माथुर : जाने दो इस बात को तो।

श्री मानसिंह महार : कोई हर्ज नहीं। हमारे योजना मन्त्रीजी ने कहा–छोड़ो तो वह तो छोड़ी हुई ही है। हम तो जानते हैं कि आप जब तक कैरो की तरह पकड़ में नहीं आओ तब तक जाने वाले हो क्या? यह तो हम अच्छी तरह जानते हैं। आपके तो ऊपर नन्दा जैसे हों और कड़क कर कहें कि कुर्सियां छोड़ो तो भी मुश्किल से छोड़ोगे। कैरो ने तो फिर भी कुछ नहीं किया, आसानी से छोड़ दी कुर्सी, पर आपको तो हाथ पकड़ कर निकालेंगे, तब निकलोगे। पर चीज यह है कि राजस्थान में अनाज काफी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काफी है,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

डेफीसिट नहीं है यह कैसे साबित करते हैं ?

श्री मानसिंह महार : उन्होंने जिस आधार पर बताया पहले, उसी पर मैं कह रहा हूं। वे मन्त्रीजी परसों जवाब देंगे। उनके पास आंकड़े होंगे जिनके आधार पर........

श्री मथुरादास माथुर : परसों नहीं कल देंगे जवाब।

श्री मानसिंह महार : देख लेंगे। थानेदार को मौअत्तिल किया। गोलमाल हो गई। ये बता नहीं सकते क्या गोलमाल हो गई। उनके पास आंकड़े नहीं हैं। कुछ नहीं हैं। उनकी हालत तो मैं बताऊं मैं चैलेंन्ज देता हूं कोई भी मिनिस्टर यह बता दे, आज राजस्थान में जितनी सस्ते गेहूं की दुकानें हैं उन में से किन्हीं दुकानों के भी सही आंकड़े दे दें, बीस दिन के भी दे दें कि फलां महिने में इतना गेहूं आया और इतना बिका तो वह भी मैं गनीमत समझूंगा। आज उनके पास रिकार्ड नहीं है। हम जाते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कमिश्नर के पास। अभी मीटिंग है तीन बजे। मालूम किया हमने उनसे कि कितना गेहूं किस दुकान पर गया इसके हम फिगर उनसे मांगते हैं, पांच छः बार मांगे। कहा—इस दुकान पर तो बताइये ताकि हम जांच तो कर लें कि यह गेहूँ वहां गया भी या नहीं। तो कहते हैं, जवाब देते हैं अभी फिगर हमारे पास नहीं है। तो हाल तो यह है कि खुद का दिया हुआ अनाज किस दुकान पर कितना है इसका पता नहीं। इसके आंकड़े आपके पास नहीं तो राजस्थान में कितना पैदा होता है, कितना जनता को खाने को चाहिये इसके आंकड़े आप क्या बतावेंगे ? वे तो आपके प्लानिंग विभाग के या पंचायत समिति के बताये हुए आंकड़े होंगे। हम जानते हैं पंचायत समिति के आंकड़ों की वकता। एक पंचायत समिति में बताया गया कि कुल ३०० खाद के गड्ढे खोदे गये। अध्यक्ष महोदय, और एक ग्राम सेवक थे सो उनके लिये कह दिया गया कि उसने अकेले ने ५०० गड्ढे खोदे। यह प्लानिंग कमीशन के स्टेटिसटिक्स, उसके आंकड़ों के आधार पर कहता हूं जब इस पर हमने कहा कि ३०० गड्ढों का आपका रिकार्ड है तो ये ५०० कहां से आ गये ? तो चुप हो गये। यह हालत है। आप स्टेटिसटिक्स की बात हैं कहते लेकिन सरकार के स्टेटिसटिक्स तथ्यहीन है आपके पास कोई स्टेटिसटिक्स नहीं है, सब बोगस है। आप इन आंकड़ों से जनता को केवल भुलावे में डाले रखना चाहते हैं। मैं सही कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको अपनी जनता को सही तरीके से पोषण देना है, उसका पेट भरना है, उसको भूखों नहीं मारना है, उसे जीवित रखना है तो नारेबाजी से ऊपर उठो, आप इधर बैठने वालों को कहते हैं--हमने यह कहा वह कहा। क्या करें ? आप कुछ इन्तजाम नहीं कर सकते तो फिर इस कहने के सिवाय हमारे पास और क्या चारा है ? या तो यहां सदन में किसी प्रकार बहस उठायें या ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। पर हमारे इतना करने से भी आपको दुख होता है। आप तो केवल यह चाहते है कि विरोधी पक्ष कुछ बोले ही नहीं। आपकी अगर यह इच्छा हो कि जनता

श्री मानसिंह महार)

चाहें भूखों मर जावे, तब भी हम कुछ बोले ही नहीं, आपकी तरह हम भी ओढ़ कर सो जावें और जनता भूखी मरती रहे--यह कैसे हो सकता है। हम से यह नहीं होने का। आप खुद अपने कारनामे देखें। अध्यक्ष महोदय, जनता भूखों मर रही है। हमारा या उनका तो पेट भर जावेगा, हमें तो कन्ट्रोल से वक्त पर मिल सकता है, उनको भी मिल जाता है। हमें और उनको मिल जावेगा चूंकि शहरों में रहते हैं। पर सवाल तो ग्रामीण जनता का है जो शहरों में नहीं रहती, गांवों में रहती है अधिकांश संख्या में, उनको चीनी की जरूरत नहीं, गुड़ की है। अभी सुखाड़िया जी ने जमीन की आफर दे दी। हम चाहते हैं कि राजस्थान के क्रय विक्रय संघ ने लाखों रुपयों का घोटाला किया गुड़ लाने में और बेचने में। ५६ लाख या ६६ लाख का नैट पैसा कमाया।

(शेम शेम की ध्वनि)

यह निश्चित बात है। हंसने लगे खाद्य मन्त्री जी ! क्योंकि उनके प्यारों का सवाल आ गया। संघ में मेवा आया। एक रोज मैं भी चला गया क्रय विक्रय संघ में। पूछा-अर्जा मैंने कहा सस्ता मेवा आया है आप के यहां। सुना है मैंने, क्या हुआ उसका ? जवाब मिला--वह तो बड़े बड़ों के यहां चला गया। मैं फैक्ट कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, लिस्ट बना ली जावे अगर मन्त्री जी नटते हों तो। वह मेवा मिला केवल आपके चट्टों बट्टों को, और किसी को नहीं।

तो, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आपके सामने यह नमूने है। जब आपने या भारत सरकार ने गुड़ का डिकन्ट्रोल किया तो वह सब चीजें खत्म हो गई। १.६० नये पैसे किलो जो आपका गुड़ बिकता था वह डिकन्ट्रोल होते ही १.५ पैसे और १.१० पैसे किलो हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर गुड की हलात बतायें तो आप ताज्जुब करेंगे कि जो गांवों में गुड़ भेजा गया वह रस्टेड गुड़ दिया गया और उसका भाव सवा रुपया और डेढ़ रुपया रखा गया। यह कन्ट्रोल्ड आइटम है और वह दिया गया जो आज मार्केट में लपटे के भाव भी नहीं बिके। यू० पी० से अच्छा गुड़ दिया गया और राजस्थान में घुसते ही वह गुड़ छोड़ दिया गया और क्रय विक्रय संघ को दे दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के ऊंचे से ऊंचे नेता लाग कहते हैं और लोग कहते है कि क्रय विक्रय संघ के गुड़ के घोटाले की जांच कराई जाये। कोई जांच नहीं की गई, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जयपुर में कलेक्टर को अधिकार था कि जयपुर जिले में जो गुड़ बिके उसके भाव वह निर्धारित करे लेकिन करीब ८ महीने पहले एक सरकारी आज्ञा हुई कि गुड़ का भाव क्रय विक्रय संघ ही निर्धारित करेगा न कि जयपुर कलेक्टर। और उसमें क्या हुआ वह आप देखें। मैं तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने एक ठोस सुझाव डिस्ट्रिक्ट सप्लाई कमेटी को भी दिया और आज मंत्री महोदय को भी देना चाहता हूं कि गांव के लोग कहते हैं कि सस्ते अनाज की समस्या शहरों में फिर भी ईज होगी क्योंकि

(श्री मानसिंह महार)

हम दुकानें खोल देते हैं। लेकिन गांवों में इतनी दुकानें नहीं हैं। हमें जवाब मिला कि ज्यादा दुकानें खुल जायं तो लोग अनाज कम ले जाते हैं। मैंने कहा कि जिस दुकान पर दो सौ-तीन सौ बोरों से कम जाये उसे बन्द कर दो....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी से समाप्त कर लें।

श्री मानसिंह महार : कल ५ मिनिट और दे दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात १-१० बजे बृहस्पतिवार दिनांक १३-८-६४ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७७ का उत्तर देखिये)

Copy of letter from the Asstt. Secretary to the Government, Food Supplies Department, Rajasthan, Jaipur to the Collector, Sriganganagar.

Sub.—Facilities of subsidized fodder and grasing in Hanumangarh plantations to Kathi Breed of Cows of Suratgarh Tehsil

I am directed to refer to this office letter No. F. 1(40) RC/Gen./63/16927-28 dated the 28th April, 1964 on the subject cited above, vide para 3 of this office letter it was desired that above 3000 Rathi Breed cows should be migrated to Barani Section of Hanumangarh forest plantation for grazing and the Chief Conservator of Forests was also informed of this decision of the Government. However, the Chief Conservator of Forests vide his letter dated 25th May, 1964 has informed that the area where grazing is proposed to be allowed is under plantation from the last six years and that there are successful patches of previous years plantation scattered over the whole areas which can be fenced and protected from the rest of the areas. He further informed that by the entry of the large number of cattle in this area, the plantation will go ruined.

As much time has already passed without implementation of the Government decision and no time is left now when rains have already set in, the Government orders regarding spending 3000 Rathi Breed Cows to Barani Section of Hanumangarh Forest is hereby withdrawn.

No. F. 22977 Dated, the 2-7-64.

Copy to the Chief Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur for information with reference to his Department letter No. F. 27(26) Misc./CCF/22997 dated 25-5-64.

Sd/-

Asstt. Secretary to Govt.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE VILLAGES UNDER RAMGARH BUNDA

1. Dausa Kalan.
2. Dausa Khurd.
3. Dausa Tail.
4. Chamreda.
5. Ragli.
6. Moda.
7. Rohada.
8. Haripura.
9. Barkhera.
10. Raipur.
11. Jeerotakalan.
12. Jeerotakhurd.
13. Sabalpura.
14. Dalelpura.
15. Malakbas.
16. Charanbas.
17. Khurikalan.
18. Khurikhurd.
19. Nangal Barehi
20. Malpura.
21. Sitapura.
22. Chandrana.
23. Bed Chandrana.
24. Kherwal.
25. Bhandana.
26. Singhwaala.
27. Malama.
28. Nangal Govind.
29. Chak Dharanwas.
30. Sugola.
31. Kishanpura.
32. Boran.
33. Paeipora.
34. Nangal Bohra.

35. Badwa.

adwa.

37. Badsoli.

38. Farm Badsoli

39. H. H. Farm.

40. Tetra.

41. Bhita.

42. Jatwara.

43. Laxmipura.

44. Dayalpura.

45. Kherla.

46. Khaneti.

47. Badupura.

48. Bugla.

49. Godholi.

50. Badli Khurd.

51. Kharkhara.

52. Palli Kalan.

53. Got.

54. Niwar.

55. Khiwas.

56. Gudha.

57. Jaisinghpura.

58. Sunderpura.

59. Lalwas.

60. Gwali.

61. Nangal Gagoria.

62. Banpur Khurd.

63. Nangal Baila.

64. Badrusoolpura.

65. Dhula.

66. Tholia.

67. Khawa.

68. Kherna.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८२ का उत्तर देखिये)

LIST OF SSI UNITS WHO HAVE BEEN ALLOTTED
S. S. SHEETS FOR NON STENLESS PURPOSES.

1.	M/s Metal India, Tholia Circle, Jaipur.	0.50	M. tons.
2.	„ Metallics Products, Agra Road, Jaipur.	1.00	„
3.	„ Amolak Iron & Steel Mfg. Works, Industrial area, Jhotwara, Jaipur.	1.00	„
4.	„ Jaipur Metal Rolling Mills, Behind Atish, Jaipur.	1.00	„
5.	„ Central Steel & General Industries, Ind. Estate, Jaipur.	0.50	„
6.	„ Asia Trade Corporation Jaipur.	0.50	„
7.	„ Ganesh Metal & Pressing Industries Shri Ganganagar.	0.50	„
8.	„ Premier Industrial Corporation Ind. Estate, Kotah.	0.50	„
9.	„ Sunderson Industries (P) Ltd., Industrial Estate, Kota.	0.50	„
10.	„ Narain Das Shyam Sunder, Bhilwara.	0.50	„
11.	„ R. S. Khandelwal & Co., Jaipur.	1.00	„

12.	,,	Quality Steel Products, Jaipur.	0.25	,,
13.	,,	Toshniwal Instruments, Makhupura, Industrial Estate, Ajmer.	0.50	,,
14.	,,	Rajasthan Metal Industries, Jalore.	0.50	,,
15.	,,	Moti Lal Om prakash, Jaipur.	0.50	,,
16.	,,	Metal Products, Makhupura, Industrial Estate, Ajmer.	0.50	,,
		Total	9.75	M. tons.

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the advance against ornaments which are false or alleged to be false pledged with the Jhalawar State Banks.

S. No.	Name of the Debtor	Branch of Jhalawar State Bank	Amount of loan	Recorded Valuation of ornaments.
1	2	3	4	5
1.	Shri Abdul Mazid	Dug Br.	4,772/-	5,797-2-0
2.	Shri Basanti Lal Master R/o Gangdhar.	Gangdhar Br.	79,341/-	Estimated value not available on record.

* शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १२ अगस्त, १६६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३	अन्तिम से ४	श्री मनफूलसिह	श्री मनफूलसिंह्
७	अन्तिम से ४	श्री जोधसिह	श्री जोधसिंह्
,,	अन्तिम से ३	गेखिये)	देखिये)
६	शीर्षक	१० अगस्त, ६४	१२ अगस्त, ६४
११	१	) । :	—) :
१२	४	(बाढमेर)	(बाड़मेर)
१२ से ४४	नोट :—इन स्कम्भों में जहां कहीं "श्री चन्दनमल बैद" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर कृपया यह पढ़ें— "श्री चन्दनमल वैद"		
१५	शीर्ष	—	(श्री चन्दनमल वैद)
२१	१६	सीमेंन्ट	सीमेन्ट
२५	१८	श्री पोहुमल	श्री पोहूमल
२७	१३	तक सड़क	सड़क
३४	अन्तिम से ३	श्री जेठमल बरवड़	२००. श्री जेठमल बरवड़
३६	२	वैद	वैद्य
५७	१५	(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)	(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)
६१	शीर्षक	७ अतारांकित	अतारांकित
६३	शीर्ष	(श्री वित मंत्री)	(श्री वित्त मंत्री)
,,	३	(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)	(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)
६५ व ६६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
६६	शीर्ष	(श्री सुकट बिहारीलाल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल)
७३ से ६० तक	शीर्षक	रा० राजभाषा (संशोधन) -१२ अगस्त, ६४ विधेयक, १६६४	पुरः स्थापित किये जाने -१२ अगस्त, ६४- वाले विधेयक

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
७३	शीर्ष	(श्री मथुरादास माथुर)	(श्री मुकुटविहारीलाल गोयल)
८१	,,	—	(श्री नत्थीसिंह)
८३	,,	(श्री मथुरादास माथुर)	(,, ,,)
८४	२५	श्री विरदाराम कुलवारिया	श्री बिरदाराम फुलवारिया
८५	शीर्ष व २३	(श्री मुकट	(श्री मुकुट
८७	अन्तिम से २	(श्री मुकुट विहारीलाल	श्री मुकुटविहारीलाल
६१	शीर्षक	रा० यात्री तथा माल कर वि०, ६४–	पुरः स्थापित किये जाने वाले
,,	१६	(बीकानेर शहर)	(बीकानेर)
६७	शीर्ष	(श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
१०६	शीर्षक	पर विचार	पर विचार
१२५	शीर्षक	खाद्यय	खाद्य
१२७	शीर्ष	(श्रीमती नगेन्द्रबाल)	(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
१२८	शीर्षक	हर विचार	पर विचार
१३१	अन्तिम से ६	(पचपद्रा)	(पचपदरा)
१३३	शीर्ष	(श्रीमती नगेन्द्रबाला)	(श्री अमरसिंह)
१३५	,,	—	,, ,,
१३७ व १३६	,,	(श्रीमती नगेन्द्रबाला)	,, ,,
१४१	,,	—	,, ,,
१४३	,,	(श्रीमती लछमीकुमारी चूंडावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
१४५	,,	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)	,, ,, ,,
१४६	,,	श्रीमती लक्ष्मीकुनारी चूंडावत)	,, ,, ,,
१५०	५	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१५७	६	श्री योगेन्द्रनाय हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१५८	२२	(मंत्रीः—	मंत्री):—
१७८	१६	श्री योगेन्द्रनाय दांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१७६	१७	श्री योन्द्रगेनाथ रांडा	,, ,, ,,
१८०	५, १०	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
१८४	१४	श्री उमरावसिंह टावरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१८७	१०	(बीकानेर शहर)	(बीकानेर)
"	१३	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१९२	अन्तिम से ५	" "	"
१९४	१४	श्री मुकट	श्री मुकुट
१९६	२०	श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
२१०	६	(सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात	(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात्
५०	अन्तिम से ४	नोटः—कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १९८ के नीचे मुद्रित "(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)" के स्थान पर निम्न पढ़ें—	

पंचायत समिति कुचामन में एपरोच रोड्स की लम्बाई व चौड़ाई की सूचीः—

क्रं०	ग्राम	लम्बाई	चौड़ाई
१.	मण्डावरा	३२० फुट	१६ फुट
२.	घाटवा	४०० "	८ "
३.	खारडिया	६०० "	८ "

नोट :— विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।